मंगलवार,
१० मार्च, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

मंगलवार, १० मार्च, १९५३

सनद को बैठक २ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

प्राणकीय परिमाप

*६२४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में सैनिकों का कोई प्राणकीय परिमाप किया गया था;

(ख) यदि हां, तो किस के द्वारा तथा किस लिए;

(ग) परिमाप का क्या परिणाम रहा है; तथा

(घ) परिमाप पर कुल कितना धन व्यय हुआ था ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी नहीं। किन्तु अब प्राणकीय परिमाप किया जा रहा है। कुछ प्रारम्भिक कार्य दिल्ली में किया गया था।

(ख) प्राणकीय परिमाप सेना सांख्यिकीय संगठन कर रहा है जिससे सैनिकों की वर्दियों के लिए उपयुक्त नाप ढूंढने के सम्बन्ध में सामग्री जमा हो सके।

(ग) सामग्री जमा होने तथा उसका विश्लेषण हो जाने के पश्चात् ही परिमाप का नतीजा मालूम हो सकेगा।

(घ) अब तक परिमाप पर लगभग ४,००० रुपये व्यय हो चुके हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या इस सामग्री के जमा करने का सम्बन्ध किसी प्रकार भारत में सैनिकों को लड़ाकू तथा ग़ैर लड़ाकू जातियों में बांटने से है ?

सरदार मजीठिया : जी नहीं। इससे इस बात का कोई सम्बन्ध नहीं है।

गांधी विचार-धारा तथा कार्यप्रणाली पर अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी

* ६२६. **श्री ए० सी० गुहा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जनवरी १९५३ गांधी-विचारधारा तथा कार्यप्रणाली पर अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो विदेशों से किन किन व्यक्तियों ने भाग लिया था; तथा

(ग) क्या गोष्ठी की कार्यवाही प्रकाशित की जायेगी ?

प्राकृतिक ससाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) (क) जी हां।

(ख) विदेशों से निम्नलिखित व्यक्तियों ने भाग लिया :

१. लार्ड बौयड ओर (इंग्लैन्ड)

२. डा० राल्फ बंच (अमेरिका)

३. मैदान सिसीलिआ मैरीलैस (ब्राज़ील)

४. श्री यूसूके सुरुमी (जापान)

५. प्रो० जी० तुर्की (इटली)

६. डा० मोहम्मद हुसैन हैकल (मिश्र)

७. प्रो० डा० मातिन दफ्तरी (भारत)

८. पैस्टर डी० मार्टिन नीलोमर (जर्मन)

९. प्रो० एल० मौसीनियो (फ्रांस)

(ग) जी हां।

श्री ए० सी० गुहा : क्या गांधी विचार-धारा के प्रचार के लिए कोई स्थायी संस्था स्थापित करने का विचार है ?

श्री के० डी० मालवीय : स्थायी संस्था स्थापित करने के लिए सरकार के सामने इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री ए० सी० गुहा : इस बहस में हुए निश्चय या की गई सिफ़ारिश को सरकार किस प्रकार से कार्यान्वित करने का विचार रखती है ।

श्री के० डी० मालवीय : यह गोष्ठी एक प्रकार से गोल मेज चर्चा के रूप में हुई थी तथा इसमें भाग लेने वाले इस बात पर सहमत थे कि केवल गांधी जी के सिद्धान्तों का पालन करके ही विश्वशान्ति को सुरक्षित रखा जा सकता है तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय तनाव दूर किया जा सकता है। इन सिफारिशों के फलस्वरूप यह भी निश्चित किया गया था कि एक छोटी सी पुस्तक प्रकाशित की जाये जिसमें इस गोष्ठी की प्रमुख सिफारिशें तथा निश्चय शामिल हों। इसके अलावा सभापति की इच्छानुसार यह भी निश्चय किया गया है कि गोष्ठी में होने वाली चर्चा की एक अक्षरशः रिपोर्ट प्रकाशित की जाये।

श्री ए० सी० गुहा : क्या सरकार का इस सम्बन्ध में और कुछ करन का विचार है—कि केवल गांधी-विचारधारा द्वारा ही विश्वशान्ति को कायम रखा जा सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो तर्क करना है।

श्री ए० सी० गुहा : क्या सरकार का विचार इस बात को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह तो सुझाव देना है तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक जो कुछ किया है उससे अधिक वह कुछ भी नहीं कर सकती है।

श्री एन० एम० लिंगम : इस गोष्ठी का आयोजन किसने किया तथा इस सम्बन्ध में कितना व्यय हुआ ?

श्री के० डी० मालवीय : गोष्ठी का आयोजन शिक्षा मंत्रालय ने किया था। इसके सम्बन्ध में हुए व्यय को बतलाने के लिए मैं पूर्वसूचना चाहता हूं।

श्री सी० डी० पांड : लार्ड बौयड और तथा डा० राल्फ बंच जैसे प्रतिनिधि इस गोष्ठी में भाग लेने के लिए अपने अपने राष्ट्र की ओर से आये थे अथवा व्यक्तिगत हैसियत से ?

श्री के० डी० मालवीय : उन्होंने गोष्ठी में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया।

श्री सी० डी० पांडे : क्या गोष्ठी में किये गये निश्चय उनके देशों पर भी लागू होते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता।

श्री बी० दास : उनकी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति है ।

डा० एम० एम० दास : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उस दिन इस सदन में साम्यवादी दल के कार्यवाहक नेता ने गांधीजी को "हमारे नेता" कह कर सम्बोधित किया था, क्या साम्यवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले किसी देशी के प्रतिनिधि ने इस गोष्ठी में भाग लिया था ?

श्री के० डी० मालवीय : दुर्भाग्यवश, रूस का कोई प्रतिनिधि इसमें भाग न ले सका ।

श्री ए० सी० गुहा : इन प्रतिनिधियों को किस प्रकार चुना गया था--उस देश की किसी राष्ट्रीय संस्था अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संस्था ने उनको चुना था अथवा उन्होंने स्वयं अपने आपको चुन लिया था ?

श्री के० डी० मालवीय : सरकार ने इंग्लैण्ड, अमेरिका, फ्रांस तथा अन्य देशों को आमंत्रित किया तथा निमंत्रित देशों की ओर से इन व्यक्तियों ने व्यक्तिगत रूप से गोष्ठी में भाग लिया ।

अण्डमान में बसने के लिये सुविधाएं

*६२७. श्री दाभी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने उन लोगों को सुविधायें देने का निश्चय किया है जो भारत से जाकर अण्डमान में बसना चाहते हैं; तथा

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को विशिष्ट रूप से किस प्रकार की सुविधायें और रियायतें देने का निश्चय किया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख) भारत सरकार ने अगले पांच वर्षों में अण्डमान में भारतीय किसानों के लगभग ४,००० कुटुम्बों को बसाने की एक योजना मंजूर कर ली है । इस योजना के अन्तर्गत बसाये जाने के हेतु चुने गये प्रत्येक कुटुम्ब को निम्नलिखित रियायतें दी जायेंगी :

(१) धान की खेती के लिए साफ की गई ज़मीन में से ५ एकड़ ज़मीन दी जायेगी ।

(२) पहाड़ी ज़मीन (बिना साफ की गई) में से ५ एकड़ ज़मीन और दी जायेगी जिसे छोटा मोटा मकान बनाने, फल या तरकारी उगाने तथा मवेशियों के लिए चरागाह के रूप में प्रयोग किया जा सकता है ।

(३) भारत से अण्डमान जाने, मकान बनाने, बैल खरीदने, खेती के औज़ार, बीज तथा खाद प्राप्त करने तथा पहली फस्ल कटने तक देखभाल करने के लिए २००० रुपये का ऋण दिया जायेगा जो बाद में वसूल कर लिया जायगा ।

(४) योजना के चालू रहते हुए पांच वर्ष की अवधि में कोई लगान नहीं लिया जायगा ।

श्री दाभी : इन द्वीपों में कितने एकड़ खेती के योग्य तथा बंजर ज़मीन है तथा उनमें किस प्रकार की फ़स्ल उगाई जा सकती है ?

श्री दातार : जहां तक कुल एकड़ ज़मीन के बतलाने का सम्बन्ध है मैं पूर्व सूचना चाहूंगा, किन्तु प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत २०,००० एकड़ भूमि पर खेती की जायेगी

श्री दाभी : इन द्वीपों में किस प्रकार के खनिज पदार्थ तथा जंगल सम्पत्ति पाई जाती है ?

श्री दातार : जहां तक फसलों का सम्बन्ध है , यहां पर धान, मक्का, गन्ना, अरहर, मूंग तथा शकरकंदी बहुत आसानी से पैदा की जा सकती है । जहां तक अन्य वस्तुओं का सम्बन्ध है, तेलहन, आयल-पाम,

सोयाबीन्स, काजू तथा लोंग पैदा करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : दो हज़ार रुपये वापस करने की शर्तें क्या हैं तथा उन्हें कितनी अवधि में वापस करना होगा ?

श्री दातार : दो हज़ार रुपयों को छोटी छोटी किस्तों में २० वर्ष में वापस करना होगा।

श्री के० के० बसु : जिस कार्य के लिए २००० रुपया दिया जाता है क्या वह उसके लिए पर्याप्त है ?

श्री दातार : जिस कार्य के लिए यह रुपया दिया जाता है वह उसके लिए पर्याप्त ही समझा जाता है।

श्री पुन्नूस : किसानों के कुटुम्बों को किस प्रकार चुना जाता है। क्या आवेदन पत्र मांगे जाते हैं अथवा कोई ऐसी संस्था है जो यह पता लगाती है कि किस किस को वहां जाना है ?

श्री दातार : प्रारम्भ में तो यह किसान कुटुम्ब पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों में से होंगे।

श्री दाभी : क्या उधार दी गई राशि पर कोई सूद लिया जा रहा है और यदि हां, तो कितना ?

श्री दातार : इस सम्बन्ध में मेरे पास यहां पर कोई सूचना नहीं है।

श्री मात्तन : क्या इस प्रकार के चुनाव में सरकार किसान कुटुम्बों को वास्तव में प्राथमिकता देती है ?

श्री दातार : जी हां।

श्री बी० के० दास : इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी ज़मीन खेती योग्य बना ली गई है ?

श्री दातार : मई १९५३ तक लगभग १,५०० एकड़ ज़मीन खेती योग्य बना ली जायेगी।

श्री बी० के० दास : क्या यह ज़मीन उस ज़मीन के अलावा है जो पुनर्वास मंत्रालय ने खेती के योग्य बनाई है अथवा इसमें वह भी ज़मीन शामिल है ?

श्री दातार : इससे पुनर्वास मंत्रालय का कोई सम्बन्ध नहीं है। यह काम केवल यही मंत्रालय कर रहा है।

श्री केलप्पन : क्या यह सुविधायें केवल विस्थापित व्यक्तियों तक सीमित हैं ?

श्री दातार : वे केवल विस्थापित व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं हैं किन्तु उनको वरीयता दी जाती है।

श्री पुन्नूस : क्या उन क्षत्रों के लोगों को भी वरीयता दी जायगी जो घनी आबादी वाले क्षेत्रों में रहते हैं ?

श्री दातार : उन्हें बाद में वरीयता दी जायेगी। वर्तमान योजना के अनुसार वहां पर १,२५,००० व्यक्ति बसाये जा सकते हैं तथा वर्तमान आबादी केवल १९,००० की है।

डा० एम० एम० दास : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार द्वारा उन शरणार्थियों के लिए जो वहां पर बस गये हैं, विशेष रूप से खरीदे गये बैल बूढ़े थे और थोड़े ही समय में मर गये थे, क्या इस बार भी सरकार बैलों को खरीदेगी या शरणार्थी उन्हें स्वयं खरीदेंगे ?

श्री दातार : सरकार के पास कोई सूचना नहीं है, किन्तु माननीय सदस्य ने जिस शिकायत का उल्लेख किया है उसको मुख्य आयुक्त के पास जांच के लिए भेज दिया जायेगा।

जम्मू और काश्मीर युद्ध क्षेत्र के रूप में

* ६२८. **श्री चरक** : (क) **रक्षा मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या जम्मू

और काश्मीर राज्य को अब भी युद्ध क्षेत्र समझा जाता है ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो उसे ऐसा समझने के क्या कारण हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) कार्य-संचालन तथा प्रशासनीय कारणों से इस क्षेत्र को युद्ध क्षेत्र ही समझा जाना आवश्यक है।

जम्मू और काश्मीर में अधिकारियों द्वारा अपने परिवारों को लाना

* ६२९. **श्री चरक** : (क) **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को यह मालूम है कि भारतीय सेना के जम्मू और काश्मीर एरिया स्थित अधिकारियों को १ जनवरी, १९४९ की युद्ध बन्दी के पश्चात् से अपने परिवारों को अपने साथ लाने की अनुमति प्राप्त है ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो इस समय मुफ्त में राशन देने का क्या कारण है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री मजीठिया) : (क) जी हां; किन्तु अधिकारी केवल कुछ ही स्टेशनों पर और वह भी कुछ शर्तों के अन्तर्गत ही अपने साथ अपने परिवार वालों को ले जा सकते हैं।

(ख) इन अधिकारियों के साथ अन्य अधिकारियों से भिन्न व्यवहार करना ठीक न होगा क्योंकि जिन परिस्थितियों में समस्त अधिकारियों को रहना पड़ता है वे सब के लिए समान हैं।

श्री चरक : क्या यह सत्य है कि ब्रिटिश काल में यह प्रथा थी कि ऐसे क्षेत्रों में सेना के अधिकारी अपने परिवारों को नहीं ले जाते थे ?

सरदार मजीठिया : मैं इसके सम्बन्ध में निश्चित रूप से नहीं कह सकता। यदि परिवार वालों को ले जाया जाता है तो यह तो अधिकारियों के लिए एक प्रकार की सुविधा हुई तथा माननीय सदस्यों को इसे देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री चरक : पुरानी चली आने वाली इस प्रथा से हटने के क्या कारण हैं ?

सरदार मजीठिया : मानव उपकार की भावन से।

'अन्य सेवा योजनाएं'

*६३०. **श्री पून्नुस** : (क) **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या 'अन्य सेवा योजनाएं' अन्तिमरूप से तैयार हो चुकी हैं जिसके अनुसार 'वर्ष १९५१-५२ के लिए मंत्रालय की कार्यवाही रिपोर्ट' में यह बतलाया गया था कि भारत सरकार की अन्य सेवाओं को संगठित करने का विचार है ?

(ख) यदि हां, तो क्या योजनाओं की एक प्रति सदन पटल पर रखी जायेगी ?

(ग) यदि नहीं, तो सदन को वे योजनाएं कब तक उपलब्ध हो जायेंगी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)

(क) अभी तक नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अधिकतर योजनाओं के सम्बन्ध में अब तक केवल प्रारम्भिक रूप से विचार किया जा सका है तथा प्रत्येक योजना को बनाने तथा कार्यान्वित करने का भार मुख्यतः उस मंत्रालय पर पड़ता है जो प्रशासनीय रूप से जिम्मेदार होता है, किसी निर्धारित समय-सूची का पालन करना असम्भव होगा। फिर भी, गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में

इस सम्बन्ध में समय समय पर हुई प्रगति का ब्योरा दिया जायेगा ।

श्री पुन्नूस : १९५१ की रिपोर्ट में बतलाया गया है कि यह मामला सम्बद्ध मंत्रालय के साथ परामर्श करते हुए विचाराधीन है । अब यह किस अवस्था पर है ?

श्री दातार : बातचीत की अवस्था है, कुछ मामलों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त हो गये हैं तथा कुछ के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं हुए हैं ।

श्री के० के० बसु : पंच वर्षीय योजना तथा हमेशा-बढ़ती हुई योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार का विचार इस मामले में शीघ्रता करने का है ?

श्री दातार : जहां तक सम्भव हो सकता है सरकार इन योजनाओं को शीघ्र से शीघ्र कार्यान्वित करने का प्रयत्न कर रही है ।

भारत सेवक समाज

*६३२. **श्री ए० एम० टामस** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को भारत सेवक समाज का सदस्य होने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो क्या सदस्य बनने के पहले उन को विशेष अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है; तथा

(ग) क्या जब इस प्रकार की अनुमति दी जाती है तो कोई शर्त लगा दी जाती है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

श्री ए० एम० टामस : अब तक कितने सरकारी कर्मचारियों ने भारत सेवक समाज में नाम लिखवाया है ?

श्री दातार : इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए इस में शामिल होना आवश्यक है ?

श्री दातार : ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : समाज का सदस्य होने के लिए किन किन योग्यताओं की आवश्यकता है ?

श्री दातार : सार्वजनिक कार्य करने के लिये हमेशा तैयार रहने की योग्यता होनी चाहिये ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : अनर्हताएं क्या क्या हैं ?

श्री दातार : कोई भी अनर्हताएं नहीं हैं ।

श्री पुन्नूस : क्या उन सरकारी कर्मचारियों के लिए, जो संघ में शामिल होते हैं, यह आवश्यक है कि वे हड़ताल भंग करें या संगठित मजदूरों की कार्यवाहियों के विरुद्ध कार्य करें आदि ?

श्री दातार : इस प्रकार की कोई बात नहीं है तथा आरोप बिल्कुल निराधार है ।

श्री के० के० बसु : क्या इस संघ में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों को कोई विशेष सुविधाएं दी जाती हैं ?

श्री दातार : कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाती हैं ।

राष्ट्रमंडल बैंक

*६३३. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : (क) **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या पिछले राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन में एक राष्ट्रमंडल बैंक चलाने की कोई योजना प्रस्तुत की गई थी जिससे राष्ट्रमंडल की समृद्धि वापस लौट सके ?

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त उपमन्त्री (श्री एम० सी० शाह) :

(क) जी नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

अनुसंधान कार्यकर्त्ताओं को सहायक अनुदान

*३६४. **श्री एन० पी० सिन्हा** : (क) **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने भारत में अनुसंधान करने वाले कार्य कर्त्ताओं को यंत्र, सामान, किताबें आदि खरीदने के लिए सहायक अनुदान दिये हैं ?

(ख) यदि हां, ऐसा अनुदान प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है ?

(ग) क्या अनुदान के सम्बन्ध में कोई अधिकतम अथवा न्यूनतम सीमा निर्धारित कर दी गई है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां, इस कार्य के लिए १९५२-५३ के बजट में सहायक अनुदान देने के लिए ५०,००० रुपये की व्यवस्था की गई है ।

(ख) ऐसे कार्य कर्त्ताओं से, जिस किसी विश्वविद्यालय अथवा संस्था में वे कार्य करते हैं, उसके द्वारा आवेदनपत्र आमंत्रित किये जाते हैं । इसके पश्चात् इस कार्य के लिये विशेषतः नियुक्त की गई समिति उन पर विचार करती है ।

(ग) जी नहीं ।

श्री एन० पी० सिन्हा : राशि का ठीक प्रकार से उपयोग किया गया है अथवा नहीं, क्या इसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई जांच करवाई जाती है ?

श्री के० डी० मालवीय : क्योंकि हमें इस सम्बन्ध में कोई विपरीत रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है इसलिये यह समझने का कोई कारण नहीं है कि राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या चुनाव केन्द्रीय सरकार द्वारा होता है अथवा आवेदनपत्र मांगे जाते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : विश्वविद्यालय या संस्थाएं सरकार के पास आवेदनपत्र भेजती हैं । एक समिति उनकी छानबीन करती है तथा बाद में उपयुक्त मामलों निबटाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के भेज देती है ।

श्री ए० सी० गुहा : समिति के कौन कौन सदस्य हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : समिति के सदस्य हैं--डा० सी० रमन, डा० ए० लक्ष्मनस्वामी मुदालियर, डा० एम० एन० साहा, डा० एस० एस० भटनागर तथा उपसचिव, श्री जी० के० चन्द्रमणि ।

श्री ए० सी० गहा : क्या यह कोष वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान कोष से अलग है ?

श्री क० डी० मालवीय : व्यक्तिगत रूप से अनुसन्धान करने वालों की सहायता करने के लिए यह अलग कोष है ।

श्री ए० सी० गुहा : इस कोष में से रुपया किस प्रकार दिया जाता है ?

श्री के० डी० मालवीय : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री बादशाह गुप्त : आवेदनपत्र कब तक स्वीकार किये जायेंगे तथा समिति कब तक उन पर विचार करेगी ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास यह सूचना नहीं है कि कब तक आवेदनपत्र स्वीकार किये जायेंगे और कब तक उन्हें निबटाया जायेगा किन्तु मुझे इस समय इतना मालूम है कि सहायक अनुदान के लिए

विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं में अनुसन्धान का काम करने वाले कार्यकर्त्ताओं के २०० आवेदनपत्र प्राप्त हो चुके हैं।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार समिति को कोई हिदायतें देती है या समिति गुणों के आधार पर चुनाव करती है ?

श्री के० डी० मालवीय : चुनाव के लिए समिति स्वयं अपने नियम बनाती है।

श्री बी० एस० मूर्ति : जिन विश्वविद्यालयों अथवा संस्थाओं द्वारा आवेदनपत्र भेजे जाते हैं क्या वे उन्हें अपनी सिफारिशों के साथ अधिकारियों के पास भेजती हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : कार्यकर्त्ता अपने आवेदनपत्र विश्वविद्यालय द्वारा भेजते हैं क्योंकि सरकार न इस प्रकार के आवेदनपत्र विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं से मांगे हैं। मेरा अनुमान है कि हो सकता है विश्वविद्यालय कुछ अपनी सिफारिश भी कर दें।

श्री केलप्पन : क्या यह अनुदान विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा दिये जाते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : यह अनुमान शिक्षा मंत्रालय सीधा कार्यकर्त्ताओं को देता है।

भारत-जापान टकनिकल सहायता समझौता

*६३७. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने जापानी सरकार से यह कहा है कि भारत-जापान टेकनिकल सहायता समझौता किया जा सकता है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : इस प्रकार के समझौते के लिए अब तक जापान सरकार के सामने कोई औपचारिक सुझाव नहीं रखा गया है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इस मामले के सम्बन्ध में क्या भारत सरकार और जापान सरकार के बीच किसी प्रकार की बातचीत हुई थी और क्या बाद में यह मामला खत्म कर दिया गया था ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं। मामला खत्म नहीं कर दिया गया है। बातचीत करने के फलस्वरूप अब सरकार के सामने कुछ प्रस्ताव आये हैं जिन पर वह विचार कर रही है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : प्रस्ताव क्या क्या हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं उन प्रस्तावों को बतलाने की स्थिति में नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन पर विचार किया जा रहा है।

आई० ए० एस० के लिए सामाजिक कल्याण कोर्स

*६३८. **श्री एस० एन० दास** : (क) क्या **गृहकार्य** मंत्री ४ दिसम्बर, १९५२ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३३९ के भाग (ख) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर में सदन पटल पर रखे गये विवरण का निर्देश करने की कृपा करेंगे तथा बतलायेंगे कि क्या सामाजिक कल्याण के परामर्शदाता बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों के फलस्वरूप भारतीय प्रशासनीय सेवा के आगामी उम्मीदवारों की ट्रेनिंग के लिए सामाजिक कल्याण कोर्स शामिल कर दिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो शामिल किया गया कोर्स किस प्रकार का है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). बोर्ड ने जो सामाजिक कल्याण कोर्स तैयार किया है वह उत्तर स्नातकों के लिए दो वर्ष की अवधि का है। बोर्ड से परामर्श करते हुए सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि सामाजिक कल्याण विषयों के कोर्स को संशोधित करके छोटे रूप में भारतीय प्रशासनीय सेवा में परीक्षार्थ काम करने वाले अधिकारियों की ट्रेनिंग में शामिल कर लिया जाये ।

श्री एस० एन० दास : परीक्षाधीन अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए जो कोर्स पहले निर्धारित किया गया था क्या उसमें कोई परिवर्तन किया गया है ?

श्री दातार : कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मैं यह बतला दूं कि भारतीय प्रशासनीय सेवा के परीक्षाधीन अधिकारियों की ट्रेनिंग साधारणतः दस महीनों की होती है और इसी लिए इसमें पूरे कोर्स को शामिल नहीं किया जा सकता है ।

श्री एस० एन० दास : अखिल-भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत भर्ती के नियम तथा नौकरी की शर्तें बनाते समय क्या इस पहलू की ओर ध्यान दिया जा रहा है या दिया गया है ?

श्री दातार : जहां तक भारतीय प्रशासनीय सेवा के परीक्षाधीन अधिकारियों का सम्बन्ध है, संशोधित तथा छोटा कोर्स जारी करने पर विचार किया जा रहा है ।

आयकर जांच आयोग

*६४०. **श्री ए० सी० गुहा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आयकर जांच आयोग ने अब तक कितने मामले निबटाये हैं तथा उनकी राशि क्या थी ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी): अब तक आयोग ने ८५३ मामले निबटाये हैं। इन मामलों में गुप्त राशि ४० करोड़ रुपये की है तथा कर के रूप में २३ करोड़ ७६ लाख रुपये प्राप्त होना है ।

श्री ए० सी० गुहा : इस आयोग ने अधिकतम कितना कर लगाया था ?

श्री त्यागी : मुझे खेद है कि मेरे पास उन समस्त मामलों की सूची नहीं है जिन्हें आयोग ने निबटाया है। मेरे पास उनका योग था जो कि मैंने सदन के सामने रख दिया है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या और मामलों की भी जांच हो रही है और यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है तथा उनकी कुल राशि क्या है ?

श्री त्यागी : गुप्त आय के कुल मामलों की संख्या १५९७ थी । इनमें से जो मामले आयोग को सौंपे गये थे उनमें से ९०९ मामले निबटा दिये गये हैं तथा उन मामलों की गुप्त राशि लगभग ४० करोड़ रुपये है अब भी ६८८ मामले निबटाने के लिए पड़े हुए हैं।

श्री बी० एस० मूर्ति : इन लम्बित मामलों की कुल गुप्त राशि कितनी है ?

श्री त्यागी : मैं पहले ही बतला चुका हूं कि उन मामलों की कुल राशि लगभग ४० करोड़ रुपये है जिनको समझौते या जांच द्वारा निबटा दिया गया है । यह बतलाना कठिन होगा कि लम्बित मामलों में कुल कितनी राशि अन्तर्गस्त है, क्योंकि अभी उनका अभिनिर्धारण नहीं हुआ है और जब तक उनका अभिनिर्धारण नहीं

हो जाता, तब तक मेरे लिए यह बतलाना असम्भव है कि कुल राशि कितनी होगी ।

श्री ए० सी० गुहा तथा **श्री टी० एन० सिंह** उठे —

उपाध्यक्ष महोदय : श्री टी० एन० सिंह ।

श्री ए० सी० गुहा : यह प्रश्न मेरा है, श्रीमान् ।

उपाध्यक्ष महोदय : होगा, किन्तु क्या मैं सदा आप को ही प्रश्न पूछने दूं ?

श्री टी० एन सिंह : क्या यह सच है कि इस गुप्त आय के मामले में जो बड़े बड़े व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हैं उनको अभी तक इस आयोग के सामने उपस्थित नहीं किया गया है ?

श्री त्यागी : ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे माननीय मित्र के पास इस सम्बन्ध में कुछ सूचना है । मैं उसे सुन कर प्रसन्न होऊंगा ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या यह सत्य नहीं है कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा ११८ में यह सिफारिश की है कि उन व्यक्तियों को जनता की जानकारी में लाया जाना चाहिये जो करारोपण का जानकर अपवंचन करने के दोषी हैं, और यदि हां, तो सरकार उनके नाम प्रकाशित क्यों नहीं कर रही है ?

श्री त्यागी : मेरे माननीय मित्र ने इस प्रश्न को फिर उठाया है इस लिए मैं उन्हें बतला दूं कि भूतकाल में हम ने एक आयकर संशोधन विधेयक पुर:स्थापित किया था, किन्तु दुर्भाग्यवश वह कालातीत हो गया । उसमें हमने विधान को इस प्रकार संशोधित करने की कोशिश की थी जिससे विभाग ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रकाशित कर सके । जब तक वह संशोधी विधेयक पारित नहीं हो जाता तब तक मेरे लिए उनके नाम बतलाना सम्भव न होगा ।

श्री ए० सी० गुहा : सदन के सामने इस समय जो आयकर संशोधन विधेयक प्रस्तुत है क्या सरकार का उसमें इस प्रकार का संशोधन करने का विचार है ?

श्री त्यागी : वर्तमान विधेयक में ऐसा संशोधन करना सम्भव न होगा क्यों कि वर्तमान विधेयक केवल बड़े विधेयक का एक अंग है । उसे पुर:स्थापित किया जा चुका है । वह प्रवर समिति अवस्था को पार कर चुका है अथवा मेरे विचार में अब सरकार के लिए कोई नया संशोधन करना सम्भव नहीं है ।

श्री ए० सी० गुहा: जांच आयोग द्वारा तीन वर्ष पूर्व निश्चित रूप से की गई इस सिफारिश के बावजूद भी सरकार इस सिफारिश को कार्यान्वित करना कैसे भूल गई ?

श्री त्यागी : सदन को यह भली भाँति ज्ञात है कि इस प्रकार के संशोधी विधेयक ..... (**अन्तर्बाधा**)

उपाध्यक्ष महोदय: क्या अब हम इसी प्रश्न पर बहस करते रहेंगे ?

श्री ए० सी० गुहा : बहस नहीं कर रहा हूं, श्रीमान् ।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि एक विधेयक पुर:स्थापित किया जा चुका है ..... (**अन्तर्बाधा**)

श्री ए० सी० गुहा : मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि सिफारिश को कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । वह सरकार पर एक प्रकार का सुझाव

लादने की कोशिश कर रहे हैं। यह प्रश्न का घन्टा है। परन्तु वह इसे संकल्प दिवस बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न।

श्री ए० सी० गुहा : परन्तु यह उपबन्ध संशोधी विधेयक में नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न।

श्री त्यागी : धन्यवाद, श्रीमान्।

भारतीय वायुसेना के अधिष्ठापनों का निरीक्षण

*६४२. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१ तथा १९५२ में कितनी विदेशी टोलियों ने हमारे वायुसेना अधिष्ठापनों तथा ट्रेनिंग स्थापनाओं का निरीक्षण किया, वे कौन कौन थीं तथा किन किन देशों से आई थीं ?

(ख) उनके आने का क्या उद्देश्य था ?

(ग) हमारी ट्रेनिंग तथा कार्यसम्पादन की कुशलता के सम्बन्ध में उनकी क्या राय थी ?

(घ) क्या सरकार का विचार उनकी रिपोर्ट की एक प्रति सदन पटल पर रखने का है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) निम्नलिखित आर० ए० एफ० विशेषज्ञों की तीन टोलियों ने भारतीय वायु सेना के अधिष्ठापनों का निरीक्षण किया :—

(१) यातायात कमान परीक्षा यूनिट।

(२) केन्द्रीय उड्डयन स्कूल परीक्षा टीम।

(३) केन्द्रीय लड़ाकू स्थापना टीम।

(ख) (१) भारतीय वायु सेना में ट्रेनिंग के स्तर का पुनर्विलोकन करने के लिये।

(२) भारतीय वायु सेना के शिक्षकों तथा यातायात वायुयानचालकों की परीक्षा लेकर उनको वर्गीकृत करने के लिये।

(३) नवीनतम वायुयान लड़ाकू विद्या के सम्बन्ध में हमारी वायु सेना के अधिकारियों को परामर्श देने के लिये।

(ग) हमारी ट्रेनिंग की कुशलता के सम्बन्ध में उनकी राय उत्साहजनक है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

श्री एच० एन० मुखर्जी : रक्षा मंत्रालय के कार्यकलाप के एक विवरण को देखने से पता लगता है कि भारतीय वायु सेना को आर० ए० एफ० के यातायात कमान वर्गीकरण टीम पर निर्भर रहना पड़ता था जो यातायात वायुयान चालकों की परीक्षा के लिए समय समय पर भारत आती रहती थी। क्या अब आर० ए० एफ० कैम्प टीम का भविष्य में भारत आना आवश्यक नहीं है ?

श्री सतीश चन्द्र : आत्म-निर्भर होने की दृष्टि से भारतीय वायु सेना में एक वायुयान चालक ट्रेनिंग तथा परीक्षा टीम बनाई गई है। फिर भी, आर० ए० एफ० से सलाह लेना जरूरी है तथा यह आशा की जाती है कि हमारी टीम बहुत शीघ्र कुशलतापूर्वक कार्य करने लगेगी और इस प्रकार की टीमों को बुलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कदाचित्, एक या दो टीमों को और बुलाने की आवश्यकता पड़े।

श्री एच० एन० मुखर्जी : पिछले सत्र में रक्षा उपमंत्री ने बतलाया था कि थाईलैण्ड में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सैनिक सहायता मंडल के कर्नल शेलडन तथा दो अन्य अधिकारी भारत आये थे और उन्होंने हमारे वायुसेना केन्द्रों को देखा था। इस समय हमें जो

उत्तर दिया गया है उसमें इस टीम के शामिल न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री सतीश चन्द्र : हमारे वायु सेना ट्रेनिंग केन्द्रों के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिए कोई टीम नहीं बुलाई गई थी । अन्य देशों से कुछ अधिकारी यहां इस देश में आते हैं और हो सकता है कि वे भी ट्रेनिंग केन्द्रों को देख लें ।

मशीन औजारों के मूल नमूने बनाने की फ़ैक्टरी

*६४३. **श्री एच० एन० मुखर्जी :** (क) क्या **रक्षा** मंत्री ८ दिसम्बर, १९५२ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४१६ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश करेंगे तथा यह बतलायेंगे कि क्या अब बम्बई में मशीनी औज़ार तथा नये हथियारों के मूल नमूने तैयार करने वाली एक फ़ैक्टरी खोल दी गई है ?

(ख) यदि हां, तो इस फैक्टरी की कुल अधिकृत, प्रार्थित तथा प्राप्त पूंजी कितनी है ?

(ग) क्या इसकी पूंजी, प्रबन्ध अथवा नियंत्रण में किसी विदेशी फर्म का हाथ है यदि हां, तो वे कौन सी फर्में हैं ?

(घ) किन किन शर्तों के अन्तर्गत यह विदेशी फर्में भाग ले रही हैं तथा उन फर्मों के प्रति भारत सरकार का क्या उत्तर-दायित्व है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां, १३ जनवरी, १९५३ को अम्बरनाथ, बम्बई में ।

(ख) से (घ) आयुध-फ़ैक्टरी के रूप में रक्षा मंत्रालय द्वारा सरकार इस फक्टरी को सीध ही चला रही है तथा इसको कम्पनी के रूप में पूंजीकृत नहीं करवाया गया है । अतः अधिकृत, प्रार्थित या प्राप्त पूंजी का प्रश्न ही नहीं उठता ना ही इसकी पूंजी, नियंत्रण अथवा प्रबन्ध में किसी विदेशी फर्म का हाथ है । यह फैक्टरी मैसर्स ओरलीकोन मशीन टूल वर्क्स बर्ले एण्ड कम्पनी, ज़ूरिच, स्वीटज़रलैण्ड की सहायता से स्थापित की गई थी, जिसको एक करार के अनुसार इस फैक्टरी के स्थापित कराने के लिए सरकार का टेकनिकल परामर्श-दाता नियुक्त किया गया था तथा उस पर इस बात की जिम्मेदारी भी थी कि वह फैक्टरी के लिए संयंत्र और मशीनों का प्रबन्ध करे, उनको खड़ा करे, प्रारम्भिक अवस्था में फैक्टरी चलाने के लिए टेकनिकल कर्मचारियों की व्यवस्था करे तथा भारतीय कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे जिससे यह कर्मचारी शीघ्र से शीघ्र सारी फैक्टरी को चलाने का काम अपने हाथ में ले लें । फैक्टरी के लिए इमारत तथा रहने के लिए मकान सैनिक इंजीनियरिंग सेवा ने बनाये थे ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या कुछ वर्ष पूर्व इस प्रकार की व्यवस्था थी कि चैकोस्लोवाक सरकार के विशेषज्ञ मंडल के साथ बातचीत करके भारत में उनकी सलाह से एक मशीनी औज़ार की फ़ैक्टरी स्थापित की जाये और यदि हां, तो स्वीटज़रलैण्ड द्वारा दी गई विशेषज्ञ सलाह के पक्ष में उस योजना को क्यों छोड़ दिया गया ?

श्री सतीश चन्द्र : मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि माननीय सदस्य का निर्देश किस ओर है । ओरलीकोन्स के साथ हम ने तीन वर्ष पूर्व ही करार कर लिया था । इस समय से पूर्व क्या हुआ था इसका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या मैं यह मान लूं कि तीन वर्ष पूर्व चैकोस्लोवाकिया

द्वारा दी जाने वाली विशेषज्ञ सहायता से एक मशीनी औज़ार फैक्टरी स्थापित करने की योजना थी ?

श्री सतीश चन्द्र : मैं कुछ भी नहीं जानता ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या इस फैक्टरी में लागत लेखा पद्धति जारी करने का विचार है जिससे लाभदायक उत्पादन हो सके ?

श्री सतीश चन्द्र : फैक्टरी ने हाल ही में उत्पादन आरम्भ किया है । इस अवस्था पर कोई लागत लेखा नहीं रखा जा सकता है ।

श्री टी० एन० सिंह : परन्तु क्या सरकार ने लागत लेखा रखने के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था की है । आखिरकार, जब फैक्टरी उत्पादन आरम्भ कर देगी तो ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता होगी ।

श्री सतीश चन्द्र : यदि आवश्यकता हुई तो प्रबन्ध कर दिया जायेगा ।

भूतपूर्व सैनिकों की संस्थाएं

*६४४. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों की कितनी संस्थाओं अथवा संगठनों को स्वीकार किया जा चुका है ?

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याण योजनाएं लागू करने में क्या सरकार इन संस्थाओं से परामर्श करती है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) तथा (ख). केवल एक भूतपूर्व सैनिक संस्था अर्थात् अखिल-भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक कल्याण संस्था, नई दिल्ली को स्वीकार किया गया है । रक्षा मंत्रालय भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष से. भारत में बसे गोरखा भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण पर, व्यय करते समय इस संस्था से परामर्श करता है । मैं सदन पटल पर एक विवरण रखता हूं जिसमें इस संस्था से परामर्श करने के पश्चात् लागू की गई योजनाओं का उल्लेख किया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १]**

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या भूतपूर्व सैनिकों की और भी संस्थाएं हैं जिनसे सरकार परामर्श कर सकती है ?

सरदार मजीठिया : साधारणतः सारे देश में सैनिक, नाविक, और वायुयान चालकों की संस्थाएं कार्य कर रही हैं । इससे सम्बन्ध रखने वाली और कोई दूसरी संस्था नहीं है ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : जहां तक भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को सहायता देने का सम्बन्ध है क्या भूतपूर्व सैनिकों की अन्य संस्थाओं से सरकार परामर्श नहीं करती ?

सरदार मजीठिया : उन्हें एक दम भुला नहीं दिया जाता । प्रत्येक मामले पर उसके गुणों के अनुसार विचार किया जाता है तथा उचित सहायता दी जाती है ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : सहायता कार्य के लिए साधारणतः इस संस्था के पास कितनी राशि होती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य किसी विशेष संस्था का निर्देश कर रहे हैं ?

श्री एच० एन० मुखर्जी : श्रीमान्, केवल एक ही संस्था को स्वीकार किया गया है और वह है अखिल-भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक कल्याण संस्था ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): किसी भी संस्था को कोई भी राशि नहीं दी जाती । गोरखा सैनिकों के लिए विशेष प्रबन्ध है । जैसा कि सदन पर रखे हुए

विवरण से प्रतीत होता है, गोरखों के कल्याण पर एक लाख रुपया व्यय किया जाता है—संस्था को दिया नहीं जाता है । परन्तु संस्था से उसके खर्चे के बारे में परामर्श कर लिया जाता है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या भूतपूर्व सैनिकों की गैर-सरकारी संस्थाओं को सरकार से सहायता प्राप्त हो रही है ?

सरदार मजीठिया : रक्षा मंत्रालय को किसी गैर-सरकारी संस्था का ज्ञान नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सत्य नहीं है कि भूतपूर्व सैनिकों ने यातायात तथा व्यापार संस्थाएं बनाई हैं ?

सरदार मजीठिया : उन्होंने बनाई हों, किन्तु मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है ।

लोक-नृत्य की फिल्म तथा रेकार्ड बनाना

*६४५ **श्री एस० सी० सामन्त** : (क) **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत के विभिन्न भागों में होने वाले लोक-नृत्यों की, जो कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह पर राजधानी में दिखलाये गये थे, फिल्म तथा रेकार्ड बनाये जाने वाले हैं ?

(ख) यदि हां, तो इस ओर क्या पग उठाये गये हैं या उठाये जाने की सम्भावना है ?

(ग) क्या गणतंत्र दिवस समारोह में इसका प्रतिवर्ष आयोजन किया जाया करेगा ?

(घ) क्या इसका व्यय केन्द्र ने सहन किया है अथवा राज्यों ने भी हाथ बटाया है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) तथा (ख). एक रंगीन फिल्म बनाई गई है तथा शीघ्र ही सिनेमाओं में दिखलाई जायेगी ।

(ग) अगले वर्ष के समारोह के सम्बन्ध में अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

(घ) राज्यों ने अपनी अपनी टोलियां अपने खर्चे पर दिल्ली भेजी थी, किन्तु दिल्ली में उनके रहने और भोजन आदि का खर्चा केन्द्रीय सरकार ने सहन किया था ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या इन नृत्यों के साथ लोक संगीत भी था ?

श्री सतीश चन्द्र : जी हां, इनके भी रेकार्ड बना लिये गये हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या गणतंत्र दिवस पर ऐसे ही नृत्यों की राज्यों में भी व्यवस्था की गई थी ?

श्री सतीश चन्द्र : मुझे पता नहीं है । हो सकता है कुछ राज्यों ने ऐसे नृत्यों की व्यवस्था की हो ।

श्रीमती कमलेंदुमति शाह : बद्रीनाथ क्षेत्र के सम्बन्ध में फिल्म बनाने के प्रस्ताव का क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से कैसे उत्पन्न होता है ?

श्रीमती कमलेंदुमति शाह : यह फिल्मों के सम्बन्ध में है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): इसका गणतंत्र दिवस अथवा लोक-नृत्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है ; ना ही उस मंत्रालय से जो इसका उत्तर दे रहा है ।

कोयला क्षेत्रों के भूतत्वीय नक्शे

*६४६. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या योजना आयोग द्वारा रखे गये सुझाव के अनुसार कोयला क्षेत्रों के भूतत्वीय नक्शे बनाने की योजना तैयार कर ली गई है, और यदि हां, तो इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा ?

(ख) इस कार्य के लिए किसको रखा गया है तथा इसमें कुल कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख) : जी हां । भारत का भूतत्वीय परिमाप विभाग इस कार्य को कर रहा है तथा वही इसको करता रहेगा । भारतीय खान कार्यालय छेद करने में सहायता देगा ।

भारत के भूतत्वीय परिमाप विभाग के संचालक ने बतलाया है कि कोई भी भूतत्वीय नक्शा बनाने अथवा परिमाप करने का काम विशेषकर कोयले के सम्बन्ध में, समाप्त नहीं समझा जा सकता क्योंकि काम इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की जांच पड़ताल होनी है तथा किन किन बातों को जानने की आवश्यकता है । नई खानों की खुदाई से नई बातें मालूम होती हैं जिनको समय समय पर बड़े पैमाने पर नक्शों में फिर से निर्धारित करना पड़ता है।

अतः यह बतलाना सम्भव नहीं है कि कुल कितना खर्चा होगा क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितना समय लगेगा, कितने कर्मचारियों तथा उपकरणों की आवश्यकता होगी तथा कितना दौरा करना होगा ।

श्री के० सी० सोधिया : "भूतत्वीय नक्शे" का क्या अर्थ है ?

उपाध्यक्ष **महोदय** : जिन माननीय सदस्य ने इस प्रश्न की सूचना दी है उन्हें तो यह अवश्य ही मालूम होगा ।

श्री के० सी० सोधिया : मैं "भूतत्वीय नक्शे" का ठीक ठीक अर्थ जानना चाहता हूं ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : भूतत्वीय नक्शे में उस क्षेत्र का भूतत्वीय निर्माण बताया गया होता है ।

श्री मेघनाद साहा : भारत के भतत्वीय परिमाप के प्रकाशित होने की अन्तिम तिथि क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं अन्तिम तिथि नहीं बतला सकता हूं । मुझे पूर्व-सूचना चाहिये ।

श्री मेघनाद साहा : क्या माननीय मंत्री को यह मालूम है कि वर्ष १९४८ से भारत का कोई भूतत्वीय परिमाप प्रकाशित नहीं हुआ है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे मालूम नहीं है, किन्तु मैं इस के बारे में मंत्रालय से पूछताछ करके माननीय सदस्य को सूचना दे दूंगा ।

श्री मेघनाद साहा : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि यदि प्रकाशन इतनी देर से हुए तो यह देश के हित में न होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तो सूचना दे रहे हैं ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या सरकार का विचार भारत के भूतत्वीय परिमाप की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने का है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां ; हमारा विचार सावधिक रिपोर्टें प्रकाशित करने का है ।

सुधार संस्थाओं के प्रशासन के लिये राष्ट्रीय कार्यालय

*६४७. **श्रीमती जयश्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २२ जुलाई १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०१६ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश करने की कृपा करेंगे तथा बतलायेंगे कि सुधार संस्थाओं के प्रशासन के लिए राष्ट्रीय कार्यालय स्थापित करने

के सम्बन्ध में, जैसा कि जेलों के महा-निरीक्षकों की एक बैठक में पारित किये गये संकल्प में उल्लेख किया गया था, क्या सरकार को अब तक राज्य सरकारों की रायें प्राप्त हो चुकी हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : समस्त राज्य सरकारों की रायें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं । जब सब रायें प्राप्त हो जायेंगी तो इस प्रश्न पर आगे विचार किया जायेगा ।

श्रीमती जयश्री : किन किन सरकारों ने स्वीकारात्मक उत्तर भेजे हैं ?

श्री दातार : मैं उन राज्यों के नाम बतला सकता हूं जिन्होंने उत्तर नहीं भेजे हैं । पश्चिमी बंगाल, बिहार, यू० पी०, पंजाब, सौराष्ट्र, भोपाल, दिल्ली, पेप्सू, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, मैसूर तथा मद्रास से अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं ।

आयकर अपील अधिकरण की पटना बेंच

*६४८. **श्री अनिरुद्ध सिन्हा** : (क) **विधि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि आयकर अपील अधिकरण की पटना बेंच को कलकत्ते ले जाने अथवा समाप्त कर देने का कोई प्रस्ताव है ?

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) तथा (ख). इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पटना बेंच के सामने मामलों की संख्या घट रही है, आयकर अपील अधिकरण की पटना बेंच को कलकत्ते भेजने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

विस्थापित व्यक्तियों की व्यवसायिक तथा टेकनिकल ट्रेनिंग के सम्बन्ध में नियुक्त की गई कमेटी की रिपोर्ट

*६४९. **सरदार ए० एस० सहगल** : (क) **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों की व्यवसायिक तथा टेकनिकल ट्रेनिंग के सम्बन्ध में नियुक्त की गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है ?

(ख) कमेटी के सदस्य कौन कौन थे तथा अब तक उस कमेटी ने कितने राज्यों तथा केन्द्रों का दौरा किया है ?

(ग) अब तक कितने ऐसे विस्थापित व्यक्तियों ने ट्रेनिंग प्राप्त करना आरम्भ कर दिया है तथा उनमें से महिलाएं कितनी हैं ?

(घ) कोर्स कब समाप्त होगा ?

पुनर्वास उपमंत्री श्री जे० के० भोंसले : (क) जी हां ।

(ख) कमेटी में निम्नलिखित सदस्य थे —

(१) श्री मेहर चन्द खन्ना, सलाहकार, पुनर्वास मंत्रालय—सभापति

(२) श्री चन्दूलाल पी० परीख, एम० पी०—सदस्य

(३) श्री एल० सी० जैन, आई० सी० एस० पुनःसंस्थापन तथा सेवानियोजन के महा-संचालक, श्रम मंत्रालय—सदस्य

(४) श्री सी० एन० सेन, उपसचिव, पुनर्वास मंत्रालय—सदस्य-सचिव

इसने चार राज्यों, पुरुषों तथा महिलाओं को टेकनिकल तथा व्यवसायिक ट्रेनिंग देने वाले ५३ केन्द्रों, निराश्रित महिलाओं के ११ आश्रमों तथा अपाहिजों के दो आश्रमों को देखा ।

(ग) १ अगस्त, १९५२ तक ७९,००० विस्थापित व्यक्ति ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं जिनमें ३४,००० महिलाएं थीं ।

(घ) प्रत्येक व्यवसाय के लिए ट्रेनिंग की अवधि भिन्न भिन्न है ।

श्री एस० एन० दास : इस कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं उनकी मुख्य बातें क्या हैं; उसने इस योजना को समाप्त करने की सिफारिश की है या जारी रखने की ?

श्री जे० के० भोंसले : मंत्रालय में रिपोर्ट पर विचार हो रहा है ।

गंगानगर में विस्थापित व्यक्तियों को की गई जमीनों की बांट का रद्द किया जाना

*६५०. **श्री पी० एल० बारूपाल** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) ज़िला गंगानगर में कितने विस्थापित व्यक्तियों की ज़मीनों को बांट कर रद्द कर दिया गया है ;

(ख) इस निर्णय के विरुद्ध कितनी अपीलें अभी चल रही हैं ;

(ग) क्या पंजाबी विस्थापित व्यक्तियों को ज़मीनों के दिए जाने के बारे में कोई विशेष आदेश जारी किया गया था ; तथा

(घ) यदि हां, तो इसके कारण ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) और (ख). जो इत्तिला मांगी गयी है उस को इकट्ठा किया जा रहा है और उस को हाउस की टेबुल के ऊपर रख दिया जायेगा ।

(ग) जी हां, एक हुक्म जारी हुआ था कि जिस से वे पंजाबी जिन को पंजाब और पैप्सू के बाहर जमीन दी गयी थी उन को इस बात का हक़ दिया जाय कि वे पंजाब और पैप्सू के बाहर वाली अपनी जमीन का अलाटमेंट क़ायम रखें, और पंजाब और पैप्सू के अन्दर जो उन को अलाटमैंट हुआ है उस को ख़ारिज करा लें ।

(घ) यह मुनासिब समझा गया कि वे पुरुषार्थी जो कि पंजाबी हैं और जिन को पंजाब और पैप्सू से बाहर जगह दी गयी है उन को वहां से हटाया न जाय ।

श्री पी० एल० बारूपाल : अगर पंजाबी पहले से ही वहां बैठे हैं तो बाहर से क्यों भेजे गये ? पहले जो पंजाबी बैठे हैं, उन को जमीन क्यों नहीं अलाट की ?

श्री ए० पी० जैन : ऐसा नहीं हुआ है ।

श्री पी० एल० बारूपाल : इन कैंसिल हुई जमीनों में कितने आदमियों ने कब्जा नहीं दिया ?

श्री ए० पी० जैन : इस के बारे में तो कोई इत्तला नहीं है । लेकिन जहां पर अलाटमैंट हुआ है वहां कब्जा दिया गया है ।

श्री पी० एल० बारूपाल : क्या इस विषय में कई झगड़े हुए हैं और कई कत्ल भी हुए ?

श्री ए० पी० जैन : न कोई क़त्ल हुआ और न कोई झगड़ा हुआ है ।

ट्रेनर वायुयान

*६५२. **श्री विट्टल राव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) गणतंत्र दिवस परेड १९५३ की उड़ान में जिन ६ ट्रेनर वायुयानों ने भाग लिया था वे भारत ही में बने थे अथवा उन्हें केवल यहां पर जोड़ कर तैयार किया गया था ;

(ख) इन वायुयानों के कौन कौन से भाग भारत में बनाये गये थे तथा कौन कौन से भाग तथा किस किस देश से आयात किये गये थे ;

(ग) प्रत्येक वायुयान के लिए भारत में बने भागों तथा बाहर से आयात किये गये भागों की कुल लागत क्या थी ; तथा

(घ) भारत को वायुयान के समस्त भाग बनाने में अभी कितना समय लगेगा तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) ये वायुयान भारत में बनाये गये थे ।

(ख) इंजन तथा औज़ारों को छोड़ समस्त भाग भारत में बनाये गये थे । इंजन और औज़ार इंग्लैण्ड से आयात किये गये थे ।

(ग) वायुयान की वास्तविक लागत बतलाना ठीक नहीं समझा जाता । जिन भागों को आयात करना पड़ा था वे मूल्य में केवल १० प्रतिशत बैठते हैं ।

(घ) यह बतलाना कठिन है कि भारत में वायुयान के समस्त भाग कब तक बनने लगेंगे । यद्यपि ऐसे भागों का प्रतिशतक थोड़ा है, फिर भी, उनके इस देश में बनाये जाने के लिए अन्य बहुत से सहायक उद्योगों के विकास की आवश्यकता है ।

श्री विट्टल राव : क्या यह सत्य है कि फैक्टरी के कुछ टेकनिकल अधिकारियों ने सरकार को यह संकेत दिया है कि समस्त भाग भारत में बनाये जा सकते हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : जी हां, भारत में सब चीजें बनाई जा सकती हैं यदि हमारे पास साधन हों ।

श्री रघुनाथ सिंह : कितने दिन में यह रिसोर्सेज हमारे पास आ जायेंगे ?

श्री सतीश चन्द्र : मैंने प्रश्न के उत्तर में कहा कि यह बहुत कुछ हमारे उद्योगीकरण के ऊपर निर्भर करता है । जितनी जल्दी इस देश में औद्योगिक उन्नति होगी उसके साथ साथ यह भी हो सकेगा ।

श्री जी० एस० सिंह : इस समय इस प्रकार के प्रति वर्ष कितने वायुयान बनाये जाते हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक अर्थात् ३१ मार्च तक लगभग ३० वायुयान बनाये जा चुकेंगे ।

श्री जी० एस० सिंह : यदि इंग्लैण्ड से वायुयानों को अलग अलग भागों में आयात करके यहां जोड़ कर तैयार करना बन्द कर दिया जाय तो क्या उत्पादन बढ़ाया जा सकता है ?

श्री सतीश चन्द्र : वायुयान बनाने के लिए विशेष प्रकार के औज़ारों की आवश्यकता होती है । एक वायुयान बनाने के औज़ारों को दूसरे वायुयान के बनाने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता । अतः कितने वायुयान बनाये जा सकते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इस विशेष प्रकार के वायुयान को बनाने के लिए कितने साधन जमा कर पाते हैं ।

श्री जी० एस० सिंह : इस विशेष वायुयान में किस प्रकार का इंजन प्रयोग किया गया था ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है ।

श्री सतीश चन्द्र : मुझे इस समय उसका नाम याद नहीं है ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहलाल नेहरू) : अन्य देशों में प्रयोग किये जाने वाले नियमित प्रकार के वायुयानों को जोड़कर तैयार करने या उनके एकस्व अधिकार खरीद लेने आदि का प्रश्न नहीं है । यहां तो भारत में नये नमूने का वायुयान बनाने का प्रश्न है ।

महत्वपूर्ण बात है नमूना तैयार करना न कि भागों को जोड़कर वायुयान बनाना। अतः इस समय हम जिसके ९० प्रतिशत भाग बना रहे हैं और १० प्रतिशात बाहर से आयात कर रहे हैं उस वायुयान का नमूना मूल-रूप से भारत ही में तैयार किया गया है। निस्सन्देह, यह १० प्रतिशत भाग भी हम बना सकते हैं यदि उन भागों के लिए पृथक् रूप से फैक्टरियां स्थापित हो जायें। यह कुछ कठिन बात है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं है कि धीरे धीरे हम उन्हें भी बनाने लगेंगे।

श्री मेघनाद साहा : उन सहायक उद्योगों के नाम क्या हैं जिनके स्थापित किये जाने से, जहां तक कच्चे माल का सम्बन्ध है, यह वायुयान फ़ैक्टरियां आत्म-निर्भर हो जायेंगी ?

श्री सतीश चन्द्र : इस देश में जो यन्त्र नहीं बनाये जाते हैं वे सब उड़ान के यंत्र हैं जेसे एयरस्पीड इन्डीकेटर, अर्टीफ़ीशियल होराइज़न, डायरेक्शनल ग्यारो, टर्नएन्ड बैन्क इन्डीकेटर, एलटीमीटर तथा अन्य इंजन के यंत्र। यंत्रों को बनाने के लिए विशेष हुनर की आवश्यकता है। अन्य देशों में भी इन यंत्रों को वायुयान बनाने वाले नहीं बनाते; उन्हें सहायक उद्योग तैयार करते हैं।

श्री मेघनाद साहा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे यहां बहुत सी राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं और जबकि विशेष-कर उनमें से एक का उद्देश्य ही इसी प्रकार के यंत्र बनाना है, तो क्या इस देश में ऐसे यंत्र बनाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री सतीश चन्द्र : अभी तक तो कुछ भी नहीं किया गया है किन्तु उन्हें धीरे धीरे बनाने का विचार है।

श्री जोशिम अल्वा : क्या माननीय मंत्री को यह मालूम है कि इंजन वायुयान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है तथा सदन में यह अनेक बार मांग की जा चुकी है कि हमारे अपने देश में इंजन बनाये जाने चाहियें, इसलिए, क्या वह इंग्लैण्ड के अलावा इस भाग को और कहीं पर बनवाने की व्यवस्था करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब कार्य-वाही के लिए सुझाव हैं।

श्री मेघनाद साहा : इन यंत्रों का बनाना आरम्भ करने के लिए क्या राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को कोई निदेश भेजा गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अब तक ऐसा नहीं किया गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जो कुछ प्रो० साहा कह रहे हैं वह महत्वपूर्ण है, और इसमें सन्देह नहीं है कि कार्यवाही की जानी चाहिए। परन्तु यह एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि हम एक विशेष कार्य के लिए एक विशेष फ़ैक्टरी खड़ी करते हैं, किन्तु ऐसा करना बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि उसे अन्य कार्यों के लिए भी प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है। साधारणतः अन्य देशों में बहुत से छोटे छोटे और उद्योग फैले होते हैं जिनको यदि इकट्ठा किया जाये तो वे नई चीज़ बन जाते हैं। यहां तक कि अमेरिका में भी एक ही फ़र्म मोटर कार नहीं बनाती। आप बड़ी बड़ी फ़र्मों के नाम सुनते हैं, किन्तु बहुत सी छोटी छोटी फ़र्में भी होती हैं जो छोटे छोटे भाग बनाती हैं। हमारे यहां वैसी छोटी छोटी फ़र्में कार्य नहीं कर रही हैं। यदि हम उस कार्य के लिए एक फ़ैक्टरी कायम कर दें तो वह लाभदायक सिद्ध न होगी। लाभ इसी में है कि हम इस बात का पता लगायें कि न केवल हम अपनी प्रयोगशालाओं से क्या

कर सकते हैं बल्कि जैसा कि एक माननीय सदस्य कह रहे थे हमें मशीनी औज़ार मूल नमूना फ़ैक्टरी की ओर भी ध्यान देना चाहिए ——हम उस को इस कार्य के लिए कहां तक प्रयोग कर सकते हैं।

श्री मेघनाद साहा : यदि ग़ैरसरकारी छोटी छोटी फ़ैक्टरियां इस प्रकार का कार्य कर रही हों तो क्या सरकार उन फ़ैक्टरियों की सहायता करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : निस्सन्देह हम उनके बारे में जानना चाहेंग ।

अनुसूचित जातियों के लिए छात्रवृ

६५३. **श्री क० सी० जैना** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के विद्यार्थियों को केन्द्रीय छात्रवृत्ति बोर्ड से वर्ष १९५२ के अन्त तक उत्तरमैट्रीक छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई; तथा

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो सरकार इन छात्रवृत्तियों को शीघ्र से शीघ्र कब तक भेजने का विचार रखती है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी नहीं, उन मामलों को छोड़कर जिनमें प्रार्थना पत्र अधूरे थे या नवम्बर १९५२ में मंजूर किये गये अतिरिक्त धन स दिये जाने वाले इनाम थे या नामंजूर किये गये प्रार्थनापत्रों से बचे धन में से दी गई छात्रवृत्तियां थीं, प्रथम अर्ध-वार्षिक किस्तें दिसम्बर, १९५२ के समाप्त होने से पूर्व ही भेज दी गई थीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या इन छात्रवृत्तियों को त्रैमासिक किस्तों में भेजा जाता है ?

श्री के० डी० मालवीय : अर्ध-वार्षिक किस्तों में ।

श्री संगण्णा : उड़ीसा राज्य से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा कितनों को निबटाया गया तथा कितने अब भी पड़े हुए हैं तथा जो प्रार्थना पत्र निबटाये गये हैं उनमें से कितनों को स्वीकार कर लिया गया है तथा प्रत्यक विद्यार्थी को कितनी छात्रवृत्ति दी गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : एक साथ चार प्रश्न ।

श्री के० डी० मालवीय : जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं उनके बारे में मैं राज्यवार आंकड़े नहीं बतला सकता हूं किन्तु कुल १०,७७५ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मद्रास राज्य से कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं तथा कितनों को स्वीकार कर लिया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास राज्यवार सूचना नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या यह सत्य है कि आन्ध्र मेडिकल कालेज, विज़गापट्टम् के डाक्टरी छात्रों ने अपने अपने प्रार्थनापत्र प्रिन्सिपल से सिफ़ारिश करवा कर भेजे हैं तथा उनमें अधिकतर को मंजूर नहीं किया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : यदि माननीय सदस्य इन बातों को विस्तार में जानना चाहते हैं तो यदि वह मेरे पास आयें तो मैं उन्हें बतला सकता हूं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मंत्रालय के पास इस प्रकार की शिकायतें आई हैं कि छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को

रहने और खाने तथा कालेज की फ़ीस न देने के लिए निकाल देने की धमकी दी गई है क्योंकि विद्यार्थी अपनी छात्रवत्ति समय पर प्राप्त न कर सके थे ?

श्री क० डी० मालवीय : मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री बादशाह गुप्त : अगली अर्ध-वार्षिक किस्त कब दी जायेगी ?

श्री के० डी० मालवीय : दूसरी अर्ध-वार्षिक किस्त अगले महीने दी जाने वाली है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या यह सत्य है कि इन विद्यार्थियों को जो राशि दी जाती थी उसमें वर्ष प्रति वर्ष कमी की जा रही है और यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : कुल राशि में ?

श्री बी०एस० मूर्ति : प्रत्येक विद्यार्थी को दी जानें वाली कुल राशि में ।

श्री के० डी० मालवीय : कुछ मामलों में प्रत्येक विद्यार्थी को दी जाने वाली राशि कम कर दी गई है किन्तु छात्रवृत्तियों की कुल राशि को बढ़ा दिया गया ह ।

श्री बी० एस० मूर्ति : पिछले वर्ष एक डाक्टरी विद्यार्थी को ९०० रुपये दिये जाते थे । किन्तु इस वर्ष केवल ६०० रुपये दिये जा रहे हैं । उसी कोर्स के लिए वर्ष प्रति वर्ष राशि में कमी करन के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधम तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : इस बारे में अगर सवाल किया जायेगा तो ज़वाब दे दिया जायेगा । इस वक्त हमारे पास ज़रूरी इन्फ़ारमेशन नहीं ह ।

उपाध्यक्ष महोदय : खर्च की जाने वाली कुल राशि पहले से अधिक है ।

श्री वीरस्वामी : क्या इस सम्बन्ध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देर से दी जाती हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : कुछ देर अवश्य हुई है किन्तु उनका कारण मैं पहले बतला चुका हूं ।

आदिम जाति मंत्रणा परिषदें

*६५५. **श्री नटवाडकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अब तक कितने राज्यों में आदिम जाति, मंत्रणा परिषदें बना दी गई हैं तथा उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : बिहार, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, मध्य भारत तथा राजस्थान में आदिम जाति मंत्रणा परिषदें बना दी गई हैं । बम्बई तथा हैदराबाद ने नियम तो बना लिये ह किन्तु यह सूचना नहीं दी है कि परिषदें वास्तव में बना दी गई हैं अथवा नहीं । पश्चिमी बंगाल में अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं फिर भी, राष्ट्रपति ने, राज्यपाल की सिफ़ारिश पर, अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण तथा विकास से सम्बन्ध रखने वाले मामलों पर सलाह देने के लिए आदिम ज़ाति मंत्रणा परिषद् कायम कर दी है ।

श्री नटवडाकर : क्या किसी ऐसी राज्य सरकार ने भी मंत्रणा परिषद् कायम की है जहां अनुसूचित क्षेत्र न हो ?

श्री दातार : केवल पश्चिमी बंगाल ही ऐसा क्षेत्र है ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या यह सत्य है कि मद्रास में परिषद् की पि ले एक वर्ष से कोई बैठक नहीं हई है तथा वह निर्जीव सी हो गई है ?

श्री दातार : हमारे पास कोई सूचना नहीं है ।

संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति

*६२०. **श्री एन० एल० द्विवेदी की ओर से श्री एस० सी० सामन्त द्वारा पूछा गया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किन्हीं निश्चित नियमों तथा विनियमों के आधार पर की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखने का विचार है;

(ग) ऐसे नियम तथा विनियम कब बनाये गये थे तथा क्या कभी उनको अधि-सूचित किया गया था, ; तथा

(घ) यदि हां, तो कब ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). उत्पन्न नहीं होते।

श्री एस० सी० सामन्त : संघ लोक सेवा आयोग में कितने ग़ैर सरकारी सदस्य नियुक्त किये जाते हैं?

श्री दातार : इस समय दो ग़ैर-सरकारी सदस्य हैं।

श्री एस० एन० दास : संविधान को कार्यान्वित करने के फ़लस्वरूप प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार संविधान के उपबन्धों में, सदस्यों की नियुक्ति तथा उनकी योग्यताओं के सम्बन्ध में, परिवर्तन करने का है ?

श्री दातार : सरकार यह अनुभव नहीं करती कि उन्हें परिवर्तित कर दिया जाये।

पंडित के० सी० शर्मा : विश्वविद्यालयों से तथा अनुभवी प्रशासकों की श्रेणी से कितने कितने सदस्य नियुक्त किये जाते हैं ?

श्री दातार : दो सदस्यों को शिक्षा सम्बन्धी अनुभव प्राप्त है।

श्री नानादास : इन लोक आयोगों में अनुसूचित जाति के लोगों के नियुक्त किये जाने पर क्या कोई प्रतिबन्ध है।

श्री दातार : दुर्भाग्यवश, इस समय अनुसूचित जाति का कोई सदस्य नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध है।

श्री दातार : कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री पी० एन० राजभोज : मैं पूछना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट के जो बहुत पड़े हैं, वह सिर्फ़ शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट के हैं या बैकवर्ड क्लास के लिए हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि किस ज़िले के लिए यह परिषदें या कमेटियां.....

श्री तातार: प्रश्न संघ लोक सेवा आयोग के सम्बन्ध में है।

श्री पी० एन० राजभोज : इसीलिए पूछ रहा हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट का जो बोर्ड बना है उसमें.....

उपाध्यक्ष महोदय : यह संघ लोक-सेवा आयोग के सम्बन्ध में है।

कछार नें लोगों को बसाना

*६२३. **श्री ए० सी० गुहा :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय चाय संस्था की कछार ज़िले में लोगों को बसाने की योजना का, हाल ही में पुनर्विलोकन किया है;

(ख) योजना कहां तक सफ़ल हुई है; तथा

(ग) क्या सरकार का बिचार पुनर्वास योजना के कार्यक्रम में कोई परिबर्तन करने का है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) पुनर्वास मंत्री ने अपने हाल के दौरे में कुछ बस्तियों को देखा था।

(ख) चाय बागीचों को भेजे गये मूलतः ३००१ परिवारों में से २१०६ परिवार अब भी वहां पर बिना किसी सरकारी सहायता के रह रहे हैं।

(ग) योजना एक ही बार में कार्यान्वित कर दी गई थी। जिन बस्तियों से शिकायतें आई हैं उनको पृथक् रूप से देखा जायेगा। तथा शिकायतों को दूर करने की कोशिश की जायेगी।

श्री ए० सी० गुहा : क्या योजना के कार्यक्रम में कोई परिवर्तन किया गया है ?

श्री ए० पी० जैन : मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि माननीय सदस्य का योजना के कार्यक्रम में परिवर्तन करने से क्या अभिप्राय है।

श्री ए० सी० गुहा : मेरे विचार में योजना के इस भाग को पहले स्वयं केन्द्रीय सरकार न कार्यान्वित किया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अब भी यह कार्य केन्द्रीय सरकार ही कर रही है या राज्य सरकारें कर रही हैं और यदि हां, तो यह परिवर्तन क्यों किया गया है ?

श्री ए० पी० जैन : कछार जिले में पुनर्वास का सारा काम आसाम सरकार को सौंप दिया गया है और यह योजना जो कि कछार जिले में कार्यान्वित की जा रही है उसे भी आसाम सरकार को ही सौंप दिया गया है।

श्री ए० सी० गुहा : इस परिवर्तन का कारण क्या है। केन्द्रीय सरकार को इसे कार्यान्वित करने में क्या आपत्ति थी ?

श्री ए० पी० जैन : यह सोचा गया कि परिवर्तन कर देने से वहां के पुनर्वास कार्य में सुधार हो जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उतर

घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार

*६२१. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (१९४७ का ११वां) के १९५२ में संशोधित किये जाने के पश्चात् से क्या न्यायालयों में कोई ऐसे मामले दायर किये गये हैं जिनमें घूस देने वाले का चालान करके सज़ा दी गई हो;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या क्या है; तथा

(ग) इस अधिनियम के अन्तर्गत होने वाले जांच अथवा मुकदमे में क्या कोई व्यक्ति ऐसा पाया गया है जिसके पास उतनी मात्रा से अधिक सम्पत्ति हो जितनी कि उसके पास होने की आशा की जा सकती है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां।

(ख) पांच (जनवरी १९५३ के अन्त तक)

(ग) जी हां; १९४७ से ३१ जनवरी १९५३ तक इस अधिनियम के अन्तर्गत की गई जांच के अनुसार इस प्रकार के ४७ मामलों का पता लगा था।

संघीय वित्तीय एकीकरण

*६२२. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघीय वित्तीय एकीकरण के फलस्वरूप भूतपूर्व भारतीय रियासतों से लिये गये कर्मचारियों में से कितने फ़ालतू घोषित कर दिये गये थे; तथा

(ख) इन फ़ालतू कर्मचारियों में से बाद में कितने नौकर रख लिये गये ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख) सूचना संग्रह की जा रही है तथा यथाशीघ्र सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

बंधक रखी गई घरेलू सम्पत्ति

*६२५. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने शहरों और कस्बों में बन्धक रखी गई समस्त घरेलू निष्क्रान्त सम्पत्ति को नीलाम करने का आदेश जारी कर दिया है ;

(ख) क्या अब तक इस प्रकार की कोई सम्पत्ति नीलाम की जा चुकी है ;

(ग) जिस व्यक्ति को ऐसी सम्पत्ति नियत होती है क्या अधिकतम दाम लगाने वाले को वह सम्पत्ति देने से पूर्व उस व्यक्ति के रहने का प्रबन्ध कर दिया जाता है;

(घ) क्या सरकार को ऐसे मामलों का पता लगा है जिनमें नीलाम के बाद उन व्यक्तियों को मकानों से निकाल दिया गया था जिन्हें वे पहले नियत किये गये थे तथा वे बिना किसी आश्रय के हो गये थे; तथा

(ङ) ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार क्या करने का विचार रखती है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी नहीं । स्वयं निष्क्रमणार्थी हित (पृथककरण) अधिनियम में निष्क्रमणार्थियों तथा ग़ैर-निष्क्रमणार्थियों के हितों के पृथक्करण के विभिन्न तरीक़ों की व्यवस्था है जिसमें नीलाम भी शामिल है ।

(ख) केवल एक राज्य में, अर्थात्, पंजाब में ४१ संयुक्त सम्पत्तियों का नीलाम किया गया है

(ग) सम्पत्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण होते हुए भी साधारण कानून के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों को ऐसे मकानों में रहने का अधिकार प्राप्त है वे नीलाम होने पर भी निष्क्रमणार्थी हित (पृथक्करण) अधिनियम के अन्तर्गत उनमें रह सकते हैं ।

(घ) तथा (ङ). सरकार का ध्यान किसी ऐसे मामले की ओर नहीं गया है जिसमें उन लोगों को निकाल दिया गया हो जिन्हें मकान नियत किये गये हों तथा इसीलिए इस प्रकार की कठिनाई को दूर करने के लिए किसी कार्यवाही के करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

तम्बाकू पर उत्पाद-कर

*६३१. **श्री गिडवानी** : (क) **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या हुक्के, चिलम और खाने की तम्बाकू पर उत्पाद कर ६ आने प्रति पौंड के हिसाब से लिया जाता है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि उस तम्बाकू पर जिसकी पत्तियों को देहाती अपने खाने के लिए डोरे से बांध कर लाते हैं १४ आने प्रति पौंड उत्पाद कर लिया जाता है ?

(ग) क्या सरकार को उत्तरी थाना जिला तम्बाकू संघ की ओर से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित ढंग से देहातियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले तम्बाकू पर इतना अधिक उत्पाद कर लगाने का विरोध किया गया है ?

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

(ङ) क्या थाना जिले में बीड़ी बनाने की फ़ैक्टरियां हैं ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : (क) हुक्के, चिलम तथा खाने के प्रयोग में

आने वाले तम्बाकू पर केन्द्रीय उत्पाद कर तथा नमक अधिनियम, १९४४, की पहली अनुसूची के पद ९ आई (६) के अन्तर्गत आने पौंड के हिसाब से उत्पाद कर लगाया जा सकता है किन्तु ऐसा तम्बाक बीड़ी में प्रयोग किये जाने के योग्य न होना चाहिए।

(ख) स्थानीय देहाती विभिन्न प्रकार के तम्बाकू को चाहे जिस भी प्रकार से प्रयोग करते हों किन्तु उससे उत्पाद कर लगाने की दर में परिवर्तन नहीं हो सकता है।

(ग) तथा (घ). अनुमानतः माननीय सदस्य उत्तरी थाना ज़िला तम्बाकू व्यापारी संघ, पालघर, ज़िला थाना का निर्देश कर रहे हैं जिसके पास से वर्ष १९५२ के दूसरे अर्ध भाग में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। संविधि के अन्तर्गत लगाये जाने वाले कर में कोई छूट नहीं दी जा सकती थी क्योंकि एसा करने से बम्बई राज्य के अन्य स्थानों पर उसी किस्म के तम्बाकू पर उत्पादन कर के लगाने में काफी गड़बड़ी हो जाती।

(ङ) जब उपरोक्त उल्लिखित अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था तो उस समय उस क्षेत्र में लगभग १५० छोटे बीड़ी बनाने वाले थे।

भारतीय सहकारी संघ, फरीदाबाद

*६३५. **श्री गिडवानी** : (क) पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि ारतीय सहकारी संघ द्वारा फरीदाबाद में चलाई जाने वाली फैक्टरियां बन्द कर दी गई थीं तथा आशय की सूचना संघ ने १५ जनवरी १९५३ को लगा दी थी ?

(ख) क्या यह सत्य है कि फैक्टरी में काम करने वाले लगभग ५०० मज़दूरों को महीने के अन्त तक की मज़दूरी दे दी गई है तथा प्राधिकारियों से फैक्टरियों का प्रबन्ध ले लेने के लिए कहा गया है ?

(ग) क्या यह सत्य है किसंघ की पर्याप्त मात्रा में ऋण नहीं दिया गया था ?

(घ) यदि हां, तो सहकारी संघ द्वारा ैक्टरियां बन्द कर देने के क्या कारण हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, किन्तु लगभग ४०० व्यक्ति काम पर लगे हुए थे।

(ग) तथा (घ). फरीदाबाद विकास बोर्ड ने भारतीय सहकारी संघ को फरीदाबाद में सहकारी आधार पर उद्योग चलाने के लिए २४ लाख रुपये का ऋण दिया था।

फ़रीदाबाद विकास बोर्ड भारतीय सहकारी संघ के कार्ष से असंतुष्ट था तथा लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में संघ के हिसाब-किताब के सम्बन्ध में घोर आपत्ति उठाई गई थी। संघ ने भी अपनी कुछ शिकायतें रखी थीं। संघ के उपसभापति के साथ पत्र व्यवहार तथा निजी रूप से बातचीत करके पुनर्वास मंत्री ने सदन पटल पर रखे गए विवरण में उल्लिखित उन शर्तों को भेज दिया जिस के अनुसार संघ को भविष्य में काम करना था। उन शर्तों को स्वीकार करने की बजाय संघ ने अन्तिम रूप से अपना काम बन्द कर देन का फ़ैसला कर दिया।

विवरण

भारतीय सहकारी सघ में भावी कार्यसचालन के सबन्ध में निबन्धन तथा शर्तें

(१) मंत्रालय पंजाब सरकार को इस बात पर राजी करने का प्रयत्न करेंगे कि वह संघ की सहायक समितियों के सम्बन्ध में

अधिकतम ऋण सीमा की शर्त को ढीला कर दे।

(२) भारतीय सहकारी संघ को दिये गये २४ लाख रुपये का पूरा हिसाब दिया जाय और यदि भारतीय सहकारी संघ ने और आगे भी कोई लेन-देन किया हो तो उसका भी हिसाब दिया जाये; इस हिसाब के हो जाने के पश्चात् यदि यह पाया जाता है कि भारतीय सहकारी संघ को कुछ देना है तो वह भी दे दिया जायेगा तथा भारतीय सहकारी संघ को अन्य राशियां भी दी जायेंगी जिन्हें उपक्रम चलाने के लिए आवश्यक समझा जायेगा।

(३) भारतीय सहकारी संघ द्वारा चलाये जाने वाले उद्योगों की परीक्षा होनी चाहिए जिससे यह तय किया जा सके कि इन उद्योगों में से बदली हुई परिस्थितियों, में अर्थात्, निर्माण से औद्योगिक कार्यों में परिवर्तन कौनसा उद्योग मजदूरों को काम दे सकता है। इसी प्रकार, उन उद्योगों की भी परीक्षा करना आवश्यक होगा जिनको स्थापित किया जाना है तथा यह भी निर्धारण करना होगा कि उनमें कितने व्यक्तियों को काम दिया जा सकता है। क्योंकि फ़रीदाबाद में काम करने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए नौकरी की व्यवस्था करने का भार फ़रीदाबाद विकास बोर्ड पर है, इसलिए, इस जांच में फ़रीदाबाद के प्रशासक को शामिल करना आवश्यक है।

(४) भारतीय सहकारी संघ द्वारा अब तक जो हानि उठाई गई है उसको निश्चित किया जायेगा तथा वित्त सम्बन्धी भावी आवश्यकताओं का निर्धारण किया जायेगा।

(५) भारतीय सहकारी संघ तथा फ़रीदाबाद विकास बोर्ड में और अधिक सहयोग होना चाहिए।

सामाजिक तनाव

*६३५. **श्री एम० आर० कृष्ण :** (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि डा० गार्डनर मर्फ़ी ने क्या सिफ़ारिशें की हैं जोकि सामाजिक तनाव के सम्बन्ध में आगे खोज करने के लिए सयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा भारत सरकार के टेकनिकल सलाहकार नियुक्त किये गये थे ?

(ख) किन किन राज्यों में सामाजिक तनावों के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने की व्यवस्था की जा रही है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) डा० गार्डनर मर्फ़ी से सरकार के पास सिफ़ारिशें भेजने के लिए नहीं कहा गया था। सामाजिक तनाबों के बारे में अनुसन्धान करने की योजना बनाने में उन्होंने केवल सलाहकार के रूप में कार्य किया था।

(ख) दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बगाल, बम्बई तथा मद्रास में अनुसन्धान कार्य किया जा रहा है।

राष्ट्रीय छात्र सेना

*६३९. **श्री टी० एस० ए० चेट्टियार :** क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम वर्ष में, जिसके कि आंकड़े उपलब्ध हों, राष्ट्रीय छात्र सेना के जूनियर तथा सीनियर डिवीज़नों में भर्ती किये गये छात्रों की संख्या राज्यवार क्या है; तथा

(ख) क्या इसको उन स्कूलों तथा कालेजों में भी लागू करने का विचार है जिनमें कि वह पहले से लागू नहीं है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) सदन पटल पर दो विवरण रखे जाते

हैं । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २]

(ख) जी हां, ज्यों ज्यों वित्तीय दशा सुधरती जायेगी ।

केन्द्रीय नमक अनुसंधान स्टेशन

*६४१. **श्री कस्लीवाल : प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सौराष्ट्र में केन्द्रीय नमक अनुसंधान स्टेशन बन कर तैयार हो गया है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : केन्द्रीय नमक अनुसंधान स्टेशन अभी योजना अवस्था में है तथा प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ।

नकली दूध

*६५१. **श्री एम० इस्लामुद्दीन : प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने सार्वजनिक प्रयोग के लिए मूंगफली से बड़े पैमाने पर नकली दूध तैयार करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : केन्द्रीय खाद्य टेकनालाजिकल अनुसंधान संस्था, मैसूर द्वारा बताये गये तरीके से मूंगफ़ली का दूध बनाने तथा मूंगफ़ली के दूध से तैयार की जाने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने एकस्व-पत्र प्राप्त कर लिया है । उसके औद्योगिक प्रयोग का प्रश्न विचाराधीन है ।

पूर्वी बंगाल से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों को बसाना

श्री एम० इस्लामुद्दीन : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२ में पूर्वी बंगाल से जो विस्थापित व्यक्ति आये थे उनमें से सरकारी तौर पर बिहार में कितने लिये गये थे ?

(ख) सीमा पार करके कितने ग़ैर-सरकारी तौर पर बिहार में घुस आये थे ?

(ग) इस प्रकार आये हुए कितने विस्थापित व्यक्ति इस समय पुर्निया ज़िले में हैं ?

(घ) उन्हें पुर्निया ज़िले में कैसे और कहां पर बसाया जायेगा ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (घ). सूचना संग्रह की जा रही है तथा यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

पुनर्वास वित्त प्रशासन के कर्जदार

४७०. **श्री भीखाभाई :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य में पुनर्वास वित्त प्रशासन के कितने कर्जदार हैं, तथा

(ख) उन्हें कितनी राशि दी गई है ।

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) तथा (ख). १५ फरवरी १९५३ तक पुनर्वास वित्त प्रशासन ने राजस्थान के विस्थापित व्यक्तियों के ११९६ आवेदन पत्र मंजूर किये थे जिनको मिलाकर कुल राशि ८१.५२ लाख रुपये की थी । ऋण, वास्तव में, ६१३ मामलों में दिया गया था तथा अब तक ३६.८५ लाख रुपये दिये जा चुके हैं ।

भारतीय दर्शन का इतिहास

४७१. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय दर्शन का इतिहास लिखने पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है; तथा

(ख) वह कौन सी तारीख तक प्रकाशित किया जायेगा ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जैसा कि पुस्तक के शीर्षक से ही ज्ञात हो जायेगा अर्थात् "दर्शन का इतिसाह—पूर्वी तथा पश्चिमी", इसका क्षेत्र केवल भारतीय दर्शन तक ही सीमित नहीं है । अब तक इस पर ३०,१८४ रुपये व्यय किये जा चुके हैं ।

(ख) आशा की जाती है कि यह १२ मार्च, १९५३ को प्रकाशित कर दी जायेगी ।

संघ लोक सेवा लायोग को निर्दिष्ट मामले

४७२. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९४७ से अब तक संघ लोक सेवा आयोग को सरकारी कर्मचारियों के कितने मामले, सरकार की इच्छा से या कर्मचारियों की मुअत्तिली, बरखास्तगी या उन्हें उनकी किसी भूलचूक के लिए दिये गये किसी प्रकार के दण्ड के सम्बन्ध में की गई अपीलों के रूप में, निर्दिष्ट किये गये ;

(ख) उक्त मामले संघ लोक सेवा आयोग के पास कितने समय तक पड़े रहे ?

(ग) कितने मामलों में संघ लोक सेवा आयोग ने पहले निर्णयों को बदल दिया; तथा

(घ) कितने मामले अभी तक अनिर्णीत हैं और कितने कितने-दिनों से ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा शीघ्र सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

विस्थापित व्यक्तियों का सरकारी नौकरियों में लगाया जाना

४७३. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अगस्त १९४७ से अब तक नौकरी दिलाने वाले दफ्तरों की मार्फ़त या अन्यथा कितने विस्थापित व्यक्तियों को केन्द्रीय सरकार की नौकरियां दिलाई गईं ?

(ख) भाग (क) में निर्दिष्ट लोगों में से कितने अब भी नौकरियों में लगे हुए हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख) मैं माननीय सदस्य का ध्यान उन के ९ जुलाई, १९५२ को पूछे गए आतारांकित प्रश्न संख्या ३८० के सम्बन्ध में दिए गये अपने अन्तरिम उत्तर की ओर दिलाता हूं । मांगी गई जानकारी अभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुई है और ज्योंही वह पूरी प्राप्त हो जायेगी, वह इस प्रश्न के भाग (ख) में मांगी गई जानकारी के साथ सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय सांख्यकीय संस्था

४७४. **श्रीमती रेणुचक्रवर्ती** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार कलकत्ता स्थित भारतीय सांख्यकीय संस्था को वित्तीय सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितनी धन राशियां दी गई है;

(ग) ये अनुदान किन प्रयोजनों के लिये रखे गये हैं;

(घ) भारतीय सांख्यकीय संस्था में क्या कार्य किया जा रहा है; तथा

(ङ) इस समय वहां कितने आदमी काम कर रहे हैं और उनमें से कितने विदेशी हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) जी हां ।

(ख) १९४९-५०, १९५०-५१, १९५१-५२,
४,५०,००० ३,७५,००० ७,२५,०००.

(ग) भारतीय सांख्यकीय संस्था के अनुसंधान और प्रशिक्षण विद्यालय के लिये तथा भवन के निर्माण के लिये।

(घ) उक्त संस्था एक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान विद्यालय है जहां विशेष रूप से सांख्यकी की शिक्षा दी जाती है। यह विद्यार्थियों तथा अनुसंधान-कर्ताओं को प्रशिक्षण देती है तथा सांख्यकी सम्बन्धी कुछ डिप्लोमे देने के लिए परीक्षाएं भी आयोजित करती है। यह संस्था सांख्यकीय कार्यों के विशेष मदों की देखरेख भी करती है, जैसे राष्ट्रीय निर्दशन अधीक्षण, निर्माण करने वाले उद्योगों का अधीक्षण तथा संयुक्त एवं भारत सरकार द्वारा संयुक्त जन संख्या अध्ययन।

(ङ) इस संस्था में ६३० कर्मचारी काम कर रहे है, जिन में से दो विदेशी प्रोफेसर हैं।

केन्द्रीय शिक्षा संस्था

४७५. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय शिक्षा संस्था द्वारा सन् १९५२ में हाथ में लिया गया अनुसन्धान कार्य; तथा

(ख) पहले से ही प्रारम्भ अनुसंधान कार्यों में क्या अग्रेतर सुधार किये गये हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) तथा (ख) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५ अनबन्ध संख्या ३**]

झांसी का किला

४७६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हाल ही में सैनिक इंजीनियरों तथा जवानों ने झांसी के किले की मरम्मत की थी; तथा

(ख) यदि की थी, तो उस पर कितना व्यय हुआ ?

रक्षा उपमंत्री (**सरदार मजीठिया**) : (क) जी हां, मुख्यतः सेना श्रमिकों ने।

(ख) १०,४१६ रुपये केवल सामान पर ही।

विस्थापित व्यक्तियों के स्कूलों को अनुदान

४७७. **श्री बी० के० दास**: क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पूर्वी बंगाल से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों के बच्चों के लिए खोले गये प्राइमरी, मिडिल तथा सैकन्डरी स्कूलों को अब तक दिये गये आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक अनुदान ;

(ख) ऐसे कितने स्कूल पूर्ण रूप से सरकारी खर्चे से खोले गये हैं या चलाये जा रहे हैं; तथा

(ग) पूर्वी बंगाल से आये विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में प्राइमरी और हायर स्कूलों की कुल संख्या क्या है ?

पुनर्वास मंत्री (**श्री ए० पी० जैन**) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

स्थानीय निकायों के अधीन प्रारम्भिक शिक्षा

४७८. **श्री एस० एन० दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या प्रारम्भिक शिक्षा के प्रशासन में राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों के

सम्बन्ध की जांच करने तथा उस पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त की गई समिति के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा विचार किया जा चुका है; तथा

(ख) यदि हां, तो समिति की सिपारिशों पर क्या विनिश्चय किया गया है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद): (क) जी हां।

(ख) समिति की सिपारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और जानकारी तथा पथप्रदर्शन के लिए राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं ताकि वे अपनी विशेष परिस्थितियों तथा समस्याओं के प्रकाश में उन्हें कार्यान्वित कर सकें।

रक्षा कर्मचारियों का विघटन

४७९. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १५ अगस्त, १९४७ से अब तक रक्षा सेवाओं में से कितने रक्षा कर्मचारी निकाले गये--पदाधिकारियों तथा सैनिकों की संख्या अलग अलग;

(ख) १५ अगस्त, १९४७ से अब तक विभिन्न रक्षा सेवाओं में कितने निकाले गये सेना कर्मचारियों को पुनः रखा गया--पदाधिकारियों तथा सैनिकों की संख्या अलग अलग;

(ग) भिन्न भिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अब तक कितनों को भूमि देकर बसाया गया;

(घ) पुनर्संस्थापन तथा नियोजन के महानिदेशक के अधीन व्यावसायिक टेक्निकल प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा कितने पूर्व सैनिकों को भरती किया गया तथा प्रशिक्षण दिया गया;

(ङ) भिन्न भिन्न नौकरी दिलाने वाले दफ्तरों द्वारा कितने पूर्व सैनिकों को नौकरियां दिलाई गईं; तथा

(च) नौकरी दिलाने वाले दफ्तरों में रजिस्टर्ड कितने पूर्व सैनिकों के लिए नौकरियां अभी ढूंढी जानी हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) यह जानकारी देना लोकहित के लिए इष्टकर नहीं है।

(ख) पदाधिकारी....४४१*
सैनिक १,२१,३२२*

(ग) ६४४८. इसमें पूर्व देशी राज्यों की सेनाओं में से निकाले गये सेना कर्मचारी भी शामिल हैं।

(घ) २२,०३०

(ङ) ३,२६,६८१*

(च) २७,३०५*

* इन आंकड़ों में वे पूर्व-सैनिक शामिल हैं जो १५ अगस्त, १९४७ से पूर्व निकाले गय थे। १५-८-४७ के बाद निकाले गये व्यक्तियों के अलग आंकड़े नहीं हैं।

सैनिक, नाविक तथा वायुयान चालक बोर्ड पर भूतपूर्व-सैनिक सघों का प्रतिनिधित्व

४८०. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : (क) **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सैनिक, नाविक तथा वायुयान चालक बोर्ड पर भतपूर्व-सैनिक संघों को प्रतिनिधित्व दिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो कितने तथा किन किन केन्द्रों में ऐसा प्रतिनिधित्व दिया गया है तथा कितने तथाकिन किन केन्द्रों में ऐसा प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) तथा (ख)। केवल कुछ ही मामलों में भूतपूर्व सैनिक संघों को सैनिक, नाविक तथा वायु-

यान चालक बोर्डों पर प्रतिनिधित्व दिया गया है । जिन बोर्डों पर इस प्रकार का प्रतिनिधित्व दिया गया है वे यह हैं :

(१) पंजाब राज्य सैनिक, नाविक तथा वायुयान चालक बोड, शिमला ।

(२) ज़िला सैनिक, नाविक तथा वायुयान चालक बोर्ड, अल्मोड़ा-नैनीताल ।

(३) ज़िला सैनिक, नाविक तथा वायुयान चालक बोर्ड, दार्जिलिंग ।

(४) ज़िला सैनिक, नाविक तथा वायुयान चालक बोर्ड, कामरूप, गौहाटी ।

(५) ज़िला सैनिक, नाविक तथा वायुयान चालक बोर्ड, नौगोंग ।

(६) ज़िला सैनिक, नाविक तथा वायुयान चालक बोर्ड, शिलौंग ।

(२) जिन बोर्डों पर इस प्रकार का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है वे इस प्रकार हैं :

(१) राज्य सैनिक, नाविक तथा वायुयान चालक बोर्ड---लखनऊ, पूना, नागपुर, पटना, कलकत्ता, शिलौंग, कटक, जयपुर, पटियाला, जम्मू, त्रिवेन्द्रम ।

(२) जिला सैनिक, नाविक तथा वायुयान चालक बोर्ड—

पंजाब

अम्बाला, अमृतसर, फीरोजपुर, गुरुदासपुर, गुड़गांव, हिसार, होशियारपुर, जालन्धर, कांगड़ा, करनाल, लुधियाना तथा रोहतक

उत्तर प्रदेश

आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बहिराइच, बलिया, बनारस, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बुदायुं, बुलन्दशहर, देहरादून, देवरिया, एटा, इटावा, फैज़ाबाद फर्रुखाबाद (फतेहगढ़), गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, गढ़वाल (लैन्सडाउन), हमीरपुर, हरदोई, जालौन (ओरई), फतेहपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मिरजापुर, मुरादाबाद—बिजनौर (मुरादाबाद), मुज़फ्फरनगर, पिथोढ़ागढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सीतापुरखेरी---पीलीभीत (सीतापुर) , सुल्तानपुर, उन्नाव, रामपुर, टेहरीगढ़वाल (नरेन्द्रनगर) ।

बम्बई

एहमदाबाद, एहमदनगर, बेलगांव, बीजापुर, बड़ौदा, बम्बई, धरवार, पूर्वी खानदेश (जलगांव), कोलाबा (अलीबाग), कोल्हापुर, उत्तरी कनारा (करवार), नासिक, पूना, रत्नगिरि, सतारा दक्षिण (सांगली), सतारा, शोलापुर, सूरत तथा पश्चिमी खानदेश (धुलिया)

मध्य प्रदेश

अकोला, अमरौती, बिलासपुर, बुलदाना, छिनवाड़ा, होशंगाबाद, जबलपुर, नागपुर, सागर, रायपुर, यवतमाल ।

बिहार

भागलपुर—पुर्निया (भागलपुर), चम्पारान (मोतीहारी), दरभंगा, गया, गेर, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची-मनभूम, संथाल परगना (दुमका), सरन (छपरा), शाहाबाद (आरह), सिंगभूमि (छाईबासा)

पश्चिमी बंगाल

हावड़ा—हुगली (हावड़ा), कलकत्ता, सरकुलर रोड, २४-परगना (अलीपुर), मिदनापुर---बांकुड़ा (मिदनापुर), बर्दवान, नादिया, मुर्शिदाबाद, माल्दा, बीरभूमि, पाश्चमी दिनाजपुर (बर्दबान)

आसाम

कछार (सिल्चर), गोलपाड़ा (धुबरी), लुशाई हिल्स (गजल), नागा हिल्स (कोहिमा)

उड़ीसा

गंजम (बैरामपुर), कटक

राजस्थान

अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर।

पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ

भटिन्डा, फतहगढ़ साहेब—कोहिस्तान (फतहगढ़ साहेब), कपुरथला, पटियाला, संगरूर, मोहेन्द्रगढ़।

जम्मू तथा काश्मीर

अनन्तनाग—बारामूला (श्रीनगर), जम्मू, पूंच, कठुआ, रजौरी, उधमपुर

मैसूर

बंगलौर

दिल्ली

दिल्ली

अजमेर

अजमेर

हिमाचल प्रदेश

चम्बा, मन्डी, सिरमूर-महासू (नहान)

बिलासपुर (शिमला हिल्स)

बिलासपुर (शिमला हिल्स)।

विन्ध्य प्रदेश

रीवा

अन्य बोर्ड

सिक्किम (गंगटौक)

मनीपुर

मनीपुर—इम्फाल

हैदराबाद तथा मद्रास के ज़िला सैनिक, नाविक तथा वायुयान चालक बोर्डों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि इन बोर्डों पर केन्द्रीय बोर्ड का प्रशासनीय नियंत्रण नहीं है।

आयकर

४८१. **श्री के० के० बसू : वित्त** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४३-४४, १९४७-४८, १९४८-४९, १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५२-५३ (जनवरी तक) में आयकर से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई; तथा

(ख) कितनी छिपाई हुई आय का पता दिया गया है और अब तक उस पर कितनी राशि वसूल हुई है ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : (क) १९४३-४४, १९४७-४८, १९४८-४९, १९४९-५०, १९५०-५१, १९५१-५२ और अप्रैल १९५२ से जनवरी १९५३ में कुल आयकर १०५८ करोड़ ८६ लाख रुपये था। विस्तृत सूचना संलग्न विवरण संख्या १ में दी गई है।

(१९४७-४८ तथा उसके बाद के वर्षों के आंकड़े विभागीय आंकड़े हैं और उन्हें अभी भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है।)

(ख) सारे वर्षों के बारे में छिपी आय तथा वसूल किये गये कर के पूरे पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। एक विवरण जिसमें कुल छिपी हुई वह आय दी गई है जिसका १९४७ के बाद पता लगाया गया है और जिसमें उस पर लगाये गये कर की राशि भी दी गई है, विवरण संख्या २ में दिखाया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४]**

इस कर में से कुल कितनी राशि वसूल हुई, इसके आंकड़े अलग उपलब्ध नहीं हैं परन्तु विवरण में यह दिया हुआ है कि अपनी इच्छा से बताई गई राशि पर कितना कर वसूल हुआ और आयकर जांच आयोग द्वारा पता लगाई गई राशि पर कितना। कुल राशि १२ करोड़ ६० लाख रुपये है।

मनीपुर तथा नागापहाड़ियों को क्षतिपूर्ति

४८२. **श्री रिशांग किशिंग : रक्षा मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर तथा नागा पहाड़ियों में क्रमशः जापानियों का कितने समय तक और कितने क्षेत्र पर कब्ज़ा रहा और उन्होंने कितने मकान नष्ट किये; तथा

(ख) इन क्षेत्रों को जो क्षतिपूर्ति दी गई थी, क्या उसमें से कुछ राशि भारतसरकार के अलावा किसी और द्वारा दी गई थी; यदि हां, तो वह राशि कितनी थी ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) (१) जापानियों का मनीपुर के कुछ भागों में लगभग ६ से ७ महीने और नागा पहाड़ियों में लगभग साढ़े तीन से ४ महीने कब्ज़ा रहा।

(२) मनीपुर और नागापहाड़ियों दोनों में मिलाकर जापानियों का लगभग ६००० वर्ग मील पर कब्ज़ा था। पूछे गये दो प्रश्नों के क्षेत्रों के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं।

(३) अनुमान है कि मनीपुर में ९१०३ मकानों को और नागा पहाड़ियों में २७७८ मकानों को नष्ट किया गया।

(ख) जी नहीं।

त्रिपुरा में अभियोगाधीन व्यक्ति

४८३. **श्री बीरेन दत्त** : (क) **राज्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा की विभिन्न जेलों में इस समय अभियोगाधीन व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

(ख) उन में से कितने १९५१ से अभियोगाधीन हैं ?

(ग) उन में से कितने १९५२ से अभियोगाधीन हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) (क) त्रिपुरा की विभिन्न जेलों में अभियोगाधीन व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

सेन्ट्रल जेल अगरताला	५४
धर्मनगर सब-जेल	१२
सोनामुरा सब-जेल	७
बेलोनिया सब-जेल	६
कैलासतर सब-जेल	२२
उदयपुर सब-जेल	६
खोवाई सब-जेल	३
साबरूम सब-जेल	१५
कमलपुर सब-जेल	५

(ख) कैलासतर सब-जेल में ५ व्यक्ति १९५१ से अभियोगाधीन हैं; अन्य जेलों में ऐसा एक भी अभियोगाधीन व्यक्ति नहीं है।

(ग) उन व्यक्तियों की संख्या जो १९५२ से अभियोगाधीन हैं इस प्रकार है :—

सेन्ट्रल जेल, अगरताला	२७
धर्मनगर सब-जेल	१०
सोनामुरा सब-जेल	५
बैलोनिया सब-जेल	४
कैलासतर सब-जेल	२०
उदयपुर सब-जेल	६
खोवाई सब-जेल	३
साबरूम सब-जेल	४
कमलपुर सब-जेल	२

भारतीय प्रशासनीय सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा परीक्षा १९५२

४८४. **श्री गणपति राम : गृहकार्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ की भारतीय प्रशासनीय सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा परीक्षा में कितने उम्मीदवार बैठे थे और उनमें से कितने पास हुए;

(ख) चुने गये उम्मीदवारों की संख्या क्या है; तथा

(ग) सफल उम्मीदवार कुल उम्मीदवारों के कितने प्रतिशत थे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) :(क) १९५२ की भारतीय प्रशासनीय सेवा और भारतीय पुलिस सेवा परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्रमशः १७२१ और २०९१ है । ये परीक्षायें प्रतिस्पर्धा वाली हैं और नियुक्ति के लिए चुनाव उन उम्मीदवारों में से किया जाता है जो परीक्षा में पास हो जाते हैं और जिनका स्थान रिक्त स्थानों की संख्या तक आ जाता है । भारतीय पुलिस सेवा परीक्षा अभी चल रही है । भारतीय प्रशासनीय सेवा के बारे में भी उन उम्मीदवारों की, जो पास हो गये हैं, पूरी सूची अभी उपलब्ध नहीं है । आयोग ने अब तक प्रथम ५३ उम्मीदवारों के नाम प्रकाशित किये हैं; यह संख्या इस वर्ष के रिक्त स्थानों की संख्या के मुकाबिले में काफ़ी है ।

(ख) भारतीय प्रशासनीय सेवा के लिए अभी चुनाव नहीं किये गये हैं । उम्मीद है कि इस वर्ष रिक्त स्थानों की संख्या ३३ से अधिक नहीं होगी । भारतीय पुलिस सेवा के लिए रिक्त स्थानों की संख्या ४० के लगभग है । इसके लिए चुनाव परीक्षा पूरी होने और परिणाम निकल जान के बाद किये जायेंगे ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अस्थायी स्टेनोग्राफ़र

४८५ **श्री वीरस्वामी : गृह-कार्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि विभिन्न मंत्रालयों को यह विकल्प दे दिया गया था कि वे कुछ स्टेनोग्राफ़रों को जो संघीय लोकसेवा आयोग की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये हों रखने के लिए सिफ़ारिश कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो परीक्षा किस प्रकार की थी और अस्थायी स्टेनोग्राफ़रों को कितने अवसर दिये गये थे;

(ग) क्या बाद में अवसरों की संख्या तथा परीक्षा के प्रकार में कुछ परिवर्तन किये गये थे; तथा

(घ) संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा १९४५—५० में की गई परीक्षा में कितने अस्थायी स्टेनोग्राफ़र बैठे थे और उनमें से कितने सफल हुए ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) परीक्षायें इस प्रकार की थीं कि उनको पास करने के बाद ही नौकरी जारी रखी जा सकती थी । १९४९-५० में संघीय लोक-सेवा आयोग ने तीन परीक्षायें की थीं परन्तु किसी उम्मीदवार को दो से अधिक में बैठने की अनुमति नहीं थी ।

(ग) परीक्षा के प्रकार में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था परन्तु पहली परीक्षा में उम्मीदवारों की परीक्षा १०० शब्द प्रति मिनिट तथा १२० शब्द मिनिट के अधार पर ली गई थी जबकि बाद की दो परीक्षाओं में कम गति वाली परीक्षा ही ली गई थी ।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

मंगलवार,
१० मार्च, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

मंगलवार, १० मार्च, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

---

३० म० प०

बारा टूंटी सदर बाजार की घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : कल मैंने ८ मार्च, १९५३ को दिल्ली में हुई घटनाओं के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने का वायदा किया था, उसे अब मैं आप की अनुमति से देता हूं ।

जन संघ तथा हिन्दू महासभा द्वारा आयोजित एक जल्सा श्री श्यामा चरण, एम० एल० ए० के सभापतित्व में ५.४० म० प० बारा टूंटी पर हुआ था । श्रेताओं की संख्या ४०००-५००० के लगभग थी । कोई सवा घंटे तक यह जल्सा बिना किसी प्रकार के रुकावट के चलता रहा और सभापति पर कोई ७ म० प० पर वहां नियुक्त मजिस्ट्रेट श्री जे० डी० शर्मा ने जो कि थोड़ी दूर पर पुलिस की लारी में बैठे हुए थे, सभा में कुछ गड़बड़ी होते और लोगों को इधर उधर भागते देखा । उसी समय जल्से की तरफ से पुलिस पर कुछ ईंटें फेंकी गईं । मजिस्ट्रेट को इस की तनिक भी आशा नहीं थी, और जब वह जल्से की ओर गये तो कुछ प्रेस वालों ने उन से पूछा कि पुलिस ने लाठी प्रहार करना क्यों शुरू कर दिया था । उन्होंने बताया कि उन को इस बात का कुछ भी पता नहीं था । मंच पर पहुंचने के बाद मजिस्ट्रेट महोदय को बताया गया कि पुलिस ने लाठी चार्ज की, पर केवल एक आदमी ही जिस के सिर पर चोट लगी थी, उन के सामने लाया गया । उन्हों ने जल्से के आयोजकों से कहा कि वह इस की जांच करेंगे और यह भी आश्वासन दिया कि यदि वह चाहें तो अपना कार्य-क्रम फिर प्रारम्भ कर सकते थे । परन्तु जल्सा शुरू होने से पूर्व ही चारों ओर से ईंटें आने लगीं जिन से १२ पुलिस के सिपाहियों के चोट आई और दो पुलिस गाड़ियों को नुकसान पहुंचा ।

इस पर मजिस्ट्रेट ने सभा को अवैद्य घोषित कर के लोगों से तितर बितर हो जाने को कहा । इस बात की घोषणा पुलिस मोटर में लगे लाउड स्पीकर द्वारा की गई, परन्तु कुछ लोग फिर भी पत्थर फेंकते रहे । कोई चार पांच मिनट के बाद मजिस्ट्रेट ने आंसू गैस छोड़े जाने की आज्ञा दी । भीड़ थोड़ी देर के लिये तितर बितर हो गई, परन्तु गैस के हटते ही फिर जमा हो गई ।

[डा० काटजू]

ईंटें और भी तेज़ी से आने लगीं और मजिस्ट्रेट को लाठी चार्ज कराना पड़ा जिस से सारा स्थान साफ हो गया ।

बाद को जांच करने से पता लगा कि गड़बड़ी भीड़ में एक बैल के घुस आने से फैली थी । कुछ लोग चिल्लाने लगे कि गोली चल रही थी । शान्ति स्थापित करते हुए एक हैड कांस्टिबिल की भी भीड़ ने पिटाई की । ईंट फिर आने लगीं और कुछ लोग ईंटें और जूते ले कर पुलिस की ओर दौड़े । जब पुलिस के सिपाहियों ने हैड कांस्टिबिल का पीटे जाते और भीड़ को अपनी ओर बढ़ते देखा तो उन्हों ने भीड़ को रोकने और हमले से बचने के लिये अपने डंडों से काम लिया ।

प्रो० रामसिंह ने यह देख कर कि आंसू गैस छोड़ी जाने को थी, तो वह अपने कुछ साथियों को ले कर मंच से कुछ दूर हट गये । बारा टूंटी की अवैध भीड़ को पूरी तरह तितर बितर कर दिये जाने पर प्रो० रामसिंह एम० एल० ए०, श्री देशपांडे संसद् सदस्य और कुछ अन्य आदमियों ने एक जलूस सा बना कर पहाड़ गंज की ओर चलना शुरू किया, वह उत्तेजक नारे लगा रहे थे, पुलिस से बदला लेने को कह रहे थे, और संसद भवन की ओर कूंच कर के दिल्ली में लगाये गये पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा ६ का उल्लंघन करने का निश्चय प्रकट किया । पहाड़ गंज पुलिस स्टेशन पर ७-४५ म० प० रोके जाने के पूर्व इस जलूस में कई सौ आदमी शामिल हो गये थे । भीड़ बहुत उत्तेजित थी और उस ने साथ जा रही पुलिस की लारी पर ईंटें फेंकी ? उस के व्यवहार से यह आशंका होने लगी कि यदि उसे बाज़ारों में हो कर संसद् भवन तक जाने दिया गया तो शान्ति भंग हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी । अत: जलूस को पुन: अवैध घोषित कर दिया गया और उसे तितर बितर हो जाने को कहा गया । प्रो० राम सिंह तथा आठ अन्य व्यक्तियों ने आज्ञा मानने से इन्कार किया और यह कहा कि यदि उन को गिरफ्तार किया गया तो वह जलूस को भंग हो जाने का आदेश देंगे । अत: जलूस तितर बितर नहीं हुआ और संसद भवन की ओर बढ़ने लगा । श्री देशपांडे ने भी यही बात कही परन्तु बाद को उन्हों ने इस बातको वापस ले लिया । परन्तु प्रो० राम सिंह एम० एल० ए० सहित नौ व्यक्तियों ने आज्ञा न मानने से इन्कार किया और उनको धारा १५१ के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया ।

जांच करने पर यह पता लगा है कि कम से कम १२ पुलिस के सिपाहियों को चोट आई थी और एक तो अभी भी अस्पताल में है । आठ आदमिओं को पुलिस ने इरविन अस्पताल भेजा--वह सब गैर सरकारी व्यक्ति थे--और उन में से ६ को प्राथमिक चिकित्सा के बाद अस्पताल से छोड़ दिया गया । एक के सिर पर चोट आई है और दूसरे की छाती सूज गई है । एक और व्यक्ति डा० जोशी के अस्पताल में भरती हुआ है उसका घुटना टूट गया है ।

इस सम्बन्ध में भी मैं यह निवेदन कर दूं, कि स्पष्ट रूप से उत्तेजना फैलाने के लिये जन संघ और हिन्दू महा सभा के समाचार पत्रों तथा कार्यकर्त्ताओं द्वारा यह प्रचार किया जा रहा है कि हिन्दुओं को दबाने के लिये उत्तर प्रदेश से मुसलमान पुलिस बुलाई गई है । यह भी सूचना है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के भी बहुत से कार्यकर्त्ता उस जल्से में थे, शायद किसी प्रकार के उप द्रव के लिये वह वहां थे ।

यह बड़े दु:ख की बात है कि कुछ स्थानीय समाचारपत्रों में बहुत ही उत्तेजक और बड़े

चढ़े समाचार प्रकाशित हुए हैं, विशेषकर उर्दू के समाचारपत्रों में ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : क्या मैं एक व्यक्तिगत वक्तव्य दे सकता हूं मेरा नाम ले कर कुछ निश्चित आरोप लगाये गये हैं। नियमों के अनुसार मुझे स्पष्टीकरण का अधिकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन में दिये गये वक्तव्यों पर व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने की अनुमिति है, परन्तु यह ऐसा मामला नहीं है जिस में किसी व्यक्तिगत स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : व्यक्तिगत स्पष्टीकरण केवल मात्र सदन में दिये गये वक्तव्यों के सम्बन्ध में ही नहीं दिये जाते हैं। यदि मेरे आचरण के विरुद्ध मेरे समक्ष यहां कोई वक्तव्य दिया जाता है तो मुझे उस का उत्तर देने का पूरा हक है। यह एक कानूनी बात है और निर्णय आप को देना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा कि किस तरह व्यक्तिगत स्पष्टीकरण की आज्ञा दी जा सकती है। यदि मेरा समाधान हो गया तो मैं माननीय सदस्य को ऐसा करने का अवसर अवश्य दूंगा ।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्कल) : मैं ने कल एक भाषण दिया था और बाद को जब मेरे भाषण की प्रति मुझे मिली तो मैं ने देखा कि उस के कुछ आवश्यक भाग उस में से निकाल दिये गये हैं। आप स्वयं चर्चा को बहुत सुन्दरता से संचालित करते हैं और यदि कोई ऐसी वैसी बात कोई सदस्य कर देता है तो आप के आदेशानुसार वह उन को वापस ले लेता है। परन्तु कल ऐसा नहीं हुआ । कार्य संचालन नियमों के नियम २९४ में कहा गया है—

उपाध्यक्ष महोदय : यह घटना कल की है, यदि माननीय सदस्य कुछ पहले से ही सूचित कर देते तो मैं इस के लिये प्रस्तुत हो कर आता और सदन को समय नष्ट करने के बदले मैं उन को सारी बात समझा देता। वह यदि चाहें तो मेरे पक्ष में आ कर मुझ से इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं ।

सामान्य आयव्ययक—साधारण चर्चा—जारी

श्री गाडगिल (पूना) : तीन दिनों से आयव्ययक पर जो चर्चा हो रही है, उस से मैं इसी परिणाम पर पहुंचा हूं कि कोई भी वक्ता महोदय उस उद्देश्य को समझने में सफल नहीं हुए हैं जिस के आधार पर यह आयव्ययक बनाया गया है ।

इस आयव्ययक का उद्देश्य केवलमात्र अगले वर्ष के खर्चे के लिये धन का प्रबन्ध करना ही नहीं है, परन्तु सार्वजनिक व्यय तथा विनियोजन के द्वारा, निजी व्यवसायों में पूंजी का विनियमन तथा नियंत्रण करना तथा कर प्रणाली को ठीक करना है। और यही आधार हमारी पंचवर्षीय योजना का है। देश को जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है उस से जनसाधारण को लाभ पहुंचाना ही इस का ध्येय है। इसी कारण इस में देश की आर्थिक अवस्था को सुधारने और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने पर बल दिया गया है। देश की प्रजातन्त्र सरकार की कसौटी यही रहेगी कि पंचवर्षीय योजना के सफलतापूर्वक कर्यान्वित किये जाने पर देश में कितनी समृद्धि होती है। यदि हम पंचवर्षीय योजना को सफलता के साथ कार्यान्वित नहीं कर सके तो हम अपने कर्त्तव्यों को निभाने में असफल रहेंगे। अतः हमें उस की सफलता के लिये सभी संभव प्रयत्न करने चाहिये। अतः इस आयव्ययक के द्वारा आज सर्व प्रथम एक नियंत्रित अर्थ-व्यवस्था को चालू किया जा रहा है जिस में समस्त देश की आर्थिक व्यवस्था का एक

[श्री गाडगिल]

निश्चित दृष्टिकोण से विनियमन किया जायेगा ।

इस योजना का उद्देश्य सभी को रोज़गार देना और जीवन स्तर को उठाना है । यह एक महानकार्य है । जहां तक रोज़गार देने का प्रश्न है हमें १३.३ करोड़ कामकरों की संख्या को ध्यान में रखना पड़ेगा । योजना में पांच वर्ष में ५० लाख को रोज़गार दिया जायेगा । १९४६-५१ के बीच फैक्टरी क्षेत्र में १५ प्रतिशत कामकरों की वृद्धि हुई है और पूंजी विनियोजन ४९० करोड़ रुपये हुआ है हम को यह भी देखना है कि पांच वर्षों में कामकरों को मज़ूरियों के रूप मे कितना धन वितरित किया गया है । हमें बताया गया है कि वेतन २१ प्रतिशत बढ़ गये हैं, मेरे विचार से यह वृद्धि कोई सन्तोषजनक नहीं है । परन्तु वेतन कम करने वाला व्यक्ति देश का शत्रु है । हम सभी को रोज़गार देना चाहते हैं क्योंकि बेरोज़गारी राष्ट्र की सब से बड़ी शत्रु होती है । परन्तु जहां हज़ारों लाखों व्यक्ति बेरोज़गार हों तो यह सोचना पड़ता है कि क्या हमारे आर्थिक संगठन में कोई त्रुटि है या करारोपण प्रणाली दूषित है या कोई और बात है । लड़ाई खत्म होने के बाद में बरोज़गारी बढ़ती जा रही है । अर्थात् युद्ध से सभी को रोज़ी मिलती है और शान्ति से बेरोज़ागारी !

यदि हम १०० प्रतिशत रोजगार देना चाहते हैं तो हमें ३३०० करोड़ रुपये का विनियोजन करना होगा । यह जांच की गई है कि एक व्यक्ति को रोज़गार देने या लाभप्रद औद्योगिक पद देने के लिये कितना विनियोजन करना आवश्यक है । सभी को रोज़गार देने के लिये ४५०० करोड़ रुपये से लगा कर ८००० करोड़ रुपये का विनियोजन करना आवश्यक है । यदि हम यह न कर सके तो देश का भविष्य अन्धकारमय है । इस समस्या को देखते हुए पंचवर्षीय योजना में दी गई २०६९ करोड़ रुपये की रकम नगण्य मालूम होती है । इसीलिये वित्त मंत्री को घाटे की अर्थव्यवस्था का आश्रय लेना पड़ा है और इस की अधिकतम सीमा उन्हों ने २९० करोड़ रुपये रखी है । पर यह आलोचना की गई है कि यह धनराशि न करों से प्राप्त हो सकती है न ऋणों से और न विदेशी सहायता से प्राप्त हो सकती है ।

घाटे की अर्थ व्यवस्था निजी व्यवसायी के लिये चालाकी और धोखे का साधन होती है परन्तु सरकार के लिये वह एक अच्छी बात होती है । प्रो० वकील ने इस व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहा था कि करारोपण से हमें भार को बराबर बांटने का अवसर मिलता है, ऋण लेने में हम जमा करने वालों की अतिरिक्त आमदनी लेते हैं परन्तु घाटे की अर्थ व्यवस्था में हम गरीब ही गरीब होते चले जाते हैं । परन्तु सैद्धान्तिक प्रश्नों पर विद्वानों में मतभेद होता ही है । इन्हीं परिस्थितियों को देख कर वित्त मंत्री इस घाटे की अर्थव्यवस्था को अपनाने का यह सब से उत्तम समय समझते हैं । इस पर तर्क न कर के हमें इस व्यवस्था को मान लेने के अतिरिक्त और कोई चारा है ही नहीं । यदि हम करों से और अधिक धन की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं तो हमें अन्ततः इसी का आश्रय लेना होगा । घाटे की अर्थव्यवस्था एक विष है जिसे यदि उपयुक्त मात्रा में लिया जाये तो वह औषधि बन सकता है । हानि तभी होगी जब इस के लिये निर्धारित शर्तों का अतिक्रमण होगा ।

अब प्रश्न यही रह जाता है कि इस घाटे की अर्थ व्यवस्था को किस सीमा तक लाग

किया जाये। मेरा निवेदन यह है कि यदि इस घाटे को अर्थ व्यवस्था को खपत के लिये नहीं अपितु पूंजी विनियोजन के लिये काम में लाया जायेगा तो उस की बुराइयां ठीक हो सकती हैं। यदि हम घाटे की अर्थ व्यवस्था को इस दृष्टिकोण से देखें तो उस के प्रति हमारा द्वेष कम हो जाता है।

जैसा कि संयुक्त राज्य में समझा जाता था, घाटे की अर्थ व्यवस्था कोई कर-मुक्त ऋण नहीं है। अपितु यह समाज या मुद्रा में अधिक धन को देना है। यह कार्य या तो नक़दी को बढ़ा कर हो सकता है या ऋण को बढ़ा कर। यदि पहली बात की जाती है तो रिज़र्व बैंक नई सरकारी प्रतिभूतियों को अपनी महाजनी विभाग की सार्वजनिक जमा शाखा में क्रय कर के नई नक़दी मिल सकती है। यदि दूसरी बात की जाती है तो अनुसूचित बैंकों की सहायता लेनी होगी। परन्तु सरकार की नीति पहले विकल्प को अपनाने का है। अर्थ व्यवस्था में घाटे की अर्थ व्यवस्था का स्थान अवशिष्ट प्रकार का है। सरकार को इतना धन करों से, या अनिवार्य ऋणों से या बचत प्राप्त करना चाहिये, और यदि वह इस में असफल होती है तो उसे अनिवार्यता घाटे की अर्थव्यवस्था का आश्रय लेना होगा।

जहां तक प्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध है स्थिति क्या है ? प्रत्यक्ष करारोपण की प्रतिशतता घट गई है और अप्रत्यक्ष की बढ़ गई है। अब प्रश्न यह है कि क्या देश और अधिक कर भार को सहन कर सकता है? भूमिकर से १९४६-४७ में आय २६ करोड़ रुपये की और अब वह केवल ३० करोड़ रुपये है। यद्यपि अनाज के मूल्य इतने अधिक बढ़ गये हैं। इस में करों के बढ़ाने का मौका है।

यही हाल प्रत्यक्ष करों का है। केवल मात्र ०.२३ प्रतिशत व्यक्ति आयकर देते हैं। देश की औसत वार्षिक आय २८० रुपये है और छूट की सीमा १५ गुनी है। यदि हम सभी को रोज़गार देना चाहते हैं तो हम कुछ स्वार्थ त्याग करना होगा और जिस से कि आगामी पीढ़ियां सुख और शांति से रह सकें।

जहां तक निजी उद्योगों का सम्बन्ध है वह इस घाटे की अनर्थ व्यवस्था से प्रसन्न हैं, क्योंकि यह उन के अनुकूल पड़ती है। यदि योजना की अर्थ व्यवस्था ऋण या करों पर आधारित होती तो उस ने उस का स्वागत किया होता। परन्तु कुछ भी हो उसे सरकार के साथ सहयोग करना ही है। विष्णुरूपी शक्ति के आगे धन रूपी लक्ष्मी को सदैव ही सिर झुकाना पड़ता है। यदि वह अपने लाभांशों को कम कर दें, यदि सभी उद्योगपति यह प्रतिज्ञा करें कि आगामी पांच वर्ष में वह लाभांश के रूप में एक पाई भी नहीं लेंगे और सारी आय को उद्योग में ही लगा देंगे तो अतिरिक्त करारोपण किया जा सकता है। परन्तु हमारे चाहने पर भी, धन का असंचयन हो रहा है। मेरे विचार से करारोपण समिति इस प्रश्न पर अवश्य विचार करेगी। हमारी आयव्ययक नीति तथा करारोपण का एक साधन है वह केवल मात्र धन प्राप्ति का मार्ग नहीं है। यदि हम देश में समानता लाना चाहते हैं, यदि हम राष्ट्रीय धन को समान रूप से वितरित करना चाहते हैं तो हमें अपनी अर्थ व्यवस्था में क्रान्ति करनी होगी। इस वर्ष वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष करों पर अधिक बल नहीं दिया है, अगले वर्ष वह क्या करें गे यह देखना है। समस्या बहुत बड़ी है और हम को अपने सभी साधनों को काम में लाना होगा। यदि समाज के सभी वर्ग यह समझ जायें कि उन को समान त्याग करना है तो उन में अधिक उत्साह फैलेगा। उन में अधिक विश्वास उत्पन्न होगा और सभी का सर्वाधिक लाभ होगा।

[श्री गाडगिल]

ऋण साधारण व्यक्तियों के लिये अभिशाप है परन्तु सरकार की साख इसी बात से जानी जाती है कि वह कितना ऋण ले सकती है। मुझे विश्वास है कि करारोपण की नीति का पुनरीक्षण किया जायेगा और घाटे की अर्थव्यवस्था केवल अवशिष्ट भाग की पूर्ति करेगी। वृद्ध, बेरोज़गार, निर्धन, अपढ़ व्यक्ति सरकार की प्रथम ज़िम्मेवारी हैं और वृद्धों को पेंशन देना, कार्य करने के इच्छुकों को रोज़गार देना, असाक्षरता को दूर कराना, लोगों की चिकित्सा का प्रबन्ध करना इत्यादि कार्य राज्य को करने आवश्यक हैं। मेरे विचार से न केवल योजना के लिये धन की व्वयवस्था करने के हेतु अपितु समाजमें फैली असमानता को दूर करने के लिये प्रत्यक्ष करों की सीमा को बढ़ाना अभी भी संभव है। यह अन्य बातों से अधिक आवश्यक है।

डा० कृष्णास्वामी (कांजीपुरम्) : आय-व्ययक का उद्देश्य राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का स्पष्ट दिगदर्शन कराना होता है। हमारे सामने जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उन से ऐसी कोई बात स्पष्ट नहीं होती है, अत: मैं वित्तमंत्री को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आय और व्यय वाले सामान्य विवरण को देखिये संघ उत्पाद शुल्क से ९४ करोड़ की आय दिखाई गई है, और भी अन्य मदें हैं, संघ उत्पाद शुल्क सकल राशियां हैं तथा निगम तथा कर के अतिरिक्त अन्य करों से होने वाली आय शुद्ध राशियां हैं। इस प्रकार का लेखा आलेखन एक विचित्रता है। इस प्रकार व्यय सम्बन्धी मदें हैं। सिंचाई पर हम १८ लाख रुपये व्यय करते हैं ; विद्युत पर ११,००० रुपये व्यय करते हैं परन्तु विविध मदों पर हम ५३ करोड़ रुपये व्यय करते हैं। विधेयक एक बहुत विस्तृत मद है और यह ज्ञात नहीं होता कि किस मद विशेष पर कितना व्यय किया गया है । इस प्रकार लेखा रखने का रहस्य हम को ज्ञात नहीं हो सका है। मैं यह आलोचना इस लिये कर रहा हूं जिस से कि वित्त मंत्री लेखा आलेखन प्रणाली में सुधार कर सकें ।

अब व्याख्यात्मक विवरण को लीजिये। इस में एक मद २.१३ लाख रुपये की है जो नये ऋण के जारी करने में व्यय हुई है। परन्तु यह सभी जानते हैं कि सन् १९५२-५३ में कोई ऋण नहीं लिये गये हैं। फिर यह रक़म कहां और कैसे व्यय हुई ? फिर दूसरी मद है देशी नरेशों की निजी थैलियां और भत्ते । हमें बताया गया है कि हमें ४,७६,३३,००० रुपये इस मद में देने होते हैं परन्तु यहां यह संख्या ५,४०,८४,००० रुपये की हुई है ।

पर मेरी आलोचना यह नहीं है। जब तक आयव्ययक को आर्थिक नीति के साथ संयोजित नहीं किया जाता है तब तक प्राक्कलनों, पुनरीक्षित प्राक्कलनों, अनुपूरक प्राक्कलनों तथा वास्तविक व्ययों का परस्पर अन्तर अर्थहीन है। आर्थिक नीति का समायोजन आयव्ययक तथा राजकोषीय नीति से न होने के कारण ही यह परस्पर अन्तर होता है, परन्तु आज की स्थिति तनिक भिन्न है। आज सार्वजनिक क्षेत्र बढ़ गया है। राष्ट्र के नियंत्रण में बहुत से व्यवसाय हैं, व्याख्यात्मक विवरणों में इनका जो ब्यौरा दिया गया है वह एक दम अपूर्ण तथा अपर्याप्त है। परन्तु हम तो यह जानना चाहते हैं कि यह व्यवसाय कैसे चल रहे हैं, इन में धन का विनियोजन किस प्रकार किया गया है, कौन कौन व्यवसाय लाभ पर चल रहे हैं, और सार्वजनिक कोष से इन व्यवसायों को कितनी आर्थिक सहायता देनी आवश्यक है। हम चाहते हैं कि हमारे लेखे इस प्रकार रखे जायें ।

परन्तु व्याख्यात्मक विवरण में दिया गया है कि सन् १९५१-५२ के वास्तविक राजस्व तथा व्यय का अनुमान अभी तक नहीं लगाया जा सका है। अतः हम इन प्राक्कलनों की आलोचना करने में असमर्थ हैं। उदाहरण के लिये सन् १९५१-५२ में वसूल हुए राजस्व का आन्तरिक प्राक्कलन १२८.३ करोड़ रुपये था और वित्त मंत्री के अनुमानानुसार अतिरेक ९२ करोड़ रुपये का होना था, इस प्रकार कोई २७८ करोड़ रुपये का अन्तर है। मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्री और उन के सहयोगियों को इस बात पर ध्यान देना चाहिये था। व्याख्यात्मक विवरणों में इन निलम्बित मदों में होने वाले अन्तरों को देना उन के लिये संभव होगा। हम चाहते हैं कि 'विविध' शीर्ष के अन्तर्गत आने वाली मदों को तोड़ा जाये। मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्री इस ओर ध्यान दें और हमारे लेखा आलेखन प्रणाली में तथा हमारे आर्थिक ढांचे में परिवर्तन करें।

यह आयव्ययक हमारे देश के इतिहास में एक नई बात है। इस को न तो बुरा ही बताया जा सकता है और न यह ही कहा जा सकता है कि यह हमारे आर्थिक जीवन में क्रान्ति करने वाला है। अब तक हमारे पास राजस्व अतिरेक हुआ करते थे, जो बचत का ही रूप होते थे। और पूंजी विनियोजन में काम आ सकते थे। अब यह उपलब्ध नहीं होंगे। अतः हमारे राष्ट्र पुनर्निर्माण के लिये अन्य साधनों की खोज करनी होगी राजस्व में घटी केवल १९-२० करोड़ रुपये की होगी। मैं वित्त मंत्रालय के इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि पाकिस्तान से प्राप्त ९ या १८ करोड़ रुपये राजस्व में शामिल किये जायें, उसे तो पूंजी लेखे में रखा जाये। मेरा निवेदन यह है कि हमें ऐसे साधन खोज निकालने चाहियें जिस से पूंजी विकास के लिये अधिक धन प्राप्त हो सके। माननीय मंत्री ने बताया कि केन्द्र को गत दो वर्षों में ८३ करोड़ का घाटा रहा है और यदि राज्यों को जोड़ लिया जाये तो यह कोई २१२ करोड़ बैठता है। अतः यदि हम अधिक व्यय करेंगे तो घाटा भी अधिक होगा इसलिये हमें पूंजी व्यय को पूरा करने की चेष्टा करनी चाहिये।

घाटे की अर्थ योजना के सम्बन्ध में विभिन्न मत प्रकट किये गये हैं। मेरा यह निवेदन है कि बिना घाटे की अर्थ योजना को अपनाये हमारे लिये इतना अधिक पूंजी व्यय करना संभव नहीं होगा। पर इस के अपनाने में दो बाधायें हैं, एक है देश में मूल्य स्तर तथा जीवन का स्तर। दूसरी बाधा और भी है और वह उत्पन्न होती है हमारे भुगतान सन्तुलन की स्थिति से। और इस के लिये हमें जल्द या देर में इस प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा कि हमें स्टर्लिंग का आश्रय छोड़ना है या नहीं।

प्रश्न यह है कि हमारे भुगतान सन्तुलन पर घाटे की अर्थव्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ेगा? इस समय दुर्भाग्य से या किसी अन्य कारण से हमारी भुगतान सन्तुलन की स्थिति ठीक नहीं है और गत छः महीनों में हमें डालर मूल में ६३ करोड़ रुपये देना पड़ा है। घाटे की अर्थ व्यवस्था से स्थिति और भी बिगड़ जायेगी। हम स्टर्लिंग क्लब के साथ हैं और हमें कुछ नियमों इत्यादि का पालन करना आवश्यक है। यदि हम क्लब के सभी सदस्य घाटे की अर्थ व्यवस्था को अपना कर मौज करने लगते हैं तो सभी संसाधन तीन तेरह हो जायेंगे। अतः घाटे की अर्थ-व्यवस्था को अपनाते समय हमें यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि उस में कहीं हमारी भुगतान संतुलन स्थिति तो और नहीं बिगड़ती है। वित्त मंत्री ने कहा कि वह १४० करोड़ रुपये तक की सीमा की घाटे की अर्थ व्यवस्था करेंगे, और इस से बाज़ारों में तेज़ी आ गई। केवल मात्र इसी बात से ही वित्तीय क्षेत्रों में

[डा० कृष्णास्वामी]

हल चल मच गई है । जैसे ही देश में तेज़ी आयेगी व्यापारी निर्यात व्यापार की उपेक्षा करने लगेंगे । घाटे की अर्थव्यवस्था एक ठीक कार्यवाही है पर उस में रुकावटें भी बहुत हैं और मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि कि वह इस विषय पर प्रकाश डालें अतिरेक को बढ़ाने तथा जीवन परिव्यय को कम करने तथा भुगतान सन्तुलन की स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही करेंगे ।

एक तरीका यह है कि विदेशी विनिमय को प्राप्त करने के लिये निर्यातों को बढ़ाया जाये । परन्तु किस प्रकार निर्यात बढ़ाया जाये, उत्पादन क्षमता के कितने भाग को तथा किस मूल्य पर समाहार किया जाये तथा जीवन परिव्यय को किस प्रकार नीचा रखा जाये यह ऐसी बातें हैं जो नीति से सम्बन्ध रखती हैं और जिस पर जल्दी ही कोई निर्णय किया जा सकता है । मेरा सुझाव है कि उद्योगों की जांच करने के लिये जांच समिति बनाई जाये । मुद्रास्फीति के समय घाटे की अर्थव्यवस्था मुद्रा स्फीति को और भी बढ़ाती है । अतः समिति जांच कर के यह सुझाव दे कि उत्पादन परिव्यय किस तरह नहीं बढ़ने देना चाहिये ।

अनिवार्य बचत योजना को चालू किया जाये । व्यक्तियों को और अधिक बचत करने का प्रोत्साहन दिया जाये और उन के बचाये धनको विभिन्न प्रकार के उद्योग व्यवसायों में विनियोजित किया जाये । मेरा सुझाव है कि यह कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कर दिया जाये । उद्योगों और व्यवसायों की अनेकता तथा विभिन्नता होने से बाज़ार में तेज़ी भी नहीं आयेगी । जब कि हम एक वृहत राष्ट्रीय नीति बना रहे हैं इसलिये हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि इस का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा । अविकसित अर्थ व्यवस्था में घाटे की अर्थव्यवस्था का आश्रय लेना अनिवार्य है और मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस का बहुत दिनों तक पल्ला पकड़े रहना पड़ेगा साथ ही हमें बाधाओं को भी नहीं भूलना है ।

हमारे लिये अभी या जल्दी ही स्टर्लिंग क्षेत्र से निकलना संभव नहीं है । हमारे व्यापार सन्तुलन में १०० से २०० करोड़ रुपये का घाटा है, और जब तक हम अपने अन्तर्राष्ट्रीय कर्त्तव्यों को पालन करने में बड़े राष्ट्रों के गुटों में सम्मिलित नहीं होंगे हमारे लिये ऐसा करना असम्भव है । परन्तु हमें साथ ऐसे कार्य भी करने चाहियें जिन से हमारी व्यापार सन्तुलन स्थिति बिगड़े नहीं और हमें अपने देश में उद्योगों को प्रोत्साहन देने में सहायता मिले ।

कर्नल जैदी (हरदोई ज़िला-उत्तर पश्चिम व फर्रुखाबाद ज़िला-पूर्व व शाहजहांपुर ज़िला-दक्षिण) : इस वर्ष के आयव्ययक पर पंचवर्षीय योजना का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिये मैं अपने कथन को पंचवर्षीय योजना तक ही सीमित रखूंगा ।

सदियों से हमारे देश वाले निराशा और दुःख में रहते आये हैं । पर अब मुझे यह खुशी है कि हम महान बातें सोचने ही नहीं लगे हैं अपितु महान कार्य करने भी लगे हैं । हमें गरीबी और भूख के विरुद्ध निरन्तर युद्ध करने जाना है और हम ने उसे प्रारम्भ कर भी दिया है । पंचवर्षीय योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिये न केवल सरकार को अपितु हम सभी को महान त्याग करने होंगे ।

एक माननीय सदस्य ने कल कहा था कि योजना आर्थिक आधार पर असफल हो जायगी । अन्य मित्रों ने भी कुछ इसी प्रकार

के सन्देह प्रकट किये हैं। पर मुझे निराशा का कोई कारण दिखाई नहीं देता है। मुझे ज्ञात है कि राष्ट्रों तथा जनता में दृढ़ इच्छा शक्ति, सहनशीलता तथा आत्म निर्भरता का असीम भंडार होता है और इसलिये यदि राष्ट्र कुछ करने का दृढ़ प्रतिज्ञ हो जायें तो असंभव से लगने वाले कार्य भी कर सकते हैं।

अब तक हम अपने आप को बहुत नगण्य समझते रहे हैं पर अब ऐसी स्थिति नहीं है। इस कारण मुझे धन के अभाव से कोई निराशा नहीं होती है। हां, कुछ बेचैनी घाटे की अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में होती है। उन में जो भी त्रुटियां हों या जो भी उसके दोष हों तो भी हमें उन का आश्रय लेना ही होगा। प्रधान मंत्री ने कहा था कि वह खाद्य के प्रश्न को युद्ध स्तर पर हल करने का विचार कर रहे थे, परन्तु हम जो दो विश्व युद्धों में भाग ले चुके हैं इस में कोई अंकुश मालूम नहीं होता है। हमें योजना के लिये कहीं न कहीं से धन की व्यवस्था करनी ही है। हमें ही नहीं अपितु सारे देश को योजना की प्रगति से निरन्तर अवगत कराते रहना चाहिये तथा यह बताते रहना चाहिये कि कितना व्यय हुआ है, मूल प्राक्कलन के तथा उन के देखे कितना कम या अधिक व्यय हुआ है। परन्तु दो वर्ष बीत गये हैं और इसकी बड़ी परियोजनाओं के सम्बन्ध में भी कुछ नहीं बताया गया है। धन का अपव्यय न हो यह देखना इस सदन का कर्त्तव्य है।

घाटे की अर्थ व्यवस्था के कारण मुद्रा-स्फीति होती है और मूल्य बढ़ जाते हैं और इस से विभिन्न परियोजनाओं के प्राक्कलित परिव्ययों के बढ़ जाने की भी संभावना है। मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या अधिक धन की खोज से और अधिक मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी? अब मैं असली बात को लेता हूं। क्या कारण है कि इतनी सुन्दर योजना के होने पर भी देशवासियों को उस के प्रति तनिक भी रुचि नहीं है। इस से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि लोगों में उत्साह नहीं है। योजना बहुत सुन्दर है अनेकों विदेशी विशेषज्ञों ने भी इस की प्रशंसा की है। अब प्रश्न यह है कि हम ने इस कर्तव्य को निभाया किस प्रकार है। हम ने इसे बड़े पैमाने पर प्रारम्भ किया है। इसे हम ने अमरीका जैसे सभ्य देश के नमूने पर प्रारम्भ किया है। हमारा देश निश्चय ही बड़ा और सम्पन्न है परन्तु वह न इंगलैंड जैसा है और न अमरीका जैसा है। हम यहां केन्द्र में बैठ कर काग़ज़ों पर बड़ी बड़ी देश की दशा को बदल देने वाली योजनायें बनाते हैं। यदि यह योजना सफल हुई तो निश्चय ही देश की अवस्था बदल जायेगी परन्तु यदि यह असफल रही तो असफलता भी इतनी ही विशाल होगी। मैं ने भारत वर्ष के कुछ विशाल बांधों को देखा है। वह अमरीका से मंगाई गई विशाल मशीनों की सहायता से नहीं बनाये गये थे। वह भारतीय जन-वास्तु विभाग के कारनामे हैं। उस ने मशीनों से नहीं बल्कि मानव श्रम की सहायता से उन को बनाया था। अब इन वस्तुओं और मशीनों पर क़रोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है जिन को चलाने का हमारे मुख्य अंजिनिकों को पता तक नहीं है, वह अमरीकनों की तरह मशीनों के दास नहीं हैं। और इसी कारण इसको विदेशों से विशेषज्ञ बुलाने पड़ते हैं और उन के लिये विदेशों से मशीनें खरीद कर, या मांग कर, मंगानी पड़ती हैं।

इतनी बड़ी योजना जहां तक आयोजन का सम्बन्ध है, ठीक है, परन्तु इस में जनता का सहयोग नहीं है। न केवल जनता अपितु कांग्रेस के कार्यकर्ताओं या अन्य लोक सेवकों का भी इस में सहयोग नहीं है। संसद् सस्दस्यों तथा विधान सभाइयों का भी इस में कोई हाथ नहीं है। विशेषज्ञों को बुलाना मशीनों

[कर्नल ज़ैदी]

से काम लेना यह सब ठीक है परन्तु देहातों के लिये अलग प्रकार की योजनायें होनी चाहियें। कार्य योजनायें राज्यों को भेजी जायें, वहां उन की जांच हो और केन्द्र को प्रस्थापनायें भेजी जायें ताकि जब योजना सम्पूर्ण हो तो सभी ज़िलों को मालूम हो जाये कि योजना में उन का क्या स्थान है। हम दामोदर घाटी और हीराकुंड की बात करते हैं पर मेरे निर्वचन क्षेत्र के निवासी पूछते हैं कि उन के ज़िले में क्या होने जा रहा है, उन को दामोदर और हीराकुंड में कोई रुचि नहीं है, वह जानना चाहते हैं कि उन के ज़िले या नगर में क्या होने को है। जनता को विश्वास में लीजिये और उस से पूछिये कि क्या वह चाहती है। उन को बाढ़ नियंत्रण या लाखों किलोवाट बिजली के जनन से कोई सरोकार नहीं है, लोग चाहते हैं पानी, अच्छे बीज़, ढोर, खरीदने को तकावी और कहीं कही नलकूप। उन को नलकूप दीजिये और दलदली जगहों से नहरें निकालिये। यदि यह छोटी छोटी बातें की जांय तो जनता को योजना में रुचि होगी और उन में उत्साह होगा।

हम ने राष्ट्रीय प्रयोगशालायें बनाई हैं। उन्हों ने देश के उत्तोमत्तम अनुसन्धान कर्त्ताओं को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है और विश्वविद्यालयों में योग्य व्यक्तियों की कमी हो गई है। हमें विश्वविद्यालयों पर पर अधिक ध्यान देना चाहिये, क्योंकि वही तो अनुसन्धान कार्य के लिय सर्वोत्तम स्थान हैं। हमें छोटे पैमाने पर कार्य करना चाहिये और उसे समस्त देश में फैलाना चाहिये।

जापान के ढंग पर धान की खेती की जाने की बात सुनते सुनते कान पक गये हैं। हमारे देश में भी कृषक ५० मन धान फी एकड़ पैदा करते हैं। फिर क्या कारण है कि हम उन तरीकों को काम में लाये जाने का प्रचार करते हैं जो भारत की भूमि के लिये अनुपयुक्त है ? देशी तरीकों को ही क्यों न बढ़ाया जाये। देशवासियों को ही प्रोत्साहन क्यों न दिया जाये? जापानी प्रणाली पर कृषि कार्य नामक पुस्तिका से मुझे निराशा और क्रोध हुआ है। मैं चाहता हूं कि ऐसी पुस्तिकायें लिखी जायें जिन में उन तरीकों का ज़िक्र हो जो यहां भारत में काम में लाये जा रहे हैं और जिन से कृषक परिचित हैं।

जनता का जब तक योजना में हाथ नहीं होगा तब तक उस में उत्साह भी नहीं होगा। गत युद्ध में इंगलैंड की जनता चर्चिल के साथ थी इसलिये नहीं कि उस ने किसी नये साम्राज्य के ब्रिटिश राज्य में मिलान का जनता से वायदा किया था अपितु इसलिये क्योंकि उस जनता से खून, पसीना और ज़ोर देने का वायदा किया था और उसी में इंगलैंड की जनता में उत्साह पैदा हो गया था। महात्मा गांधी ने हम को धन या बड़प्पन देने का वायदा नहीं किया था उन्हों-ने हम से त्याग करने के लिये कहा था जेल, जाने को कहा था और सारा देश उन के साथ रहा। आज हम जनता को स्वर्ग प्रसून देने का वायदा कर रहे हैं फिर भी जनता में लेशमात्र भी उत्साह नहीं है। सम्पत्ति तथा भौतिक सुखों इत्यादि के वायदे से हमारे देशवासियों में उत्साह उत्पन्न नहीं होगा। केवलमात्र त्याग की अपील ही उन में प्राण फूंक सकती है। यदि आप समृद्ध भारत बनाना चाहते हैं तो जनता से न केवल सहयोग की अपील कीजिये बल्कि उन से उस के लिये त्याग करने को कहिये और सारा देश आप के साथ होगा।

श्री के० के० देसाई : (हालर): प्रस्तुत आयव्ययक गत चार पांच वर्षों में प्रस्तुत किये जाते रहे आयव्ययकों से भिन्न है। प्रत्येक

वर्ष के अन्त में कुछ न कुछ अतिरेक रह ही जाता था, परन्तु इस वर्ष वित्त मंत्री ने ऐसा आयव्ययक प्रस्तुत किया है जिस में ३ करोड़ रुपये का घाटा है कारण यह दिया गया है कि मुद्रा स्फीति वाले तीन या चार वर्षों में मुद्रा अवपात के लिये अतिरिक्त धन को करों के रूप में समेट लेना अति आवश्यक हो गया था। अब प्रश्न यह है कि यह प्रयत्न कहां तक सफल हुआ है ।

वित्त मंत्री ने बतलाया कि थोक मूल्य ५१ बिन्दु कम हो गये हैं, परन्तु प्रश्न यह कि इस मन्दी ने सामान्य नागरिक जीवन परिव्यय को कितना प्रभावित किया है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हालत बिल्कुल पहले जैसी ही है । कहीं कहीं तो जीवन परिव्यय ४ या पांच बिन्दु चढ़ गया है। सन् १९५२ में जीवन परिव्यय देशनांक प्रायः १९५१ जैसा ही रहा है । इस का अर्थ यह है कि मुद्रा स्फीति किसी प्रकार की कम नहीं हुई है । इसलिये वित्त मंत्री को करारोपण की नीति को ही अपनाये जाना चाहिये। यदि हम गत पांच वर्षों के राजस्व तथा व्यय के आंकड़ों को लें तो हमें ज्ञात होगा कि उत्पादन शुल्क ५० करोड़ से बढ़ कर ९४ करोड़ हो गये हैं। निराक्राम्य शुल्क भी १२६ करोड़ से बढ़ कर १७० करोड़ रुपये हो गया है। अब प्रश्न यह है कि किस की जेब से यह अतिरिक्त धन आया ?

[पंडित ठाकुरदास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

स्पष्ट है कि प्रायः सारा अप्रत्यक्षकर उपभोक्ता अर्थात् साधारण जनता की जेब से आया है, परन्तु राहत किन को दी जा रही है ? एक और उत्पादन शुल्क बढ़ता जा रहा है, जिस का भार सामान्य जनता पर पड़ रहा है और छूट और राहत दी जा रही है आयकर देने वालों, अतिरिक्त कर देने वालों, पूंजी लाभ कर देने वालों को। और इस राहत का अनुमान कोई ४० करोड़ रुपये है। इस वर्ष सौभाग्य से उन्हीं मित्रों को अग्रेतर राहत देने की कोई प्रस्थापना नहीं की गई है, तो भी विकास व्यय के भार को वहन करने योग्य उन के संसाधनों तथा क्षमता की ओर से पूर्णतया आंख मूंद ली गई हैं। मेरे विचार से विशाल उद्योगों तथा व्यवसायों के लिये मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाने के स्थान पर हमें १०,००० रुपये से अधिक आय वालों पर कर लगाना चाहिये। इस से जनता में उत्साह पैदा होगा ।

आयव्ययक के अतिरेक से पूंजी व्यय के लिये धन की व्यवस्था कर के समस्त ज्ञात आर्थिक सिद्धान्तों को ठुकरा देने के लिये मैं ने गत वर्ष वित्त मंत्री की प्रशंसा की थी । परन्तु इस वर्ष मैं उस प्रशंसा को वापस लेना चाहता हूं क्योंकि विकास योजनाओं के पूंजी व्यय के लिये कुछ राजस्व की व्यवस्था करने के स्थान पर उन्हों ने बड़े व्यवसाय उद्योगपतियों तथा धनियों को बिना कोई अतिरिक्त कर लगाये वैसे ही छोड़ दिया है। इस पर मुझे आक्षेप नहीं है, परन्तु घाटे की अर्थ व्यवस्था को जिसे वह देश पर लागू करना चाहते हैं, सभी पहलुओं से देखा जाना चाहिये । मेरा विचार है कि यदि विकास कार्य को शीघ्रता से करना चाहते हैं तो घाटे की अर्थ व्यवस्था का आश्रय लेना ही होगा । परन्तु साथ ही करारोपण से मुद्रा स्फीति को घटाना भी आवश्यक है। इसे वह भूल गये हैं । साधारणतया यह किया जाता है कि विकास कार्य पर धन व्यय कर के क्रय शक्ति बढ़ाई जाती है, परन्तु आज के पूंजीवादी संगठन में यह क्रय शक्ति बड़े उद्योगों तथा व्यवसायों में ही केन्द्रित हो जाती है इसलिये करारोपण की जो नीति इस वर्ष उन्होंने बनाई है वह कुछ खतरनाक है। उन को करारोपण दर क्रमशः बढ़ानी चाहिये थी, जिन की १०,००० रुपये से अधिक की आय

[श्री के० के० देसाई]

है उनपर अधिक कर होने चाहियें थे। घाटे की अर्थव्यवस्था, विकास योजनाओं और करारोपण नीति पर मेरा यह प्रथम आक्षेप है।

एक ओर उन करों को, जैसे उत्पादन शुल्कों को जो जन साधारण पर पड़ते हैं बढ़ाया गया है, दूसरी ओर आय कर तथा अतिरिक्त कर की दरें कम की गई हैं, पूंजी लाभ कर को बन्द कर दिया गया है, निगम कर को कम किया गया है और अधिक आयों पर कर की दरें कम कर दी गई हैं। अधिक अवक्षयण भत्ता दिया गया है, सम्पूर्ण पूंजी मूल्य पर ४५ प्रतिशत तक का अवक्षयण भत्ता दिया गया है। इस का अर्थ यह हुआ कि वह सभी सम्पत्ति जो देश को मिलनी चाहिये थी पूंजीपतियों को दे दी गई है। एक प्रश्न स्वतः उत्पन्न होता है कि क्या करारोपण प्रस्थापनाओं से असमानता क्रमशः कम होगी, इस के लिये मेरा उत्तर है कि नहीं होगी।

इस सदन में सार्वजनिक प्रशासन के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है, भ्रष्टाचार का आरोप खुल्लम खुल्ला लगाया गया है। आरोप कहां तक ठीक है यह तो कहना कठिन है परन्तु देश में सामान्य भावना यही है कि भ्रष्टाचार का बोल बाला है। यह प्रायः इस कारण है कि कानून भ्रष्टाचार करने वालों तथा स्वयं भ्रष्ट व्यक्तियों के सम्बन्ध में चुप है। हमारे सभी विधान व्यर्थ सिद्ध हुए हैं।

मेरा निवेदन है कि अब समय आ गया है जब कि इस का निराकरण किया जाये। यदि आवश्यकता हो तो संविधान को निलम्बित तक करके संक्षिप्त न्यायालय बनाये जायें जो वकीलों की प्रणाली अर्थात् उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय इत्यादि की भांति हों और जो संक्षिप्त मुकदमा कर के निर्णय दे सकें। यह मेरा सुझाव है।

कल मेरे एक मित्र ने मद्य निषेध का निर्देश किया था। मैं जानना चाहता हूं कि किस का प्रतिनिधित्व करते हैं। शराब बेचने वालों का, शराब के व्यापारियों का या धनिकों का, जो बम्बई में मद्य निषेध के स्थान पर अतिरिक्त कर देने को तैयार हैं। जहां तक उन करोड़ों व्यक्तियों का सम्बन्ध है जिन का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, मद्य निषेध से उन को निश्चय ही लाभ हुआ है। यदि उन में जन मत संग्रह किया जाये तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह एकमत हो कर मद्य निषेध का समर्थन करेंगे। इस के विरुद्ध वही लोग हैं जो शराब के व्यवसाय में लगे हुये हैं या जिन को आबकारी कर के हटा दिये जाने के कारण कुछ अतिरिक्त कर देने पड़ रहे हैं। गरीबों का तो भला ही हुआ है।

डा० जय सूर्य (मेदक) : मेरे मित्र डा० कृष्णस्वामी ने लेखा आलेखन प्रणाली की आलोचना की और यह सब कुछ आलोचना इस लिये की गई क्योंकि यह सार्वजनिक धन का मामला है। मेरी कठिनाई यह है कि आयव्ययक की किस आधार पर आलोचना की जाये। यदि हम इसे पुराने दक़ियानूसी पूंजीवादी आधार पर देखें तो यह ठीक मालूम होता है। परन्तु पूंजीवदी प्रणाली में एक कठिनाई यह है कि इस में तेज़ी और मन्दी आती रहती है। ऐसा क्यों होता है इस पर अनेकों सिद्धान्त बनाये गये हैं, हमें यहां उनकी आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। आयव्ययक देश की आर्थिक स्थिति, वर्तमान तथा भावी, का वास्तविक चित्र होना चाहिये। उस में आर्थिक स्थिति के उस प्रकार होने के कारण भी होने चाहियें। उस में आधारभूत सिद्धान्तों, तेज़ी मन्दी, भविष्य में होने वाली

स्थिरता तथा अस्थिरता सभी कुछ होना चाहिये ।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि वह देश में फैली गड़बड़ी को रोकना चाहते हैं । उन्हों ने कहा कि कहीं कहीं स्थिति में सुधार हुआ है परन्तु वह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रहेगी । ऐसी अनिश्चयता उन के भाषण से ज्ञात होती है ।

पूंजीवादी प्रणाली में तेज़ी मन्दी का आना सब से बड़ी त्रुटि है । सन् १९४६ में देश में अत्यधिक तेज़ी आई थी, विनियोजन में वृद्धि हुई थी, निर्यात बढ़ गया था, फिर गाड़ी लौट पड़ी । विनियोजन कम हो गया, फिर शुरू हुई कोरिया की लड़ाई और अमरीका ने माल जमा करना शुरू कर दिया, फिर तेज़ी आ गई, हमारे निर्यात बढ़ गये, सरकार को ढेर सारा निर्यात शुल्क मिला और सभी खुश हो गये । रेलवे बजट में अतिरेक रहा । यह चक्कर चलता रहता है ।

प्रस्तुत आयव्ययक में आर्थिक स्थिति का कोई विश्लेषण नहीं है । आधे से अधिक उद्योगो को घाटा हुआ है । आंकड़ों से यह बात सिद्ध की जा सकती है । विदेशी व्यापार का मूल्य तथा आकार गत ३२ वर्षों में इस वर्ष सब से कम है । श्रम सेवायोजनालयों में बेकारों की संख्या बढ़ती जा रही है । केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अतिरेक समाप्त हो गये हैं । मदरास जिले के पास ९० करोड़ का अतिरेक था और हैदराबाद जिले के पास ८७ करोड़ का अतिरेक था । अब घाटे वाले राज्य हैं । केन्द्र की रोकड़ बाकी शून्य हो गई है । दो वर्ष पहले हमारे पास २७३ करोड़ नकद था ।

सन् १९५२-५३ के ७९ करोड़ के पूंजी व्यय के स्थान पर हम ने केवल १ ½ करोड़ का आवंटन किया है । दूसरे शब्दों में हमारे उद्योगों को विकसित करने के कोई प्रयत्न नहीं किये जा रहे हैं ।

आयव्ययक आंकड़ों को जान बूझ कर बड़ा दिखाने की चेष्टा की गई है । १९५२-५३ में सम्पूर्ण कमी ७९ करोड़ थी और १९५३-५४ में १४० करोड़ की दिखाई गई है । आंकड़ों से इस बात को समझाया नहीं जा सकता है । आयात शुल्क में ६ करोड़ का घाटा है, निर्यात शुल्क में १२ करोड़ का है, संघ उत्पाद शुल्क में ६·५ करोड़ का है, और निगम करों के अतिरिक्त आयकर में २·५ करोड़ का घाटा है । इस प्रकार ३१ करोड़ का घाटा है । नौ करोड़ पाकिस्तान से आने हैं । इस का दुगना १८ करोड़ होता है । यदि सरकार को खाद्य साहाय्य देना पड़ा और पाकिस्तान से पैसा न मिला तो घाटा १४० करोड़ का नहीं अपितु २३० करोड़ का होगा ।

प्रत्यक्ष करों में भी घाटा हुआ है । सन् १९४७-४८ में इन से ४७ प्रतिशत आय हुई थी । पर सन् १९५३-५४ में यह घट कर २८ प्रतिशत रह गई है । रेल तथा डाक की आय में कमी हुई है । १८·३ करोड़ का अतिरेक घट कर ९·५ करोड़ रह गया है ।

अब देखिये औद्योगिक नीति को । बृटिश विनियोजन बढ़ता जा रहा है । सन् १९४८ में यह २·८१ करोड़ था, परन्तु जून १९५२ में यह बढ़ कर २८·१८ करोड़ हो गया । उस ने यहां बड़ी फैक्टरियां स्थापित कर ली हैं जिन से हमारे कुटीर उद्योगों और निर्माताओं को असीम हानि हुई है । यह है हमारी नीति । ऐसी स्थिति में मेरी समझ में नहीं आता कि हम किस तरह अपने औद्योगिक विकास छोटे उद्योगों को सुरक्षा देने इत्यादि की बात कर सकते हैं जब कि हम ब्रिटिश और अमरीकी वनियोजन को अपने ऊपर छाये जाने दे रहे हैं ।

[डा० जयसूर्य]

अब घाटे की अर्थव्यवस्था को देखिये। २०८ करोड़ में से १३२ करोड़ राज्यों को दिया जाना है। पंचवर्षीय योजना का सम्पूर्ण व्यय कोई २०६९ करोड़ अर्थात् कोई ४१७ करोड़ प्रतिवर्ष है। अब प्रश्न यह है कि इतना सब धन आयेगा कहां से? पहले तो यह व्यय आयव्ययक से अतिरेक से किया जाता था, पर अब तो केन्द्र और राज्य दोनों दिवालिया हो गये हैं। उन के पास अतिरेक नहीं है। ऋण लेना वांछनीय नहीं है, क्योंकि बाज़ार में हमारी साख कम हो गई है। दो वर्ष में हम को १०३८ करोड़ का प्रबन्ध करना है। स्टर्लिंग संसाधनों तथा ऋणों से हम ३०० करोड़ की आशा कर सकते हैं। शेष ७३८ करोड़ विदेशी ऋणों से प्राप्त करने हैं। परन्तु क्या इतनी धन राशि दो वर्ष में प्राप्त हो सकती है? यह असंभव है। अतः कम से कम ५०० करोड़ की घाटे की अर्थव्यवस्था करनी आवश्यक है। परन्तु कृषि प्रधान देश में घाटे की अर्थ व्यवस्था का कोई आधार नहीं होता है। केवल औद्योगिक देशों में अपने माल को निर्यात कर के ऐसा किया जा सकता है। अतः भारत को पंचवर्षीय योजना को सफलतापूर्वक चलाने के लिये विदेशी सहायता और प्रधानतः अमरीकन सहायता पर निर्भर होना पड़ेगा।

डा० सैयद महमूद (चम्पारन—पूर्व): सभापति जी मैं ज्यादा वक्त इस हाउस का ज़ाया नहीं करना चाहता और शायद जब से यहां आया हूं कभी बोलने की हिम्मत नहीं की।। मैं चालीस बरस तक बोलता बोलता थक गया हूं इसलिये मैं समझता हूं कि जितना कम हम लोग बोलें उतना ज्यादा बेहतर है। बदकिस्मती से हम लोग इस मुल्क में ज्यादा बोलते हैं। आज मैं ने डरते डरते बोलने की हिम्मत की। मैं तो चार घंटे इन्तज़ार करते करते थक गया था और जाने ही वाला था कि आप ने बुला लिया। इसलिये मैं चन्द शब्द कहूंगा।

बजट के मुताल्लिक इस में कलाम नहीं कि इस मुल्क में टैक्स यहां की आबादी के ५ फी सदी के हिसाब से वसूल होता है। इंगलैंड में पचास फी सदी आबादी पर टैक्स वसूल होता है। इस के माने यह हैं कि करीब करीब सारी मेल पापुलेशन (पुरुष जन संख्या) वहां पर टैक्स देती है। ऐसी हालत में बजट बनाने की और वह भी उस वक्त जब कि बड़े बड़े काम करने हैं, इतने बड़े बड़े काम जो कि शायद कोई मुल्क शुरू में करने की हिम्मत न करता, हम ने हिम्मत की है। इस में कलाम नहीं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट बना कर और उस के लिये फाइनेंस मुहैया कर के एक बड़ा अच्छा काम किया है। गो बजट पर बहुत से एतराज़ हो सकते हैं, जैसे कि कभी किये भी गये और बाज़ जायज़ ऐतराज़ भी हो सकते हैं, लेकिन एतराज़ एक और चीज़ में है। फिल जुमला यह कहा जा सकता है कि बजट बहुत ज्यादा तसल्लीबख्श रहा है और उस ने मुल्क के हर तब्के को खुश करने की कोशिश की है और किया है।

अभी कहा गया, शायद गाडगिल साहब ने कहा कि और टैक्सेशन लगाना चाहिये था, लेकिन नहीं लगाया। बेशक, यह ठीक है, जैसा उन्हों ने कहा कि सोशल जस्टिस (सामाजिक न्याय) के लिये टैक्सेशन लगाना ज़रूरी है, लेकिन जब कि अभी हम ने टैक्सेशन एनक्वायरी कमेटी (करारोपण जांच समिति) मुकर्रर की है ऐसी हालत में हम को इस साल टैक्स नहीं लगाना चाहिये था, इसलिये कि हम को उसूल तय करना है, इस के तरीके तय करने

हैं, इस वास्ते यह टैक्सेशन नहीं हुआ तो कोई बेजा बात नहीं है ।

यों ऐतराज़ात तो बहुत हैं एक एतराज़ यह भी किया जाता है और शायद सही है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में अर्न्ड (अर्जित) और अनअर्न्ड इन्कम (अनर्जित आय) में फर्क किया जाता था, लेकिन आप ने इस में कोई फर्क नहीं किया । इस से स्टेट को बहुत बड़ा नुक्सान हुआ । अगर नये टैक्स की ज़रूरत नहीं थी तो भी पुराने टैक्स की अनामली (विभेदना) को दुरुस्त करना चाहिये था । लेकिन जो पुराना तरीका अंग्रेज़ों के ज़माने का था उस से स्टेट को ज्यादा फायदा होता था, उस पर ज्यादा तवज्जह देनी चाहिये ।

इधर उधर एतराज़ तो बहुत से हैं लेकिन फिर भी इस में कलाम नहीं कि बजट ने काफी तरीके से मुख्तलिफ तबकों को खुश किया है । मध्य वर्ग के लोगों को भी कुछ थोड़ा बहुत खुश करने की कोशिश की गई है । वह त्यागी साहब के अफसरों के लिये किया गया है । इस ख्याल से नहीं किया गया है कि लोगों को आराम मिले । सिर्फ छः सौ रुपये इस में बढ़ाये गये हैं । अगर उन को छोटे छोटे डिपाज़िट (निक्षेप) बढ़ाना था तो अगर उस को पांच हजार करते तो ज्यादा बेहतर था ।

यह चन्द अल्फाज़ कहने के बाद चूंकि बजट का ताल्लुक प्लेनिंग (योजना) से है, फाइव इयर प्लेन (पंच वर्षीय योजना) से है, इसलिये उस के मुताल्लिक भी कुछ कहूंगा । फाइव इयर प्लैन मेहनत से तैयार किया गया है । उस के मुताल्लिक बहुत सी बातें कही जा सकती हैं कि उस में यह कमी है, वह कमी है । हैं भी बहुत सी कमियां लेकिन फिर भी मजमूई हैसियत से फाइव इयर प्लैन एक बेहतरीन डाकमेन्ट (प्रलेख) तैयार हुआ है । जिस की तारीफ बाहर के लोग बहुत ज्यादा करते हैं । लेकिन हम खुद उस की कमियों को जानते हुए भी उस की तरफ मुतवज्जह नहीं हैं । यह और बात है कि हम को मुतवज्जह करने की कोशिश की गई है या नहीं । इसके मुताल्लिक फिर अर्ज़ करूंगा । लेकिन यह ठीक है कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में अपने काम की तरफ तवज्जह नहीं है, उन कामों की तरफ जो हिन्दुस्तान ने उस वक्त किया या कर रहा है । तमाम दुनिया की नज़रें उस की तरफ हैं और तमाम दुनिया उस की तारीफें कर रही है । मैं उस की फैहरिस्त नहीं गिनाना चाहता जो हिन्दुस्तान के काम हैं क्योंकि उस की एक लम्बी दास्तान होगी लेकिन एक दो बातें कहना चाहता हूं जिस से पता चलता है कि हमारे मुल्क ने कितने बड़े बड़े काम किये हैं ।

पहली चीज़ जो आज़ादी के बाद हम ने की और जिस की मिसाल शायद दुनिया के इतिहास में नहीं मिलेगी, वह चीज़ थी फ़िउड-लिज्म (सामन्तवाद) के बुत को बिना एक कतरा खून बहाये हुए तोड़ना । यह कोई आसान काम नहीं था, इसको बेशक रूस ने किया, चीन ने भी किया, लेकिन किस कीमत पर ? कितने इन्सानों का खून बहाया । लेकिन जिस डिमाक्रेटिक (प्रजातन्त्रीय) तरीके से हिन्दुस्तान ने बिना एक कतरा खून बहाये हुए फ़िउडलिज्म के बुत को तोड़ा वह एक काबिले तारीफ चीज़ है ।

दूसरी चीज़ यह है कि हम ने एक बहुत बड़ा तजुर्बा ऐडल्ट सफ़रेज़ (वयस्क मताधिकार) दे कर किया है । एक ऐसे मुल्क के लिये जिस ने अभी आज़ादी हासिल की हो, उस मुल्क के लिये जिस में ८० फी सदी आदमी

[डा० सैयद महमूद]

जाहिल हों, यह एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम था। इस में कलाम नहीं कि बहुत से लोगों ने इस की मुखालिफत की, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, जिन में हिम्मत की कमी नहीं है, इस को कर के एक बहुत बड़ा रिस्क (संकट) भी लिया। यह रिस्क होते हुए भी बहुत हिम्मत का काम था। इंगलैंड में पहली लड़ाई के बाद जा कर एडल्ट सफरेज़ हुआ है लेकिन इस मुल्क में एडल्ड सफरेज करने का नतीजा यह हुआ कि हमने शुरू से ही जनता का राज्य कायम करने की कोशिश की और जनता का राज्य कायम कर के दिखला दिया। हम ने आते ही जनता का राज्य कायम कर के कैपिटलिस्ट एक्स-प्लायटेशन (पूंजीवादी शोषण) को खत्म करने की कोशिश की। अगर यह हम न करते तो आज़ादी के बाद मुल्क में कैपिटलिस्ट ऐक्स्प्लायेटेशन बहुत ज्यादा होता।

डिमाक्रेसी के साथ हम एक और बड़ा एक्स्पेरीमेंट (प्रयोग) कर रहे हैं। डिमाक्रेसी कायम कर के हम ने जनता का राज्य शुरू किया है और उस के साथ साथ अब हम प्लैन्ड एकानामी (नियोजित अर्थ व्यवस्थ) को कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बहुत विचित्र एक्सपेरीमेंट (प्रयोग) है जिस की तारीफ दुनिया के दूसरे मुल्क भी कर रहे हैं। यह और जगह भी हुआ है। रूस में हुआ चीन में हुआ है लेकिन वह डिमक्रेसी के साथ नहीं हुआ है जैसा कि आप को मालूम है वह दूसरे तरीके से हुआ है लेकिन डिमाक्रेसी के प्लान्ड एकानामी का एक्सपेरीमेंट हम दुनिया के साथ में पहली मर्तबा कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम इस को कामयाबी के साथ खत्म करेंगे। इस में कलाम नहीं कि इस काम को पूरा करने के लिये मौजूदा लीडरशिप (नेतृत्व) ज्यादा मुनासिब है इसलिये कि यह वही लीडरशिप है कि जिस ने मुल्क के लिये आज़ादी हासिल की है। उस ने मुल्क में इत्मिनान दिलाया है क्यों-कि मौजूदा लीडरशिप मुल्क में इतना बड़ा काम कर चुकी है इसलिय इस पर लोगों को इत्मिनान है। इसलिये इस ने जो काम शुरू किये हैं गालिबन वह इन को खत्म करेगी और जनता भी उस का साथ देगी। इस में कलाम नहीं कि हम ने बहुत सी गलतियां की हैं और करेंगे और शायद अब भी कर रहे हैं लेकिन बावजूद तमाम गलतियों के अगर मजमूई हैसियत से हम देखें तो हमारा काम अज़ीमुश्शान है और बहैसियत एक हिन्दुस्तानी के हम को उस पर फख्र होना चाहिये। एक और बात है कि हमारा दिल यह चाहे कि हम और बड़े बड़े काम करें और इन कामों को जल्द खत्म करें। यह ख्वाहिश हो तो कोई हर्ज नहीं लेकिन उन कामों को नज़र-न्दाज़ (उपेक्षा) करना और उन को निहा-यत मामूली समझना और यह कहना कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, वह तो गालिबन एक हिन्दुस्तानी के लिये मौजूं नहीं है, खास कर ऐसी हालत में जब कि दुनिया के दूसरे मुल्कों के रहने वाले उस की तारीफें करते हैं। बेशक यह बात है कि इस फाइव इयर प्लान में कैपिटलिस्टों (पूंजीपतियों) को भी मौका दिया गया है। पहले तो इन लोगों को इस पर बहुत एतराज़ था और यह कहते थे कि यह कामयाब नहीं होगा। उन को शुबहा था। लेकिन वह भी शायद मजबूर हुए और वह भी अब समझने लगे हैं कि कामयाब होगा। अभी गुज़ता चन्द रोज़ से हम को मालूम हुआ है कि वह भीकौप-रेशन (सहयोग) करने की सोच रहे हैं और उस को कामयाब बनाने में उन की भी पूरी कोशिश होगी। इस का उन्हों-ने ऐलान किया है।

दूसरी पीढ़ियां भी अगर इस में गवर्नमेंट के साथ कोआपरेशन करें तो ज़ाहिर है कि बहुत बेहतर है । जाहिर है कि जो पार्टियां इस फंडामेंटल (सिद्धान्त) से ऐग्री करती हैं कि डिमाक्रेसी के साथ प्लान्ड-इकानामी हो सकती है उन का कोआपरेशन हो सकता है । हां जो पार्टियां इस फंडामेंटल से ऐग्री नहीं करतीं उन से कोआपरेशन मुमकिन नहीं है । अभी तरह तरह की खबरें सुनने में आ रही हैं । कहा जाता है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से कांग्रेस का सम्बन्ध हो रहा है । इस पर मैं ने बहुत ऐतराज़ भी सुने हैं, कांग्रेस सरकिल्स (क्षेत्र) में भी ऐतराज़ हो रहे हैं लेकिन, अगर वह इस फंडामेंटल से ऐग्री करतें हैं कि डिमाक्रेसी के साथ प्लांड इकानामी रह सकती है और उस को कामयाब बनाया जा सकता है, तो मैं नहीं समझता कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ कोआपरेशन करने में क्या हर्ज़ है और क्यों इस पर एतराज़ किया जाना चाहिये । यह चन्द अल्फाज़ मुझे फाइव इयर प्लान के मुताल्लिक कहने थे और मैं इस पर आप का ज्यादा वक्त सर्फ नहीं करना चाहता ।

दूसरी चीज़ जो मैं अर्ज़ करूंगा वह यह है कि डेफिसिट फाइनेंस (घाटे की अर्थ व्यवस्था) के मुताल्लिक तो मेरी कुछ कहने की अहलियत (योग्यता) नहीं है, इस पर मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन यह ज़रूर कहूंगा कि मुमकिन है कि सन् १९५०-५१ के इंडैक्स फिगर (देशनांक आंकड़े) काबिले इत्मिनान हों, लेकिन उस के पहले सन् १९४७ से सन् १९४९ तक के इंडैक्स फिगर तो काबिले इत्मिनान नहीं थे । जो इंडैक्स फिगर सन् १९५०-५१ के हैं, जिन पर भरोसा कर के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने यह रखा है, बावजूद पहले से उन में कुछ कमी होने के अब भी बहुत कुछ ज्यादा है और अब भी काफी इन्फ्लेशन (मुद्रास्फीति) है और उस में कुछ खतरा ज़रूर है । लेकिन उम्मीद है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब इस बात को देखेंगे कि अब मुल्क और ज्यादा इन्फ्लेशन को बरदाश्त नहीं कर सकता है । अगर इस डैफिसिट फाइनेंसिंग से और इन्फ्-लेशन बढ़ा तो तबाही का खतरा हो सकता है । इस वास्ते यकीन है कि वह इस पर काबू पायेंगे और इस को समझते हुए वह इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करेंगे और उस को बढ़ने नहीं देंगे ।

डिफेंस (रक्षा) के मुताल्लिक मैं चन्द अल्फाज़ कहूंगा । वह यह हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में लड़ाई के वक्त जब कि उन्हों ने ११० करोड़ खर्च किया था तो सारा मुल्क चिल्ला उठा था कि हमारे मुल्क को तबाह कर दिया और वह ११० करोड़ हम को इतना गिरां था कि हमारे मुल्क में एक सिरे से दूसरे सिरे तक यह आवाज़ उठी कि मुल्क बर्बाद हो रहा है । लेकिन आज तो हम सुलह के वक्त भी ३०० करोड़ खर्च कर रहे हैं, दो सौ करोड़ नहीं क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान भी इस मुल्क में शामिल था । तो अगर ११० करोड़ खर्च कर के मुल्क तबाह हो रहा था तो यह ३०० करोड़ खर्च कर के वह कब तक चल सकेगा । इन तीन सौ करोड़ को खर्च कर के हम इतनी तो ऐफीशियेंसी (कार्य-क्षमता) ला नहीं सकते कि जिन बड़ी बड़ी सल्तनतों से हम को खतरा हो सकता है उन का हम मुकाबला कर सकें । यह तो नहीं हो सकता । सिर्फ यह हो रहा है कि हम को पाकिस्तान पर और पाकिस्तान को हम पर शुबह है और शक है । इस शक व शुबह की वजह से हम ३०० करोड़ खर्च कर रहे हैं । यह कहां तक मुनासिब है ? पाकिस्तान कहां तक ऐसी ताकत रखता है कि वह हम पर हमला कर के हम को नुक-सान पहुंचा सके ? लेकिन यह बहुत कंट्रो-

[डा० सैयद महमूद]

वरशल (विवादास्पद) बात है इसलिये इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता। लेकिन इस में मैं कलाम नहीं कि इस खर्च को चाहे हम तो कुछ वक्त तक बरदाश्त कर सकें लेकिन पाकिस्तान तो नहीं कर सकता। मुझे तो ताज्जुब है कि वह अब तक इसे कैसे बरदाश्त कर सके और १०० करोड़ खर्च करने की वजह से अब तक क्यों तबाह नहीं हो गये।

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी): पाकिस्तान की तरफ से कोई खतरा होने के ख्याल से यह फौज नहीं रखी जा रही है। खर्च इस लिये बढ़ रहा है कि पुराने ज़माने में हिन्दुस्तानी फौजों को अंग्रेज़ों की फौजों का बहुत काफी सहारा था और अब उसको मुकम्मिल तरीके से अपनी फौजों को सैल्फ सफीशियेंट (आत्म निर्भर) बनाना पड़ रहा है।

डा० सैयद महमूद: बहरहाल मैं यह अर्ज़ करता हूं कि अगर आप अपनी फौजों को इतना ऐफीशियेंट बना सकें कि जो खतरा दक्षिण पूर्वी एशिया और मिडिल ईस्ट डिफैंस आरगेनाइज़ेशन की वजह से हो रहा है उस का मुकाबला कर सकें तब तो बेशक ठीक है। लेकिन मैं नहीं समझता कि यह २०० करोड़ तो क्या ५०० करोड़ रुपया खर्च कर के भी आप इस खतरे का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। मैं पहली मर्तबा बोल रहा हूं इस लिये मुझे डिसकरेज (हतोत्साह) न कीजिये। तो बहरहाल यह खतरा हम को ज़रूर है जो कि नई पालिसी से हो रहा है। अमरीका जो कि साउथ ईस्ट एशिया का डिफेंस आरगेनाइज़ कर के और दूसरी मीडो को खड़ा कर के जो हम को आइसोलेट (पृथक) करना चाहता है, इस का हम मुकाबला किस तरह से कर सकते हैं यह हम को ज़रूर सोचना चाहिये।

अगर हम एक ऐफीशियेंट फौज बना सके, अगर हम ऐसी फौज बना सकें जो इन खतरों का मुकाबला कर सकती तो बेशक "चश्म मारोशन दिले माशाद"। लेकिन ज़ाहिर है कि यह तो हम बदकिस्मती से नहीं कर सकते तो इस के लिये दूसरी तरकीबें सोचनी चाहियें। और क्या तरकीबें हैं जिन से हम इन खतरों का मुकाबला कर सकें। यह ठीक है कि पाकिस्तान ललचाई हुई नज़रों से मीडो की तरफ देख रहा है। यह हमारी बदकिस्मती है। मगर पाकिस्तान और हम इस को नहीं भूल सकते कि पाकिस्तान की कमज़ोरी हमारी कमज़ोरी है, और खास कर मिलिटरी सैंस में तो बहुत ज्यादा है। इसलिये हम को कुछ ऐसा तरीका अख्तियार करना चाहिये कि जिस से हम ऐसे खतरों का, जो मीडो या साउथ ईस्ट एशिया आरगेनाइज़ेशन बना कर हम को आइसोलेट करने की कोशिश है, मुकाबला कर सकें। इस खतरे का मुकाबला मेरे ख्याल से सिर्फ रुपया खर्च कर के तो नहीं कर सकते। हम में इतनी सकत नहीं है, हमारे पास इतनी दौलत नहीं है। २०० करोड़ क्या ५०० करोड़ में भी नहीं कर सकते। लेकिन एक तरीका है, शायद वह तरीका कामयाब हो सके। वह यह है कि हम को और पाकिस्तान को जिस तरह से भी हो, ज्वाइंट डिफैंस (संयुक्त रक्षा संगठन) कर के इस खतरे का मुकाबला करना चाहिये। सवाल यह है कि यह क्यों कर हो? आज पाकिस्तान खुद अपना इंटरैस्ट (भलाई) नहीं समझता है। यह हम जानते हैं। जब बच्चा तालीम हासिल नहीं करता और खुद अपना इंटरैस्ट नहीं समझता तो पुराने ज़माने में उन बच्चों को सज़ा दी जाती थी। लेकिन

मौजूदा तालीम का तरीका दूसरा है, वह सज़ा का तरीका नहीं है । मौजूदा तरीका यह है कि जिस तरह से भी हो उस को समझाइये, बार बार समझाइये और उस को अपने खतरे से वाकिफ करिये । इसलिये इसी तरह का यह मौजूदा तरीका पाकिस्तान के साथ भी अख्तियार करना चाहिये । ज्वाइंट डिफैंस का तरीका अख्तियार करना चाहिये । पाकिस्तान नाम तो हो गया, ठीक है, लेकिन मानिये कि दिल्ली में एक बड़ी दीवार खड़ी कर ली जाये । और नई दिल्ली का नाम पैरिस रख दिया जाये और आप समझने लगें कि पैरिस हो गया तो आप समझ लें, मगर भूगोल तो नहीं बदल सकते । इसलिये हिन्दुस्तान और पाकिस्तान को, बदकिस्मती है कि एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) अलहदा है, नाम भी अलहदा है नाम तो कोई चीज़ नहीं है, मगर उन खतरों का जो इस तकसीम से हुए हैं, मेरे ख्याल में एकत्रवाहिद इलाज यही है कि हम जिस तरह से भी हो, कामन डिफैंस और ज्वाइंडट डिफैंस कर के और मगरिबी एशिया की कौमों से फिर अपना सम्बन्ध जोड़ कर दुनिया में सुलह और अमन क़ायम करने की कोशिश करें, जो कि हम कर सकते हैं । मेरे ख्याल से यह नामुमकिन नहीं है । यह हमारी डिप्लोमेसी (कूटनीतिज्ञता) का और हमारी स्टेट्समैनशिप (नीतिज्ञता) का तकाज़ा है कि हम यह काम करें । पाकिस्तान से कामन डिफैंस या ज्वाइंट डिफैंस की कोशिश करें । यह जो वैस्टर्न एशिया के मुल्कों को मीडो बना कर उन को फांसने की कोशिश हो रही है और जो उन की नज़रें हमारी तरफ लगी हुई हैं . . . . .

सभापति महोदय : माननीय सदस्य बीस मिनट से अधिक ले चुके हैं । क्योंकि यह उन का प्रथम भाषण है इसलिये मैं उन को रोकना तो चाहता नहीं पर मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने भाषण को समाप्त करें ।

डा० सैयद महमूद : अच्छा साहब, लेकिन बहरहाल मैं साल भर नहीं बोला, तो कुछ तो आप को रियायत करनी चाहिये ।

सभापति महोदय : मैं उन को पहले ही बीस मिनट से अधिक दे चुका हूं ।

डा० सैयद महमूद : बहुत अच्छा, मैं छोड़ता हूं । लिंग्विस्टिक प्राविंसेज (भाषावार प्रान्तों) का भी बड़ा जोर है और हम पर हर तरफ से इस के लिये बौछार है । एक तो हम ने अभी बनाया है और दूसरे लिंग्विस्टिक प्राविन्सेज़ की तरफ बहुत शोर है । लेकिन मेरे ख्याल में प्राविन्सेज लिंग्विस्टिक बेसिस (आधार) पर बनेंगे तो मेरे साथ चाहे और कोई करें न करें मगर टंडन जी ज़रूर इत्तिफाक करेंगे कि उस से मुल्क की तबाही है । मैं समझता हूं कि एकानामिक जोगराफिकल बेसिस पर प्रोविन्सेज़ बनने चाहियें या हमारे प्राविन्सेज़ होने ही नहीं चाहियें, सिर्फ ज़िले ही हों । इस से जो बड़े खतरे प्राविंशियलिज्म (प्रान्तीयता) वगैरह के लिंग्विस्टिक प्राविंसेज़ बनाने में हैं वह मिट जावेंगे, अगर हम सिर्फ सेंटर रखें और प्राविंसेज़ को उड़ा दें ।

श्रीमती सुषमा सेन (भागलपुर दक्षिण) : किसी नये कर के न बढ़ाये जाने और विकास कार्य के लिये अधिक धन का प्रावधान किये जाने के कारण आयव्ययक का अच्छा स्वागत हुआ है । आयकर की छूट सीमा के सम्बन्ध में जो सुविधा दी गई है उस का मैं स्वागत करती हूं । यह निस्संदेह मध्य वर्ग के लिये एक वरदान है । मेरा विचार है कि यह और अधिक बढ़ाई जानी चाहिये । करारोपण जांच समिति को जिस के सभापति डा० जान मथाई हैं, इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये । मेरे विचार से करारोपण में वृद्धि करने का

[श्रीमती सुषमा सेन]

यह अच्छा अवसर नहीं है। अभी भी जनता पर बहुत अधिक कर भार है। मेरा विचार यह भी है कि सम्पत्ति शुल्क को अभी लागू न किया जाये। अभी देश इस योग्य नहीं हुआ है। साथ ही सम्पत्ति कर के प्रतिदान के रूप में दी जाने वाली सरकारी सहायता जैसे निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, निर्धनों के लिये गृह, वृद्धावस्था निवृत्त-वेतन, की सरकार अभी व्यवस्था नहीं कर सकी है। आशा है कि करारोपण जांच समिति इस पर विचार करेगी।

देश में कल्याणकारी राज्य बनाने के प्रयत्नों में काफी प्रगति हुई है। समस्त जनता के सहयोग से और पंचवर्षीय योजना को लागू कर के मेरे विचार से हम एक नवभारत की नींव रख सकेंगे।

यह जान कर कि समस्त संसार में खाद्यान्नों के मूल्य गिर रहे हैं, बहुत खुशी हुई, आशा है कि कमी हमारे देश में भी होगी। यदि हमारी विकास योजनायें पूर्ण हो जायें और देश के प्रशासन व्यवस्था में मितव्ययता की जा सके तो युद्ध-पूर्व के बाजार भाव फिर आ सकते हैं।

रक्षा सम्बन्धी व्यय में कटौती की जाने के मैं पक्ष में नहीं हूं। यही तो हमारा सब से बड़ा संबल है। हमारी सेना बहुत योग्य तथा वीर है और अफसरों के वेतनों में कटौती करना वांछनीय नहीं है क्योंकि फिर सुयोग्य नवयुवक सेना में नहीं आयेंगे और उन की कार्यक्षमता कम हो जायेगी। इस के विपरीत मेरा निवेदन है कि मोर्चे पर नियुक्त अफसरों तथा सैनिकों के परिवार तथा सन्तान भत्ते बढ़ा दिये जायें इस से उन को प्रोत्साहन मिलेगा। देश में बनी मशीनों तथा शास्त्रार्थों को क्रय करके व्यय में कमी की जा सकती है। इस के अतिरिक्त मेरा सुझाव है कि जो अफसर या सैनिक किसी मोर्चे पर नहीं हैं अथवा किसी कार्य विशेष पर नियुक्त नहीं हैं उन को देश के नवयुवकों को अनुशासन तथा वफादारी की शिक्षा देनी चाहिये।। राष्ट्रीय छात्र सेना भी अच्छा कार्य कर रही है, अतः मेरा सुझाव है कि सभी विश्वविद्यालय इस प्रणाली को लें।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

यदि हमारी बहुप्रयोजनीय योजनायें चालू हो जायें तो उस पर व्यय किया गया पुनः सुकारत लग जाय। छोटी सिंचाई योजनायें जैसे कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो कर लाभ देने लगेंगे। अपने स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र की मैं बात बताती हूं। उस के दक्षिण में पथरीली और चट्टानी भूमि है और बिना नलकूप गलोय तनिक भी जल सिंचाई के लिये नहीं मिल सकता है। क्योंकि केन्द्र ने अनुदानों में २५ प्रतिशत की कमी कर दी है राज्य सरकार इस का व्यय नहीं उठा सकती है। मैं माननीय वित्त मंत्री से इस प्रश्न पर विचार करने का निवेदन करूंगी, क्योंकि अनावृष्टि के समय फस्लों के सूख जाने के कारण वहां के निवासियों को वृक्षों के पत्तों और सोया घास खानी पड़ती है। यदि सिंचाई सुविधायें दी जायें तो यह दुःख दूर हो सकता है। अतः सरकार से प्रार्थना है कि इकलाही बांध योजना को प्रारम्भ कर दिया जाये। उस पर अधिक व्यय नहीं होगा और कोई ५०,००० एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी। और इस प्रकार आयात किये गये अनाज की मात्रा को कम किया जा सकता है।

अब मैं छोटी बचत योजना की ओर आती हूं। मुझे प्रसन्नता है कि अन्त में देश की स्त्रियों को इस योजना में सहयोग देने का अवसर मिला है और इस संगठन को चालू रखने के लिये महिला संस्थायें स्थापित की जायें। महिला बचत सप्ताह पहले ही चालू कर दिया गया है और मुझे आशा है कि अवसर

मिलने पर हम महिलायें भी इस योजना को सफल बनाने में योगदान दे सकेंगी ।

श्री आनंद चन्द (बिलासपुर) : प्रस्तुत आयव्ययक बहुत सन्तुलित है और उस में जनता पर अधिक कर भार नहीं डाला गया है । मूल्य देशनांकों के गिरने से यह समझा जा सकता है कि दशा सुधरती जा रही है और आर्थिक स्थिति ठीक हो रही है । पर जहां तक श्रमिकों के लिये आवश्यक सारभूत वस्तुओं का सम्बन्ध है उन का मूल्य देशनांक बढ़ता जा रहा है । दिसम्बर १९५१ में बम्बई में यह ३३१ था परन्तु दिसम्बर १९५२ में यह ३४६ हो गया । कुछ वस्तुओं के मूल्य अवश्य गिरे हैं पर इस का यह अर्थ नहीं है कि जन साधारण को कोई विशेष सुविधा मिली है । चीनी, मिट्टी का तेल, कपड़ा इत्यादि के मूल्य बढ़े हैं । देश का जीवन स्तर तभी बढ़ सकता है जब उत्पादन अधिक हो और इसे पंचवर्षीय योजना में ही विनियमित किया जा सकता है । मुझे प्रसन्नता है कि प्रस्तुत आयव्ययक इसी आधार पर तैयार किया गया है ।

ग्राम्य विकास योजनायें पंचवर्षीय योजना की आधार हैं । मुझे यह देख कर प्रसन्नता होती है कि इन को कार्यान्वित करने के लिये समुचित प्रयत्न किये जा रहे हैं । मैं यह जानने का इच्छुक था कि केन्द्रीय सरकार ने इन योजनाओं के निरीक्षण के लिये क्या प्रणाली अपनाई है । बिलासपुर की ग्राम्य विकास योजना का निरीक्षण केन्द्र से भेजे गये व्यक्तियों द्वारा किया जाता है परन्तु यह व्यक्ति प्रशासक होते हैं उस विषय विशेष के विशेषज्ञ नहीं । इसलिये मेरा निवेदन है कि ग्राम्य विकास योजना के कार्य का निरीक्षण करने वालों का उच्चकोटि की प्रविधिक योग्यता रखना आवश्यक है ।

प्रस्तुत आयव्ययक में राजस्व लेखा तो पिछले वर्षों जैसा ही रहा है । ४३८ करोड़ की सकल आय में करों से प्राप्त होने वाली रकम केवल ३३८ करोड़ ही है । साथ ही करों की प्राप्ति पर व्यय होने वाली रकम की प्रतिशतता भी बहुत अधिक है । यह व्यय पिछले वर्षों के देखे तीन गुना हो गया है । 'अन्य करों' शीर्षक करों से आय तो होती है २.१६ करोड़ रुपये की पर उस की प्राप्ति पर व्यय हो जाता १ १/२ करोड़ रुपये । यह बहुत अधिक है । राजस्व से होने वाली आय ११.१८ करोड़ रुपये दिखाई गई है, परन्तु जिन शीर्षों के अन्तर्गत उसे वसूल किया गया है वह व्याख्यात्मक टिप्पणी में नहीं दिये गये हैं । जहां तक वनों, सामान्य प्रशासन, उत्पादन शुल्क इत्यादि से प्राप्त होने वाली राजस्व का सम्बन्ध है, मेरा यह सुझाव है कि भाग ग में के राज्यों पर होने वाला व्यय बढ़ता जा रहा है, और जनता को अधिक सुविधायें दी जाने की मांग को दृष्टि में रखते हुए उसे बढ़ना चाहिये भी था, परन्तु राजस्व में कोई वृद्धि नहीं हो रही है । कच्छ, भोपाल और त्रिपुरा में तो राजस्व से होने वाली आय सन् १९४९-५० में हुई आय से भी कम है । वित्त मंत्री को इस प्रश्न पर ध्यान देना चाहिये और भाग ग में के राज्यों के राजस्व अधिकारियों को व्यय के अत्यधिक आंकड़े भेजने के लिये हतोत्साहित करना चाहिये और उन्हें राजस्व के नये स्रोतों को खोज निकालने का आदेश देना चाहिये जिस से कि भाग ग में के राज्य सदैव के लिये केन्द्र पर भार न बन जायें ।

श्री एस० वी० रामास्वामी (सलेम) : उन को समाप्त क्यों न कर दिया जाये ।

श्री आनंद चन्द : मैं इसी विषय पर आ रहा था । कुछ मित्रों ने इस सम्बन्ध में बहुत उग्र विचार प्रकट किये हैं । परन्तु मैं उन से सहमत नहीं हूं । भारत का संविधान बहुत परिश्रम तथा विचार करने के पश्चात् बनाया गया था । संविधान कर्त्ताओं को अपनी परिसीमाओं तथा कठिना-

[श्री आनन्द चन्द]

इयां ज्ञात थीं और उन्हों ने ऐसा प्रावधान किया। यदि आज संसद् यह समझती है कि यह केन्द्र पर बेकार का भार है तो इनको समाप्त कर दीजिये। परन्तु जैसा कि स्वर्गीय सरदार पटेल ने अपने ज्ञापन में बताया था इन भाग ग में के राज्यों के रखने की आवश्यकता थी। कच्छ का उदाहरण लीजिये, यह सौराष्ट्र और पाकिस्तान के बीच का एक सीमान्त राज्य है। इसी प्रकार मनीपुर आसाम और ब्रह्मा की सीमान्त पर है। इन के संविलीन न किये जाने के यही कारण हैं। वहां की जनता का जनमत माना जाये और उस के अनुसार निर्णय किया जाये। यदि आंध्र की जनता प्रथक आंध्र राज्य चाहती है और संविधान में उस का नाम न होने पर भी उस के बनाये जाने का निर्णय किया गया है। उसी प्रकार इस भाग ग में के राज्यों में जनमत संग्रह कर के इस प्रश्न को हल करना होगा।

जहां तक व्यय का सम्बन्ध है रक्षा साधनों पर किया जाने वाला व्यय मेरे विचार से बिल्कुल ठीक है। हमारी सेना अभी शक्ति शाली नहीं है यह बात दूसरी है और इस का कारण अपेक्षित मशीनों, उपकरणों तथा शस्त्रों की कमी ही है। हमारी देश की सीमा सैंकड़ों मील तक पाकिस्तान से लगी हुई है और मेरे विचार से शक्ति ही शान्ति बनाये रखने का सर्वोत्तम साधन है। मितव्ययता के हेतु जांच की जानी वांछनीय है और यह जांच निरन्तर की जानी चाहिये और जो भी व्यय अनिवार्य हों उन को कम किया जा सकता है।

जहां तक असैनिक प्रशासन का सम्बन्ध है मुझे राज्य मंत्रालय के सम्बन्ध में एक बात कहनी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भाग ग में के राज्यों के मुख्य मंत्रियों को प्रशासनिक कर्मचारिवर्ग की कमी, केन्द्र के अधिकाधिक हस्तक्षेप तथा मार्ग प्रदर्शन तथा उच्चन्यायालयों के न होने के कारण प्रशासन कार्य में कठिनाई हो रही है। मेरे विचार से केन्द्र का हस्तक्षेप वांछनीय है क्योंकि अभी तो हम प्रजातन्त्र के द्वार पर ही खड़े हैं और राज्यों में नया प्रशासन अभी ही स्थापित हुआ है। परन्तु एक बात अवश्य है कि परस्पर स्थानान्तरण न होने के कारण यहां का अधिशासकीय वर्ग बहुत दूषित हो उठा है। प्रशासनिक सेवाओं की कोई एक समान पदालियां नहीं हैं। अधिकारियों का स्थानान्तरण नहीं होता है और धन की कमी के कारण अपेक्षित संख्या में अधिकारी रखे भी नहीं जा सकते हैं। अतः भाग ग में के राज्यों के मुख्य मंत्रियों का यह सुझाव कि एक समान पदाली बनाई जाये बहुत उत्तम है।

उच्च न्यायालयों की स्थापना भी अति-आवश्यक है। भाग क तथा भाग ख के प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय है, परन्तु इन राज्यों में न्यायिक आयुक्त की अदालत ही अपील की सर्वोच्च अदालत है एक साधारण न्यायिक आयुक्त को उच्च न्यायालय के सभी अधिकार दे दिये जाने उचित नहीं हैं। उन राज्यों के उच्च न्यायायलय पड़ौस के भाग क या भाग ग में के उच्च न्यायालय हो सकते हैं और ऐसा करने से भाग ग में के निवासियों को भी उच्च न्यायालय की सुविधा प्राप्त हो सकती है।

श्री ए० एन० विद्यालंकार (जालन्धर): मैं समझता हूं कि जो बजट इस साल पेश किया गया है वह आम तौर पर प्रोग्रेसिव (प्रगतिशील) है यानी वह तरक्की की तरफ ले जाने वाला है, उस का झुकाव तरक्की की तरफ है। जहां तक लोकमत का ताल्लुक है, अगर अखबारों को देखा जाये, या उन लोगों की राय को देखा जाये जो कि

बजट के मामलों में कुछ दिलचस्पी रखते हैं, तो लाज़मी तौर पर मानना पड़ेगा कि बजट देश को तरक्की की तरफ ले जाने वाला है और फाइनेंस मिनिस्टर साहब का जहां तक आउटलुक (दृष्टिकोण) और ऐप्रोच (प्रयत्न) है वह तरक्की की तरफ है। लेकिन इस के साथ ही साथ हम इस बात को नहीं भुला सकते कि जहां तक सर्वसाधारण का ताल्लुक है, उन के दिल में इस बजट से कोई उत्साह या स्फूर्ति पैदा नहीं हुई है और उन को कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि इस बजट से उन को कुछ राहत पहुंचने वाली है। वह लोग जो सरकार की मशीनरी को चलाते हैं, जो अदना मुलाज़िम हैं और जिन के हाथों से यह तमाम कारखाना चलता है, वह महसूस करें कि इस से हमें राहत पहुंची है, ऐसी बात नहीं है। मैं ने कहा कि जहां तक आम स्टैंडर्डस (स्तर) का ताल्लुक है या जिस आर्थिक व्यवस्था के अन्दर हम रह रहे हैं उसका ताल्लुक है उस के हद के अन्दर तो यह मानना पड़ेगा कि हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं और जो कुछ हम से बन पा रहा है हम कर रहे हैं। लेकिन इस के साथ ही साथ हम को यह बात देखनी है कि जो लाखों और करोड़ों इन्सान देश में रहते हैं या वह हजारों आदमी जो इस मशीनरी को चला रहे हैं और जिन के कन्धों पर देश की तरक्की निर्भर है अगर उन में कुछ उत्साह पैदा नहीं होता, उन में कुछ स्फूर्ति पैदा नहीं होती तो इस का अर्थ है कि हमारे और उन के दरिम्यान एक बड़ा भारी अन्तर है जिस को हमें पूरा करना है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि जहां हम अपनी पालिसी (नीति) तय करें और आम तौर पर हम मौजूदा बजट के अन्दर जिस पालसी के ऊपर तमाम गवर्नमेंट चल रही है उस को सपोर्ट (समर्थन) करें वहां मैं चाहता हूं कि हम यह भूल न जायें कि अभी तक हम जनता के अन्दर वह उत्साह पैदा नहीं कर सके हैं जो उत्साह हमें पैदा करना है। खास तौर पर मैं यह अनुभव करता हूं क्योंकि मेरे सामने रोज़ कई लोग आते हैं वह लोग आते हैं जो कि इस गवर्नमेंट की मशीनरी को चलाते हैं, छोटे छोटे मुलाज़िम हैं, जिनकी अवस्था यह है कि वह सत्तर सत्तर और सौ सौ रुपया में गुज़ारा करने पर मजबूर हैं। वह मेरे पास आते हैं और जब मैं उन के सामने बजट के पोथे खोल कर दिखाता हूं कि हमारे पास फायनेंस (धन) की बड़ी दिक्कत है, हमारे पास धन नहीं है, आप लोग चाहते हैं कि हमारी तरक्की हो, आप चाहते हैं कि आप को हाउस रेंट अलाउन्स (मकान किराया भत्ता) मिले, आप चाहते हैं कि आप को दूसरी तरह के अलाउन्स मिलें, आप चाहते हैं कि आप को मंहगाई मिले, लेकिन हमारे पास धन नहीं है, कहां से पैसा आवेगा, तो उन को यह बात अपील नहीं करती। जिस वक्त वह यह देखते हैं कि उन के बड़े बड़े अफसर हैं जिन को बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिलती हैं, तो उन की वह बात समझ में नहीं आती कि उन को सौ रुपये लेने पर क्यों मजबूर किया जाता है जब कि उसी मशीनरी का एक दूसरा पुर्जा उसी मशीनरी को चलाने वाले को उसी तरह देशभक्ति के नाम पर अपील करते हैं और देश को आगे ले आना चाहते हैं तो देश के नाम पर अपील करते हैं कि लोग काम करें और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन (उत्पादन) करें, तो उन को यह बात समझ में नहीं आती कि यह हमारी तनख्वाह में अन्तर कैसा है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा भारी प्रश्न है जिस को हमें सोचना चाहिये। यह एक बुनियादी सवाल है जिस पर हम को विचार करना है कि आया हम किस तरीके से चलें कि जिन लोगों के ज़रिये हम अपने देश की तरक्की करना चाहते हैं उन के लिये हम किस तरह से कोई रास्ता निकाल सकते हैं कि

[श्री ए० एन० विद्यालंकार]

जिस से वह भी सुखी रहें और हम अपने देश की इकानामी (अर्थव्यवस्था) को भी आगे ले जा सकें ।

मैं समझता हूं कि पहली बात जो हम को करनी चाहिये वह यह है कि हम कोई कमीशन कायम करें या इस के लिये कोई दूसरी तजवीज़ निकालें कि जो अन्तर इस वक्त तनख्वाहों का, अदना और बड़ी तनख्वाहों का है, वह दूर हो । अगर हम उस को दूर नहीं करते तो लोगों के अन्दर वह विश्वास और वह भरोसा पैदा नहीं कर सकते कि जिस के ज़रिये हमें तरक्की करनी है, जो हमारी स्कीमें हैं उन को चलाना है । इसलिये पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हम अपने बजट को इस तरह का बनावें जिस से यह अन्तर दूर हो । अभी तक हमारे देश में अंग्रेज़ों के ज़माने में हम कहा करते थे कि वह ऐडमिनिस्ट्रेशन टाप हैवी है, उस के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ है, तमाम उस की मशीनरी पर । अभी हम तमाम बजट के फिगर्स को निकालें तो दिखाई देगा तो वह काफी टाप हैवी है, हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन बहुत खर्चीला है ।

इसी के साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन के जो डिपार्टमेंट्स (विभाग) हैं उन में कोआर्डिनेशन (सहयोजन) नहीं है । हमारे डिपार्टमेंट्स में कोआर्डिनेशन चाहिये । उस के अन्दर सब्र से बड़ी बात जो हम देखते हैं वह यह है कि छंटनी होती है, क्योंकि खर्चा बढ़ता है और उस खर्चा में कमी करते हैं इसलिये कुछ लोगों को वहां से अलग करते हैं । हमारे यहां बहुत से आदमी ऐसे हैं जो टैम्पोरेरी (अस्थायी) हैं, दस दस और पन्द्रह पन्द्रह साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अब भी उन को टैम्पोरेरी कहते हैं और उन को अलग कर देते हैं । तो एक तरफ तो उन आदमियों को जवाब दे देते हैं और दूसरी तरफ नयी भरती करते हैं इस को भी देखना चाहिये । इस तमाम चीज़ को हम कोआर्डिनेट कर सकते हैं । अगर एक आदमी की एक डिपार्टमेंट में ज़रूरत नहीं है तो क्यों नहीं दूसरे डिपार्टमेंट में जहां नयी भरती हो रही है उस को भेजा जाये और वहां वह काम करें। मैं तो यह भी ज़रूरी नहीं समझता कि हमारे दफ्तरों में ही क्लर्कस काम करें । वे फील्ड्स (खेतों) में क्यों नहीं जा सकते । अगर वहां दफ्तरों में उन की ज़रूरत है तो कुछ को खेतों में भेजा जा सकता है । हमारे कम्युनिटी प्रोजैक्ट्स (ग्राम्य विकास योजनायें) हैं या देहातों में काम है, या दूसरे क्षेत्रों में काम है, उन के अन्दर वह काम कर सकते हैं । तो इस ह्यूमन लेबर (मानव श्रम) को, इन्सानी मेहनत को, इस तरह से प्लान (सुयोजित) करें और इस तरह से इस्तेमाल करें कि जिस से वह जाया न हो ।

हमारी इकानामी इस वक्त मिक्स्ड इकानामी (मिश्रित अर्थ योजना) है और मिक्स्ड इकानामी के अन्दर यह बात ठीक है कि हम बहुत तेज़ी से नहीं जा सकते । हमें तमाम तबकों को अपने साथ लेना पड़ता है जो कि इक्तसादी (आर्थिक) कामों के अन्दर और इक्तसादी एक्टिविटी में हिस्सा लेना चाहते हैं । लेकिन इस वक्त जो हमारी सब से बड़ी समस्या है वह आर्थिक समस्या है । उस के लिये हमें तमाम ध्यान देना चाहिये । कि धन की कमी को कैसे पूरा करें । एक तरफ तो मैं ने कहा कि खर्चे को कम करें, मगर दूसरी तरफ इस वक्त जो हमारा मोजूदा बजट है उस में मुझे ऐसा दिखाई नही देता कि उस से बचत को प्रोत्साहन मिलता हो ।

में जानता हूं कि हम लोग कोशिश करते हैं और बजट के अन्दर इस बात के लिये स्थान रखा गया है कि बचत हो, इस के लिये कोशिश की जाये लेकिन बचत के अन्दर भी हम को मार्ग प्रदर्शन करना पड़ेगा। जो लोग ऊपर हैं, जो ज्यादा आमदनी वाले हैं, उन को मार्ग प्रदर्शन करना पड़ेगा। इस के लिये जो टैक्सेशन (करारोपण) की पालिसी है उस को इस तरीके से बनाना पड़ेगा और खर्च की पालिसी को इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि जो लोग ज्यादा खर्च करने वाले हैं वह बचत करें, खर्चे में कमी करें और बचत करें। क्योंकि वह बचत नहीं करते तो वह एक स्टैंडर्ड पेश करते हैं, वह खर्च में स्टैंडर्ड (स्तर) कायम करते हैं और उस का नतीजा यह होता है कि जो लोग गरीब हैं वे भी उसी स्टैंडर्ड पर आना चाहते हैं, उसी स्टैंडर्ड पर खर्च करना चाहते हैं। तो वालंटरी सेविंग (ऐच्छिक बचत) जिस के लिये हम जनता से अपील करते हैं उस के लिये हमें खास तौर पर कोशिश करनी पड़ेगी कि जो ज्यादा धन वाले हैं, ज्यादा आमदनी वाले हैं, वे सेविंग ज्यादा करें। उन की बचत की तरफ ज्यादा प्रवृत्ति हो। मैं समझता हूं कि इस के लिये हमें पर्याप्त कोशिश करनी है।

एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वह विदेशी टैक्नीशियन्स (प्रविधिविज्ञों) के सम्बन्ध में है। मैं यह मानता हूं और मैं उन लोगों के साथ सहमत नहीं हूं बिना सोचे समझे विदेशी टैक्नीशियन्स को मंगाने पर ऐतराज़ करते हैं। जो भी विदेशी टैक्नीशियन्स हम कहीं पर लगाते हैं उन पर ऐतराज़ करते हैं। मैं जानता हूं कि बहुत से कम्युनिस्ट भाई इस बात पर सवाल करते हैं और ऐतराज़ करते हैं। लेकिन मैं जानता हूं और वह रूस की ओर दूसरे देशों के इतिहास को देखें तो उन को मालूम होगा कि रूस में सैंकड़ों की तादाद में विदेशी कम्पनियां गईं, विदेशी गये। रूस में जो पहला फाइव इयर प्लान (पंच वर्षीय योजना) था उस का तो तकरीबन जो दारोमदार था और इस की कामयाबी का राज़ था, वह तमाम अमरीकन टैक्नीशियन्स के सिर पर था। तो इसलिये मैं इस बात के तो विरुद्ध नहीं हूं, इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि विदेशी टैक्नीशियन्स बुलाये जायें। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम लोग इस तरफ डिस-क्रिमिनेशन (विभेद) से काम लें, हम सोच समझ कर काम लें। अभी कुछ दिन हुए भाखड़ा और नांगल के सम्बन्ध में कुछ मुलाज़मतें निकली थीं और कुछ इंजी-नियर मांगे गये थे। उन पदों के लिये जिस योग्यता के इंजीनियर मांगे गये थे, उसके लिये पचास या साठ दरख्वास्त आईं। जो कमीशन इन इंजी-नियरों के इम्तहान के लिये बैठा था उस में भाखड़ा और नांगल के एक अमरीकन टैक्नीशियन भी थे। खैर, अमरीकन टैक्नीशियन रहें, मुझे ऐतराज़ नहीं लेकिन वह ६० या ७० आदमी जो कि अपने आप को क्वालिफाइड (अर्हता) समझते थे, जो उन क्वालिफिकेशन्स (अर्हता-ओं) को और शर्तों को पूरा करते थे और क्वालिफिकेशन को देख कर इंटरव्यू के लिये बुलाया, उन में ऐसी मिसालें हैं कि कोई इंजीनियर आप के गवर्नमेंट के किसी डिपार्ट-मेंट में ५०० या ६०० रुपया तनख्वाहें लेते थे। तो उन से कहा गया, बाकी तमाम बातें ठीक निकलने के बाद की आया तुम इस बात के लिये तैयार हो कि तुम को ६०० या ७०० रुपये दिये जायें और तुम भाखड़ा नांगल में जाने को तैयार हो या नहीं। उन को १०० रुपये ज़्यादा आफ़र किये गये। यह कहा कि वहां खर्चा बहुत है, कई चीज़ों के बारे में, यहां कई बच्चे पढ़ते हैं उन का सवाल है वगैरह

[श्री ए० एन० विद्यालंकार]

वगैरह । तो उन से कहा गया तुम इतने ही रुपये पर जाने को तैयार हो या नहीं । तो इस तरह से कई लोगों से दूसरे सवाल करने के बाद यह कहा गया, अगर उन्हों ने इन्कार किया कि हम इतनी कम तनख्वाह पर जाने को तैयार नहीं हैं । इस का नतीजा यह हुआ कि यह कह दिया गया कि चूंकि हिन्दुस्तानी टैक्नीशियन्स इंजीनियर नहीं हैं इसलिये हम को बहार से बुलाना पड़ा है, और उस जगह पर १४०० रुपये का एक अमरीकन या कोई विदेशी, मैं नहीं कह सकता कि वह अमरीकन था या कौन, लेकिन एक विदेशी इंजीनियर उस जगह पर मुकर्रर किया गया । अगर हिन्दुस्तानी इंजीनियर को आप ७०० या ८०० पर नहीं ले सकते, जो क्वालिफाइड हैं या महज़ अगर १०० रुपये ज्यादा पर जाने को ऐतराज करता है, तो उस के लिए यह कह कर कि यहां हिन्दुस्तानी क्वालिफाइड इंजीनियर नहीं हैं और विदेशी इंजीनियर को आप १४०० रुपये तनख्वाह देने को तैयार हैं, तो मैं नहीं समझता कि वह किस तरह हक़ बजानिब है और किस तरह से यह चीज़ उचित हो सकती है । मैं नहीं कहता कि इस सम्बन्ध में कोई जानबूझ कर ऐसा किया गया । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इन चीज़ों में हमें अहतियात बरतनी चाहिये । आज हम इस मामले में वह अहतियात नहीं बरत रहे हैं जो कि हमें बरतनी चाहिये । मैं जानता हूं कि कुछ लोग ऐसे भी आगये हैं भाखड़ा और नांगल और दूसरे प्रोजैक्ट्स (परियोजनाओं) में जो कि मामूली काम जानते हैं मिसाल के तौर पर जैसे वेल्डर्स हैं, तो वेल्डर्स की क्या ज़रूरत है, मामूली कारखाने में वेल्डर्स काम किया करते हैं, उसी तरह स्टोर कीपर्स हैं जो स्टोर कीपरी का काम करते आये हैं । मैं समझता हूं कि इन प्रोजैक्ट्स के लिये तो गवर्नमेंट की पालिसी यही है कि सिर्फ ऐसे टैक्नीशियन्स लिये जायें जो बिल्कुल ज़रूरी हों और जिन के बगैर काम न चल सकता हो, लेकिन केवल ऐसे ही आवश्यक टैक्नीशियन्स मंगाये जायें यह गवर्नमेंट की इस सम्बन्ध में डिक्लेयर्ड पालिसी (घोषित नीति) है, लेकिन मैं आप के सामने यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि उस पर पूरी तरह अमल नहीं हो रहा है और मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट की उस पालिसी पर दूरी तरह से अमल होना चाहिये । मैं केवल एक आध बात और कह कर समाप्त किये देता हूं । एक चीज़ जो मैं कहना चाहता था यह है कि जो बजट पेश किया गया है उस में इस बात का ज़िक्र नहीं है कि जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स (विस्थापित व्यक्ति) हैं उन को मुआविज़ा, देने की बात कही गई थी, उस बजट में इस का ज़िक्र नहीं है । मैं समझता हूं कि डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को मुआविज़ा देने की बात एक ऐसी चीज हो गई है कि अब उससे पीछे नहीं हटा जा सकता, गवर्नमेंट उस के सम्बन्ध में अपनी नीति का ऐलान कर चुकी है, और मैं समझता हूं कि उस के ऊपर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को फिर से विचार करना चाहिये और उस के विषय में उन्हें कोई न कोई रास्ता अवश्य निकालना चाहिये ताकि डिसप्लेस्ड पर्सन्स को मुआविजा दिया जा सके । इस के अतिरिक्त डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के पास जो पाकिस्तानी सिक्योरिटीज़ (प्रतिभूतियां) हैं और आज हकीक़त यह है कि उन का पाकिस्तानी सिक्योरिटीज़ के ऊपर भरोसा उठ चुका है, मुझे मालूम हुआ है कि फाइनेंस मिनिस्टर इस सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं, तो भी मैं आज उन की खास तौर से इस विषय की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि जब कि पाकिस्तानी सिक्योरिटीज़ पर से उनका भरोसा उठ चुका है और वह

जब तक उन सिक्योरिटीज़ को बेच नहीं सकते तब तक उन को इस बात की रियायत देनी चाहिये कि वह उन को इंडियन सिक्योरिटीज़ के साथ बदल सकें, बदलने के लिये तो उन्हें रियायत देनी ही चाहिये और मैं चाहता हूं कि इस तरफ खास विचार किया जाय ।

श्री राधे लाल व्यास (उज्जैन) : श्रीमान्, मैं आप का अत्यन्त आभारी हूं कि आप ने मुझे आज इस बजट के ऊपर बोलने का अवसर दिया और विशेषकर इसलिये कि मध्य भारत को आज पहली दफा इस अधिवेशन में अपनी राय रखने का अवसर प्राप्त हुआ है ।

जहां तक बजट का सम्बन्ध है, मैं वित्त मंत्री जी को उस को प्रस्तुत करने पर अभिनन्दन करता हूं और बजट में जो लक्ष्य उन्होंने अपने सामने रक्खे हैं, उन का भी मैं स्वागत करता हूं। स्वागत इसलिये कि जिस सड़क पर हम चल रहे हैं और जो पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हम ने अपने लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किय हैं और जिस रास्ते पर चल कर पांच वर्ष के भीतर हमें उस मंज़िल तक पहुंचना है, हम देखते हैं कि उन लक्षों और उद्देश्यों को अपने सामने रखते हुए ठीक ढंग से उस रास्ते पर हम अपनी गाड़ी को लिये जा रहे हैं और यह बड़े संतोष का विषय है कि उस गाड़ी में और अधिक वज़न डालने का उन्होंने प्रयत्न नहीं किया है और ज्यादा भार न डालते हुए उस गाड़ी को उसी रफ्तार से आगे बढ़ाते लिये चले जा रहे हैं और यह निश्चित है कि जो लक्ष्य हम ने इन पांच वर्षों में अपने लिये रक्खा है, उस तक हम अवश्य पहुंचेंगे ।

वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में देश की आर्थिक दशा का चित्र खींचा है और यह प्रसन्नता की बात है कि कीमतें कम हुई हैं। जहां तक उत्पादन का सवाल है कई चीज़ों का हमारे देश में उत्पादन भी बढ़ा है। खाद्य की समस्या का जहां तक सम्बन्ध है यद्यपि यह कहा गया है कि खाद्य की स्थिति अभी अच्छी है लेकिन हमें इसी से संतोष नहीं कर लेना चाहिये। अभी भी हमारे देश में पंचवर्षीय योजना के ज़माने में इधर पिछले दो वर्षों में भारत को जितना अनाज बाहर के देशों से मंगाना पड़ा उतना अनाज कभी हमारे देश में नहीं आया । श्रीमान्, आप को विदित ही है कि ४० करोड़ रुपया प्रति वर्ष हम लोग केवल अनाज ढोने वाले जहाज़ों के किराये पर खर्च करते हैं और यह स्वयं इतनी बड़ी रकम है कि जब तक हम खेती में स्वावलम्बी नहीं होंगे और अनाज की अपनी आवश्यकता अपने देश से पूरी नहीं कर पायेंगे तब तक यह लम्बी रकम हमें किराये के नाम पर खर्च करनी है । इस के अतिरिक्त लगभग डेढ़ अरब रुपये का माल हमें बाहर से मंगाना पड़ता है और यदि हमें खेती और खुराक के बारे में स्वावलम्बी होना है तो हमें कुछ ऐसे तरीके करने चाहियें जैसे कि अभी एक साहब ने बतलाया कि हम क्यों न जापानी तरीक़े अपनायें और प्रचार करें । परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप ने इस वर्ष और गत वर्ष भी कृषि पंडित कायम किये और उन्होंने अधिक अन्न उपजाया, उन को आप ने इनाम भी दिये और उस का आप ने खूब प्रचार भी किया और अखबारों में प्रचार किया कि अमुक किसान ने एक एकड़ में इतना गेहूं बोया, इतना उसने चावल आदि बोया और इतनी अधिक पैदावार हुई, मैं यह नहीं समझ सका कि यदि वाक़ई में इतना अनाज पैदा हुआ और इतनी पैदावार उन्होंने की तो क्यों नहीं उस तरीके को सारे देश के सामने रक्खा जाता है। उस के बजाय थोड़ी सी भी अगर किसानों ने अनाज के उत्पादन में वृद्धि की, तो यह देश बहुत जल्द ही एक आध वर्ष में ही पूर्ण स्वावलम्बी बन सकता है

[श्री राधे लाल व्यास]

और मेरा तो अनुमान है कि यह चालीस करोड़ रूपया जो जहाज़ों के किराये में खर्च किया जाता है यदि वह किसानों को दिया जाय और वह भी मुफ्त में नहीं बल्कि कर्ज़, के रूप से बगैर ब्याज के दिया जाये तो मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि हमारे देश के किसान एक वर्ष ही में इतना अनाज पैदा कर सकते हैं कि जितनी देश को ज़रूरत है, उतना अनाज वह उगा कर हम को दे सकते हैं, और यह हमारा पिछला अनुभव भी है कि सरकार द्वारा जिन जिन वस्तुओं पर नियंत्रण ढीला किया गया है, उन का उत्पादन निश्चित तौर पर बढ़ा है और मैं समझता हूं कि खाद्य के मामले में भी जब तक यह नियंत्रण रहेंगे, तब तक हम स्वावलम्बी नहीं हो सकते, इसलिये खाद्य के नियंत्रण को कुछ ढीला करने की ज़रूरत है। हां, आप उन स्थानों पर, जहां अनाज की कमी है जैसे दक्षिण में मद्रास, बम्बई, त्रावनकोर-कोचीन आदि जहां पर दो तिहाई अनाज खर्च करना पड़ जाता है, वहां आप नियंत्रण रक्खें तो समझ में आ सकता है, बंगाल और इन प्रदेशों में तो नियंत्रण ठीक हो सकता है और समझ में आने वाली चीज़ है, लेकिन देश के बाकी दूसरे हिस्सों में तो नियंत्रण को ढीला करने की ज़रूरत है, अगर नियंत्रण ढीला होगा तो किसान को अनाज उपजाने की सुविधा होगी और बाज़ार में उत्पादन के अनुसार और मांग के अनुसार उस को अपने अनाज की कीमत मिलेगी और इस तरह निश्चित समय पर उस को बीज भी मिल सकेगा और इस तरह यह अपना उत्पादन बढ़ा सकेगा तो ऐसी स्थिति में नियंत्रण को और अधिक ढीला करने की ज़रूरत है। यह भी सही है कि हमारे देश में दूसरी वस्तुओं का भी उत्पादन बढ़ा है, जैसे रूई, चीनी, सीमेंट, काग़ज़, कास्टिक सोडा प्लाईवूड जूट इत्यादि, इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा है लेकिन हमें केवल इतने मात्र से संतोष नहीं कर लेना है। पिछले अधिवेशन में बतलाया था कि हमारे देश में करोड़ों रुपये की ऐसी मशीनरी है जो बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है, वर्षों से बन्द पड़ी है और अगर आप उस के आंकड़े देखें तो मालूम होगा कि उस मशीनरी में करोड़ों रुपये की पूंजी लगी हुई है। उनका आज देश में कोई उपयोग नहीं हो रहा है, उन को काम में लाना चाहिये। दूसरे हम उत्पादन को बढ़ाने के हेतु प्रयत्न करें और आप देखते हैं कि इधर कपड़ा हम ने देश में काफी पैदा भी किया है और कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आज बाज़ार में ऐसा कपड़ा आ रहा है जो देखने में बड़ा सुन्दर रेशम सा मालूम होता है लेकिन एक दफा अगर धोबी के धुलवा लिया जाय तो बेकार हो जाता है। इसलिये आज कपड़े की क्वालिटी पर कंट्रोल होने की ज़रूरत है। ऐसा कपड़ा जो जल्दी नष्ट हो जाने वाला और फटने वाला है, वह देश की गरीबी को बढ़ाने में मदद देगा, उस की ओर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और अगर शासन ने इस ओर ध्यान दिया तो देश का करोड़ों रुपया जो बेकार नष्ट होता है, वह बच जायेगा और इस तरह काफी बचत होगी और उस से हमारी आर्थिक दशा के सुधरने में काफी मदद मिलेगी और देश की सम्पत्ति काफी बच जायेगी।

यह भी खुशी की बात है कि सरकार का ध्यान काटेज इंडस्ट्री (कुटीर उद्योगों) की ओर गया है और उस ने अभी उसी हैंडलूम इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ सैस (उपकर) भी लगाने की व्यवस्था की है और धोती पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं। हमारे लांगटर्म प्लान (दीर्घकालीन योजना) का उद्देश्य यह है कि इस देश में

हम को काटेज इंडस्ट्रीको बढ़ाना है, छोटे छोटे उद्योग धंधों को आगे उन्नति के पथ पर बढ़ाना है और पनपाना है। अगर यह हमारा उद्देश्य है तो केवल एक धोती को ले कर ही यह समस्या हल नहीं हो सकती। हमारे देश में बहुत से ऐसे उद्योग धंधे हैं जिनको बढ़ावा देना चाहिये, जैसे महंगाई का काम है, आज वह बिल्कुल नष्ट प्रायः हो रहा है, उस को प्रोत्साहन देना है। इसी प्रकार छपाई का काम है। छपाई का उद्योग भी नष्ट होने जा रहा है। उस ओर हम दृष्टिपात करें आज अगर मिलों में छपाई या रंगाई का काम बन्द हो जाये तो हज़ारों लाखों आदमी जो बेकार हो गये हैं उन को फिर धंधा मिल जायेगा। इसी प्रकार से और भी अनेक छोटी छोटी वस्तुयें हैं जो देश में बन सकती हैं। मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर महोदय इन तथा ऐसे अन्य छोटे छोटे उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने के लिये प्रयत्नशील रहें और उस के लिय जो भी संरक्षण हो वह पर्याप्त मात्रा में दें।

एक बात और भी है और वह स्वागत योग्य है कि उन्हों ने टैक्सेशन एनक्वायरी कमेटी करारोपण जांच समिति की स्थापना की है। जो उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं या ग्रामोद्योग धंधों को जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है उसका उद्देश्य केवल एक ही है और वह यह कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले। लेकिन साथ ही हमारे देश में जो आबादी बढ़ती जा रही है, लगभग पचास साठ लाख प्रति-वर्ष बढ़ रही है, उस को देखते हुए जितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है उस से कोई प्रसन्नता की बात नहीं हो सकती है। इसलिये ज़रूरत है कि जिस वक्त टैक्सेशन एनक्वायरी कमेटी की स्थापना हो उस के साथ ही एक ऐसे कमीशन की स्थापना हो जो देख सके कि बेरोज़गारी क्यों बढ़ती जा रही है और उस बेरोज़गारी को किस तरीके से कम किया जा सकता है और किस तरीके से रोका जा सकता है। साथ ही टैक्सेशन एनक्वायरी कमेटी का स्कोप (क्षेत्र) बढ़ा कर दोनों काम उस के सुपुर्द कर दिये जायें तो मैं समझता हूं कि यह प्रश्न बहुत आसानी से हल हो जायेगा। अगर इसकी तरफ हमारा लक्ष्य नहीं रहा तो दिन प्रति-दिन बेकारी बढ़ेगी और जो कुछ थोड़ी बहुत आशा हम उद्योग धंधों से करते हैं उस से देश का काम होने वाला नहीं है।

डेफिसिट फाइनेंसिंग (घाटे की अर्थ योजना) के बारे में काफी कहा गया है और हमारा जो डेवेलपमेन्ट प्रोग्राम है उस के लिये यह निश्चित है कि अगर हमें उसे पूरा करना है तो डेफिसिट फाइनेंसिंग की ओर ही कदम बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि कुछ राज्यों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है तो हमें दुःख हुए बिना नहीं रहता। मैं ने बार बार यहां पर आप के सामने कहा है कि आप मध्य भारत को लीजिये। मैं चम्बल योजना के बारे में कहता हूं कि वह एक पुरानी योजना है लेकिन उस को नई योजनाओं के साथ में घसीटा जा रहा है। आज मध्य भारत राज्य के बारे में जो एलान हुआ है उस में यह बात अवश्य रक्खी गई है लेकिन पहले तीन वर्षों में इसे नहीं लिया जायेगा, बल्कि पिछले तीन वर्षों में लिया जायेगा। पिछले कई वर्षों से इस पर काम हो रहा है और करीब सवा करोड़ रुपया खर्च भी हो चुका है। अगर केन्द्रीय शासन उस को नहीं लेना चाहता, और वह खर्च नहीं करना चाहता तो क्या वह रुपया बेकार जाने वाला है? आप का डेफिसिट फाइनेंस है तो क्या आप एक दो करोड़ रुपया इस पिछड़ी रियासत को नहीं दे सकते जिस की जनता का विश्वास इस योजना पर निर्भर है? इस पर जो भी व्यय होगा वह कैपिटल एक्सपेन्डीचर

[श्री राधे लाल व्यास]

(पूंजी व्यय) होगा, वह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नुक्सान करने वाली है, वह तो पैदा कर के देने वाली है। मेरा अब भी ख्याल है कि वित्त मंत्री जी कुछ न कुछ रकम चम्बल योजना के लिये अवश्य दें। मध्य भारत सरकार ने तो लगभग ७८ लाख रुपया अपने दूसरे खर्चों से बचा कर इस योजना में लगाया है, और मध्य भारत राज्य तुला हुआ है कि इस योजना को अगले साल तक स्थगित न रखते हुए इसी साल में प्रारम्भ कर दे। तो इस राज्य की जनता की ओर, जिस में उत्साह है, जो आगे बढ़ना चाहती है, केन्द्रीय शासन को अवश्य ध्यान देना चाहिये और उस की मदद करनी चाहिये। वह एक ही योजना ऐसी है जो कि अन्डर कंस्ट्रक्शन (निर्माण अधीन) थी और नहीं ली गई थी और जिस को अगर पंच वर्षीय योजना में रखा भी गया है तो चूंकि कोसी रिहन्द्र आदि की जो स्कीम है उस के आने की वजह से साथ में आ गई है। इसलिये इस ओर तो शासन का ध्यान जाना ही चाहिये।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि एक बात के बारे में हमारे वित्त मंत्री जी ने कोई भी जानकारी नहीं दी है। उन्होंने खुद बतलाया है कि पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिये केवल दो एक तो प्रशासन एफिसिएन्ट (योग्य) हों और आनेस्ट (ईमानदार) हो और दूसरी यह कि पब्लिक कोआपरेशन (जन सहयोग) हो। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि आनेस्ट और एफिशिएन्ट एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के लिये उन्होंने कौन सा प्रयत्न किया ? क्योंकि पंच-वर्षीय योजना की सफलता केवल इस बात पर निर्भर है कि इस काम की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और न कोई कदम बढ़ाये गये हैं। श्रीमान् मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं ने कुछ बड़े ज़िम्मेदार अफसरों से पूछा कि आप लोगों में इतनी अनएफिशिएन्सी (अयोग्यता) क्यों है ? उन का कहना है कि जो पुरानी प्रथा थी यानी जो क्लेरिकल स्टाफ (क्लर्क वर्ग) होता था उस को पबलिक सर्विस कमीशन की मार्फत भरती किया जाता था, आज वह प्रथा छोड़ दी गई है। नतीजा यह है कि काम तो उतना ही है और आदमी दुगुने कर दिये गये हैं तब भी चूंकि वह निपुण नहीं हैं इसलिये उतना काम नहीं कर सकते हैं। मैं शासन से निवेदन करूंगा कि वह इस ओर देखें। ज़िम्मेदार अफसरों ने मुझसे कहा है कि यदि आधा भी स्टाफ एफिशिएन्ट मिल जाये तो निश्चित रूप से वह काम ज्यादा कर सकते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन की मार्फत ही भरती होनी चाहिये। डाइ-रेक्ट भरती बन्द हो जाने की ज़रूरत है।

इस के पश्चात् मैं कहना चाहता हूं कि जहां हमारे प्रधान मंत्री २२५० रुपया तनख्वाह लेते हैं, हमारे वित्त मंत्री जी, जो बड़े बड़े ओहदों पर रह चुके हैं वह केवल २२५० रुपये तनख्वाह लेते हैं तो हमारे सिविलियन अफसर आज तीन चार हजार रुपये तनख्वाह लें वह दुर्भाग्य की बात है। जिस तरह से हम एकानामी मेजर्स (मित-व्ययता योजना) लेते हैं, हमारे मिनिस्टर स्वेच्छा से इसमें कुछ कटौती करते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी ने स्वेच्छा से अपनी तनख्वाह में कटौती की है, हम ने कानून से नहीं किया है, तो क्या अब समय नहीं आ गया है कि हम सिविलियन से भी अपील करें कि वह भी स्वेच्छा से कुछ कटौती करें। अभी अभी राजप्रमुखों की एक कान्फ्रेंस

हुई थी जिस में उन से अपील की गई थी कि वह भी अपनी प्रीवी पर्स (निजी थैली) वगैरह को कम करें तो इस प्रदेश के लिये ज़रूरी है कि सब लोग देश के साथ में रहें और जो बड़ी बड़ी तनख्वाह वाले कर्मचारी हैं जो बड़े योग्य और अनुभवी तो हैं ही लेकिन साथ में उन्हें यह देखना चाहिये कि उन को दूसरे लोगों के साथ में रहना है। दूसरे लोगों की आमदनी के साथ उन को अपनी आमदनी रखनी चाहिये। तो उन से भी सरकार अपील करे कि वह भी अपनी काफी तनख्वाह कम करें और देश के सामने नमूना पेश करें। यह कहा जा सकता है कि अगर उन की तनख्वाह कम भी कर दी जाये तो बड़ी तनख्वाह वाले इतने बड़े थोड़े लोग हैं कि उनसे कोई खास बचत होने वाली नहीं है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि चाहे जितनी कम बचत हो, लेकिन आज से दो साल पहले जिस प्रकार से पांच और दस रुपये किसी किसान ने इस बजट में भेजा था, जैसाकि प्रधान मंत्री ने उस समय बतलाया था कि वह हमारे सामने एक मिसाल थी, इसलिये जो बड़े बड़े कर्मचारी हैं वह चाहे कितने ही कम हों, लेकिन अपनी आमदनी कम करके देश के सामने वह बड़ी अच्छी मिसाल रक्खेंगे कि देश के लिये हर एक को त्याग करने की ज़रूरत है। अगर आप की इजाज़त हो तो एक मिनट में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं वह यह है कि शिक्षा के मामले में कोई खास प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। शिक्षा पर तो सारे देश की उन्नति का दारोमदार है। श्रीमान्, मध्य भारत, जैसे राज्य में एक यूनिवर्सिटी की बहुत ज़रूरत है। और इत्तिफाक से वहां के शासन ने पहले एक युनिवर्सिटी बिल (विश्व विद्यालय विधेयक) पास भी किया था, लेकिन दुर्भाग्य से केन्द्रीय सरकार रास्ते में आई और उस ने कह दिया कि इस समस्या को भी राजधानी की समस्या के साथ ही हल होना चाहिये। यह सन् १९५० ई० की बात है। पिछली मर्तबा हमारे यहां एक यूनिवर्सिटी बिल आया था। अब भी केन्द्र की समझ में यह नहीं आया कि क्यों इस मसले में जल्दी की जा रही है। मैं केन्द्र से निवेदन करना चाहता हूं कि पार्ट बी० स्टेट्स में और पार्ट ए स्टेट्स में एक मध्य भारत राज्य ही एसा है जिसकी आबादी ८० लाख है और जिस का क्षेत्रफल करीब ४७ हजार वर्ग मील है और जिस में यूनिवर्सिटी नहीं है। अंग्रेज़ों के ज़माने में उज्जैन में यूनिवर्सिटी बनने वाली थी लेकिन अंग्रेज़ों की वजह से नहीं बन सकी। स्वतंत्रता के बाद फिर ग्वालियर के लोकप्रिय शासन के काल में बनने वाली थी जिस के लिये महाराजा सिंधिया ने एक करोड़ रुपया मंज़ूर किया था, लेकिन मध्य भारत राज्य के बन जाने से वह चीज़ न हो सकी और अभी भी केन्द्र की तरफ से उस पर विचार हो रहा है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह इस पर सहेानुभूतिपूर्वक विचार करें और वहां जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी बनायें। इस समय मध्य भारत ने बेसिक एजुकेशन (बुनियादी शिक्षा) की पालिसी को मंज़ूर कर लिया है। वहां ६०० ट्रेन्ड टीचर्स प्रति वर्ष निकलते हैं। कई ट्रेनिंग कालेज हैं। इस के अलावा वहां ६० अंडर ग्रेजुएट्स ट्रेन्ड निकालते हैं और ७५ ग्रेजुएट्स निकालते हैं। तो जो राज्य इतनी तरक्की कर रहा है वहां यह काम होना चाहिये। और मैं समझता हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे और हमारे प्रधान-मंत्री जी भी इस ओर ध्यान देगें और इस यूनिवर्सिटी के बनने में जो रुकावट आ रही है उस को जल्द दूर करेंगे। राजप्रमुख के पास जो २ करोड़ ६० लाख रुपया गंगाजली फंड का है वह निश्चित रूप से इस के लिये निकाला जा सकता है। और अगर केन्द्रीय गवर्नमेंट चाहती है कि यूनिवर्सिटी कायम

[श्री राधे लाल व्यास]

हो तो राजप्रमुख को प्रसन्नता ही होगी कि वह इस के लिये उस फंड से रुपया दें ।

श्री जी० डी० सोमानी (नागौर-पाली) : श्रीमान्, डा० कृष्णास्वामी ने व्यवसाय वर्ग के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है उसे गलत समझा जा सकता है, परन्तु यह सत्य है कि हमारी अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और, अपरिहार्यता का चारों ओर सिक्का बैठ गया है और इसका सम्पूर्ण श्रेय हमारे वर्तमान वित्त मंत्री को है ।

कुछ सदस्यों ने इस आयव्ययक को व्यवसायी वर्ग का स्वर्ग बताया है, परन्तु यह सत्य है कि इस आयव्ययक से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है और यही हमारे लिये सन्तोष की बात है । हम लोग यह डर रहे थे कि कहीं और अधिक कर न लगा दिये जायें परन्तु ऐसा नहीं हुआ और इस का स्टाक ऐक्सचेंज पर प्रभाव पड़ा ।

जो व्यक्ति संयुक्त राज्य अमरीका या इंगलैंड की बातें करते हैं वह यह भूल जाते हैं कि वह पूर्ण रूप से विकसित देश है,और हमारी करारोपण प्रणाली जब तक कि हम ,विकास कार्य में लगे हुए हैं, विकसित हो रही अर्थ व्यवस्था के अनुकूल ही होनी चाहिये । दूसरा प्रश्न बेकारी का है । क्या प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देने से इसे कम किया जा सकता है ? यदि वित्त मंत्री प्रत्यक्ष करों को कम कर दें तो हम उत्पादन की गति को और भी बढ़ा सकते हैं और इसी से बेकारी दूर होगी । अब प्रश्न केवल यही है कि क्या करों में कमी कर के उद्योगों को प्रोत्साहन देना और इस प्रकार बेकारी को दूर करना ठीक है या करों को इतना अधिक बढ़ा कर, कि जिस से पूंजी विनियोजन ही समाप्त हो जाये , विकास कार्य को ठप्प कर देना तथा उद्योगों को धक्का पहुंचाना वांछनीय है ? मेरा निवेदन है कि जब तक करारोपण जांच समिति की सिफारिशें प्राप्त न हो जायें करारोपण प्रणाली में कोई परिवर्तन न किया जाये ।

जिन माननीय सदस्यों ने घाटे की अर्थ व्यवस्था की आलोचना की है उन्होंने इस का कोई विकल्प देने का कष्ट नहीं किया है और न कोई ऐसे रचनात्मक सुझाव दिये हैं जिन से विकास योजनाओं को हानि न पहुंचे । वित्त मंत्री ने अवश्य आश्वासन दिया है कि जहां तक वित्तीय संसाधनों का सम्बन्ध है पंचवर्षीय योजना को धक्का नहीं पहुंचने दिया जायेगा । सामान्य आवश्यकताओं के लियै घाटे की अर्थव्यवस्था बनाना कदापि वांछनीय नहीं है परन्तु उत्पादन तथा विकास कार्य के लिये कुछ न कुछ जोखिम तो उठानी ही पड़ेगी ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

वित्त मंत्री ने जब परिस्थितियों की मांग हुई तो पूंजी व्यय के लिये राजस्व अतिरेक से धन देने में आनाकानी नहीं की है, परन्तु जब परिस्थितियां बदल गई हैं, उत्पादन बढ़ गया है, मांग कम हो गई है, तो मैं वित्त मंत्री के इस विचार से सहमत हूं कि घाटे की अर्थ योजना को अपनाने में कोई जोखिम नहीं है ।

अधिकाधिक उत्पादन शुल्क वांछनीय नहीं है । उद्योग ने इन उत्पादन शुल्कों के विरुद्ध बहुत संघर्ष किया है । मुद्रा स्फीति के समय इन का लगाया जाना ठीक था । जहां तक कपड़ा उद्योग का सम्बन्ध है देश की मांग उत्पादन के बराबर नहीं है, क्योंकि उद्योग अपने निर्माण परिव्यय को इतना कम नहीं कर सका है जिस में कि आन्तरिक मांग को,

पूरा किया जाये। कपड़ा उद्योग पर लगे उत्पादन शुल्क से पुनः समायोजन के प्रश्न को ही लीजिये। अधिकांश मित्रों का विचार है कि यह पुनः समायोजन प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण किया गया है, परन्तु स्थिति, जैसी कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताई है उस से बिल्कुल उल्टी है। बारीक कपड़े पर जिसे साधारणतया निम्न तथा मध्य वर्ग काम में लाता है उत्पादन शुल्क में हुई वृद्धि कोई १०० प्रतिशत है परन्तु किन्हीं मामलों में यह वृद्धि २०० प्रतिशत तक की है। वित्त मंत्री ने बताया है कि यह परिवर्तन प्रशासनिक कठिनाइयों को पूरा करने के लिये किया गया है। परन्तु मेरा विचार है कि उनके विभाग ने गणना करने में कहीं न कहीं भारी भूल कर दी है अन्यथा निम्न तथा मध्य वर्ग के लिए बनाये गये कपड़े पर १०० प्रतिशत का शुल्क लगा कर उद्योग पर और अधिक भार नहीं डाला गया होता। मैं आशा करता हूं कि कपड़े के उत्पादन शुल्क की पुनः जांच की जायेगी और यदि कोई त्रुटि हो गई है तो उसे ठीक किया जायेगा।

घाटे की अर्थ योजना के सम्बन्ध में एक शब्द और, इस पंचवर्षीय योजना के धन की कमी के कारण असफल हो जाने की कोई सम्भावना नहीं है, अगर यह असफल होगा तो यह प्रशासनिक योग्यता तथा कार्यक्षमता के अभाव के कारण होगा। व्यवसायि-वर्ग की कमज़ोरियों तथा त्रुटियों के अनपेक्षा भी कुछ व्यवसायी ऐसे भी हैं, जो, यदि उन से कहा जाये तो, अवैतनिक रूप से निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं के कार्यकरण का निरीक्षण कर सकते हैं। सामान्य प्रशासनिक जांच कदापि पर्याप्त नहीं होती है अतः वित्त मंत्री को ये देखना चाहिये कि विकास कार्यक्रम पर किया जाने वाला इतना धन कहीं धूल में न मिल जाये। इन परियोजनाओं की दिन प्रति दिन की प्रगति की जांच करने के लिये कोई सुयोग्य कार्य प्रणाली होनी चाहिये, और मेरे विचार से सरकार को उन व्यवसायियों का, जिनको इस का अनुभव है, तथा जो अपनी सेवायें अवैतनिक रूप से देना चाहते हैं, सहयोग इन परियोजनाओं के उत्तमोत्तम प्रशासन तथा व्यवसाय के लिये प्राप्त किया जाना चाहिये।

डा० एम० एम० दास (वर्दबान-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : पिछड़े वर्गों के उत्पादन के लिये आयव्ययक में जो एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है मैं उस के लिये वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं, परन्तु जिस हृदयहीनता तथा अन्यमनस्कता से गृह-कार्य मंत्रालय इस समस्या को सुलझा रहा है उस को बता देना भी मेरा कर्त्तव्य है। अभी पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया गया है, उस के सदस्यों के सम्बन्ध में मुझे पूर्ण संतोष नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरकार ने किन्हीं व्यक्तियों विशेष को प्रकाशना देने के लिये उसमें नियुक्त कर दिया है।

आयव्ययक से स्पष्ट मालूम होता है जैसे सरकार ने पंचवर्षीय योजना को लागू करने और निश्चित समय में उसे पूरा कर लेने का निश्चय कर लिया हो। साथ ही उससे वित्त मंत्री का दृढ़ आत्मविश्वास झलकता है और उससे सरकार की अधिकोषीय आर्थिक तथा वित्तीय नीतियों का आभास मिलता है। पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रथम चरण है। भारत वर्ष जैसे देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना एक कठिन समस्या है। यहा पर कोई ऐसी हुकूमत नहीं है जो लोगों को बलात् काम पर लगाये या विरोधी दल की आवाज़ को दबाये। हमारा देश प्रजातन्त्रात्मक है और हमें प्रजा तन्त्र में पूर्ण विश्वास है। हमें लोकनायकत्व में विश्वास है और हम बलात या जबरन

[डा० एम० एम० दास]

कोई चीज़ या विचारधारा जनता पर थोपना नहीं चाहते हैं। प्रजातन्त्रामक राज्य की स्थापना में जो रुकावटें आती हैं उन को हम ने पार कर लिया है। हमारी योजनाय एक एक कर के पूरी होती जा रही हैं। हमारी अधिकांश नई फैक्टरियों ने उत्पादन शुरू कर दिया है। दामोदर घाटी योजना निश्चित कार्यक्रम से चल रही है और वह अधिकांशतया पूरी हो चुकी है, तिलियां बांध और बोकारो तापज स्टेशन पूर्ण हो चुके हैं। परन्तु हमारे कुछ महानुभावों का मत है कि यह योजनायें संसार के अन्य भागों में चलाई जा रही योजनाओं के समक्ष नगण्य हैं, वह हमारी अन्य योजनाओं की प्रगति से भी सन्तुष्ट नहीं हैं। देश की आर्थिक स्थिति कुछ सुधर गई है, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया है। भगतान सन्तुलन की स्थिति भी सुधर गई है और खाद्य स्थिति भी अमरीकन गेहूं के आ जाने से काफी अच्छी हो गई है। इन बातों का जनता पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है और वर्तमान लोकनेतृत्व में तथा सरकार में उनकी आस्था बढ़ गई है।

घाटे अर्थ की योजना को ले कर एक तूफान खड़ा कर दिया गया है। अन्य सभी प्रश्नों तथा आयव्ययक उपबन्धों को इसके समक्ष गौण स्थान दिया गया है। मुझे यह देख कर पूर्ण सन्तोष है कि माननीय वित्त मंत्री इस घाटे की अर्थ योजना के सभी दुष्प्रभावों के के प्रति जागरूक हैं और कैसी ही अवस्था आने पर भी वह परिस्थिति को अपने अधिकार से बाहर नहीं जाने देंगे। शत्रु की गतिविधि को पूर्णतया जान लेने के बाद उस की ओर से आशंका कम हो जाती है।

इस अवसर पर मैं कलकत्ता पत्तन की समस्या सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। इस पत्तन का महत्व इसी बात से प्रकट होता है कि इस देश के माल का ५० प्रतिशत कलकत्ता पत्तन से आता जाता है। पर इतना होने पर भी इस की सामर्थ्य क्षमता अपर्याप्त है। सन् १९५२ में इसकी गोदियों में माल चढ़ाने या उतारने के लिये प्रतीक्षा करने वाले जहाज़ों की संख्या कोई ९० थी इन गोदियों की सामर्थ्य क्षमता उन की टूट फूट की मरम्म तक न होने, पर्याप्त स्थान के न होने, माल चढ़ाने उतारने की सुविधा की कमी, नई मशीनों जैसे क्रेन इत्यादि के न होने पत्तन आयुक्त की रेलवे में रेल इंजनों की कमी तथा कोयला लाने के लिये माल डब्बों की कमी के कारण और भी कम हो गई है। राष्ट्रीय पतन पर्षद ने छोटे मोटे कार्यों के लिये १२ करोड़ रुपये व्यय किये जाने की सिफारिश की है परन्तु दुःख की बात है कि आयव्ययक में इस का कोई ज़िक्र नहीं है। एक कठिनाई और है। हुगली का जल मार्ग रेत जम जाने से उथला होता जा रहा है। इस की जांच करने के लिये सरकार ने सरदार मान सिंह की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। उस विशेषज्ञ समिति की सिफारिश थी कि हुगली में पर्याप्त जल लाने के लिये गंगा नदी पर एक बांध बनाना आवश्यक है। गंगा इस पुत्र यातायात पर्षद् ने भी इसी प्रकार की सिफारिश की थी। पर्षद् ने यह भी सिफारिश की है कि हम गंगा बांध योजना को पंचवर्षीय योजना में स्थान दिया जाये ; अतः मेरी प्रार्थना है कि इसे उक्त योजना में सम्मिलित किया जाये।

अब मैं सरकार की जूट सम्बन्धी नीति को लेता हूं। कलकत्ता की जूट मिलों को पाकिस्तान से जूट खरीदने की छूट दे दी गई है वहां माल गिरे हुए हैं, परिणाम यह हुआ है कि भारतीय जूट बाज़ार में बिक ही नहीं रहा है। इसके लिये कोई जूट नियंत्रण पर्षद् बनाना ही होगा। यदि ऐसा कोई पर्षद् बनाया जाय तो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उस का कार्य-

करण निहित स्वार्थों को न सौपा जाये जैसा कि पिछले अवसर पर किया गया था ।

मेरे मित्र प्रो० मुखर्जी ने कहा था कि इस आयव्ययक के बनाने में लोकहित को तिलांजलि दे दी गई है । श्री गोपालन ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को भारत की जनता के विरुद्ध युद्ध घोषणा बताया था । साम्यवादी दल ने पहले अभिभाषण को युद्ध घोषणा कहा था और वह अब केवलमात्र लोक हित को तिलांजलि दिये जाने की बात करता है । इस से ज्ञात होता है कि साम्यवादी विचारधारा वाले सदस्यों की मनोवृत्ति में कितना अधिक परिवर्तन हो गया है ।

प्रो० मुखर्जी को इस बात का दुःख है कि हमारे आयव्ययक का ४५ प्रतिशत भाग रक्षा सेवाओं के लिये रखा गया है । उन्होंने बताया कि चीन में केवलमात्र २२ प्रतिशत ही सेना पर व्यय होता है । परन्तु मेरा निवेदन है कि इस में कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि हम २२ प्रतिशत में सेना उपकरणों, लड़ाकू वायुयानों, बड़ी तोपों तथा अन्य युद्ध साधनों पर होने वाला व्यय शामिल नहीं है । विरोधी पक्ष के मेरे मित्रों की एक विचित्र प्रकार की अमरीकी विरोधी मनोवृत्ति बनती जा रही है, वह अमरीका से आने वाली प्रत्येक वस्तु को घृणा की दृष्टि से देखते हैं । यह मनोवृत्ति अब स्थायी समान होती जा रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सात से अधिक बज गये हैं । और मेरे विचार से अधिक बैठने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री राधे लाल व्यास : वादविवाद कल समाप्त करना होगा, माननीय मंत्री अपना उत्तर किसी अन्य दिन दे सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : दिवस का अन्तिम घन्टा माननीय मंत्री के लिये सुरक्षित रखा जायेगा । यदि आवश्यकता हुई तो कल हम ७-३० तक बैठेंगे । श्री मुनिस्वामी ।

श्री मुनिस्वामी (टिंडीवनम) : मैं वित्त मंत्री को पंच वर्षीय योजना पर आधारित आयव्ययक प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं । परन्तु एक बात मुझे खटकती है, उन्होंने बार बार कहा कि पंचवर्षीय योजना को लागू करने के लिये जनता का सहयोग अपेक्षित है । परन्तु दुःख की बात यह है कि इसे प्राप्त करने के लिये कोई भी प्रयत्न नहीं किये गये हैं । एक ओर मद्रास राज्य में दुर्भिक्ष फैला हुआ है, भूख से मृत्युयें हो रही हैं परन्तु दुःख की बात है कि वित्त मंत्री ने उन का कोई भी ज़िक्र अपने भाषण में नहीं किया । पंचवर्षीय योजना और आयव्ययक भाषण से ज्ञात होता है कि सरकार के पास दो संस्थायें हैं, भारत सेवक समाज और राष्ट्रीय परामर्शदात्री पर्षद् । इन दोनों में अधिकांशतया कांग्रेस वाले ही हैं । यह दोनों संगठन केवलमात्र एक ही दल से सम्बन्ध रखते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं । अब सदन कल दो बजे तक के लिये स्थगित होता है ।

इस के पश्चात् सदन की बैठक बुधवार, ११ मार्च, १९५३ के दो बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।

GIPD—CofS—214 PSD—8-12-53—285